खण्ड-288, अंक-7
मंगलवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1893
(30 मार्च, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 288 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४६५–४६९
प्रश्नोत्तर (जारी)	४७०–४८०
२८ अप्रैल, १९७० को श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०–६१ के मूल उत्तर का शोधन	४८१–४८३
प्रश्नोत्तर	४८३–४८७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४८७
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	४८७–४८८
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें	४८८
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (संशोधित रूप में स्वीकृत)	४८८–५४४
मुख्य मन्त्री द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र की घोषणा	५४४

विधान भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३० मार्च, १९७१

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४१५

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशो राम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जय राम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री

पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा

राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री

शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामीप्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--मुख्य मन्त्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह व राजस्व मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३० मार्च, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता तथा वेतन आयोग का गठन

**१—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

सरकार द्वारा राज्यपाल के भाषण में इस घोषणा के बारे में कि राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम राहत दी जावेगी तथा एक वेतन आयोग गठित किया जावेगा, क्या सरकार बतावेगी कि वेतन आयोग कब तक गठित हो जावेगा और अन्तरिम राहत कितनी व कब तक दी जावेगी ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री रामसिंह खन्ना)—

वेतन आयोग का गठन हो गया है।

शासन ने निश्चय लिया है कि राज्य कर्मचारियों को जो ६०० रु० तक वेतन पाते हैं, १० रु० प्रतिमाह की दर से अन्तरिम राहत दी जाय। यह भी निश्चय लिया गया है कि शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भी जो उसी वेतन सीमा तक वेतन पाते हैं, ८ रु० प्रति माह की दर से राहत दी जायेगी और स्थानीय निकायें भी अपने कर्मचारियों को ८ रु० प्रतिमाह की दर से राहत देगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जहां पर शिक्षण संस्थाओं के 'कर्मचारी' शब्द हैं क्या उसमें अध्यापक भी सम्मिलित हैं ? दूसरी बात यह है कि क्या सरकार निम्न श्रेणी के कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, विद्यालयों के कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को राहत देने के विषय पर और विचार करेगी ?

(जब कुछ माननीय सदस्य पीछे गैलरी से आ कर अपोजीशन बेंचेज पर आ कर बैठे तो अपोजीशन की ओर से मेजें पीटी गईं)

श्री रामसिंह खन्ना—

इस समय जो निर्णय सरकार ने लिया है वह तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन सिद्धान्तः यह बात विचाराधीन है कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को और राहत दी जाए। वेतन आयोग की जो सिफारिशें होंगी उनको कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

विद्यालयों के कर्मचारियों में अध्यापक भी सम्मिलित हैं या नहीं ?

श्री रामसिंह खन्ना—

ये भी सम्मिलित हैं।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

आज माननीय मन्त्री ने अन्तरिम सहायता की बात कही। क्या सरकार ने इस अन्तरिम सहायता देने के लिये स्वयं ही निर्णय लिया है ? पहले यह कहा गया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्तरिम सहायता दी जाएगी। सरकार ने किस स्थिति में यह अन्तरिम सहायता दी है ?

श्री रामसिंह खन्ना--

यह राहत तो सरकार ने स्वयं निर्णय लेकर दी है बाकी जो सिफारिशें वेतन आयोग की आएंगी उन को कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

अभी-अभी यह बयान दिया गया कि वेतन आयोग बिठा दिया गया है। क्या उस आयोग में कर्मचारियों के मेम्बर्स भी रखे गये हैं? क्या कारण है कि शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों को यह महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है? श्री श्रीपति मिश्र, शिक्षा मन्त्री ने पहले कुछ और घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बहस मत कीजिये, प्रश्न कीजिये।

श्री राम गोपाल सण्ड--

अगर वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि रखे गये हैं तो उनके नाम क्या-क्या हैं?

श्री रामसिंह खन्ना--

जो वेतन आयोग गठित किया गया है उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि नहीं हैं। उनको वेतन आयोग में रखने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

वेतन आयोग के सदस्यों के चुने जाने का क्या आधार रहा है? क्या उनके नाम कहीं पर रजिस्टर्ड थे? या केवल अनएम्प्लायड को एम्प्लायमेंट देने के लिए चुना गया है?

श्री रामसिंह खन्ना--

आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे--

१--श्री लक्ष्मी प्रसाद निगम, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश--अध्यक्ष, २--श्री रामधर मिश्रा--उपाध्यक्ष, ३--श्री जे० डी० शुक्ला, ४--श्री भरत नारायण, ५--श्री के० के० शर्मा, ६--प्रो० बलजीत सिंह, ७--श्री ए० सी० मित्रा, ८--डा० आर० वी० सिंह, ९--श्री राधाकृष्ण, १०--श्री रामसेवक यादव, ११--श्री सादिक अली, १२--श्री जयराम वर्मा, १३--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकी, भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री पीताम्बर दास।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

इस आयोग के टर्म्स आफ रेफ्रेन्स क्या होंगे?

श्री रामसिंह खन्ना--

इस आयोग के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे (१) राज्य सरकार के कर्मचारियों की उपलब्धियों के वर्तमान ढांचे पर विचार करना और अन्य बातों के साथ-साथ राज्य की आर्थिक दशा तथा मूल्यों के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुये अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये एक न्यूनतम निर्वाह वेतन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यदि आवश्यक हो, पुनरीक्षण की सिफारिश करना।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मन्त्री जी इस आयोग में सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को भी इसमें कोआप्ट करने की, किसी न किसी प्रकार से, कार्यवाही करेंगे?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

श्रीमन्, आपने देखा होगा कि यह आयोग समस्त सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय कर्मचारियों, अध्यापकों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिये ही है। इसमें किसी एक वर्ग को प्रतिनिधित्व देना मुश्किल था। किन्तु आयोग को यह अधिकार होगा और इन संगठनों को भी अधिकार होगा कि वे अपने-अपने प्रस्ताव आयोग को भेजें और वह उस पर विचार करें।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

जब वेतन आयोग गठित हो गया था, तो कौन से ऐसे मुख्य कारण सामने आ गये थे कि उस वेतन आयोग की सिफारिशों के पूर्व ही कल रात ही सरकार ने अपनी मीटिंग करके अंतरिम सहायता देने का यह फैसला ले लिया? इसके क्या कारण थे?

श्री रामसिंह खन्ना—

इसमें माननीय सदस्य को कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिये। अच्छा काम जितनी जल्दी हो जाय, अच्छा है। नेक काम में तो जल्दी होना ही चाहिये। मैं समझता हूं कि आप भी चाहते होंगे कि कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाय, वह किसी के भी हाथों से मिले।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या इसमें स्वायत्त शासन के कर्मचारी, जिला परिषदों के कर्मचारी और पंचायत राज्य के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी, वैसे तो सम्मिलित ही समझे जायेंगे, लेकिन अगर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता होंगी तो वह भेज दिया जायेगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

टर्म्स आफ रेफ्रेंस में केवल राज्य कर्मचारियों का ही जिक्र किया गया है, तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या उसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कर्मचारी, स्वायत्त शासन के कर्मचारी, अध्यापक वर्ग आदि भी आते हैं या नहीं?

श्री रामसिंह खन्ना—

मैं तो अभी उनके प्रश्न का उत्तर पढ़ ही रहा था कि तब तक दूसरा सवाल पूछ दिया गया और मैं उनका जवाब देने लगा। इस तरह से उसका पूरा उत्तर पढ़ने से रह गया था, मैंने उसे पूर्ण कर दिया होता तो उसमें इसका भी उत्तर आ गया होता। आगे इस प्रकार है—"इसी प्रकार की सिफारिश स्थानीय निकायों, जिला परिषदों, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया समितियों, नगरपालिकाओं और महापालिकाओं तथा प्राइमरी स्कूलों, शासन से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों, पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग एवं प्राविधिक संस्थाओं के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के संबंध में भी करना।

संसाधनों की उपलब्धता तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के निमित्त की गई बचनवद्धताओं को दृष्टगत रखते हुये उपर्युक्त (१) और (२) के संबंध में की गई सिफारिशों के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिये राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों तथा शिक्षण संस्थाओं को क्या कदम उठाने चाहिये, इनके संबंध में सिफारिश करना।

ऐसे विशिष्ट मामलों पर, जो शासन के वित्त विभाग द्वारा आयोग को भेजे जायं, विचार करना और सलाह देना।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने अन्तरिम सहायता देने का जो एलान किया है, वह कब से दिया गया है ? जो ८ और १० रुपये का अन्तर है, उसे खत्म कर क्या सरकार ८ रुपये को भी १० रुपये करने की कृपा करेगी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

पहली अप्रैल, से किया गया है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

जो वेतन आयोग गठित किया है, उसमें अन्दाजन कितना समय लगेगा कि यह व्यवस्थित रूप से जो निश्चित किया गया है, वह कार्यान्वित हो सके ?

श्री कैलाश प्रकाश—

इसको ६ महीने की अवधि रखी गई है ।

श्री राम गोपाल संड—

क्या मंत्री जी कारण बताने की कृपा करेंगे कि छोटे कर्मचारियों को भी १० रुपया दिया गया है और ६०० रु० पाने वालों को भी १० रु० दिया गया है ? जब कि इसे केन्द्र ने भी माना है और ६०० रु० तक वालों को ही दिया है ? और जब वह चतुर्थ श्रेणी वालों को ज्यादा देती थी । तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी और अपने यहां भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ज्यादा राहत देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्र काश—

जैसा माननीय सदस्य देखेंगे, अब तक जिन को इस प्रदेश में महंगाई भता दिया जाता था उन्हीं को अन्तरिम सहायता दी जाएगी । यह अन्तरिम सहायता है, आगे आयोग विचार करेगा, वह जो चाहेगा देगा । यह अन्तरिम सहायता है, इसका एक तदर्थ निर्णय लिया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार वेतन आयोग से यह भी कहेगी कि वह अपना कार्य प्रारम्भ करने से पहले छोटे कर्मचारियों को और अधिक अन्तरिम सहायता देने पर विचार करे ?

श्री कैलाश प्रकाश—

अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । आयोग बैठेगा उसको अन्तरिम सहायता के बारे में रिपोर्ट भेजने का भी अधिकार होगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार सिद्धान्त रूप में इसे मानती है कि छोटे कर्मचारियों को अधिक सहायता दी जाए ?

श्री रामसिंह खन्ना—

छोटे कर्मचारियों को सिद्धान्ततः ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए, इसे मानती है ।

आगरा में कोयले तथा मिट्टी के तेल का अभाव

**२—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या सरकार को मालूम है कि आगरे में कोयले और मिट्टी के तेल की कमी है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

जी हां।

सरकार ने रेलवे विभाग से प्राथमिकता देकर आगरे के लिये कोयले की रेकें चलाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। रेल विभाग ने स्लेक कोल की एक रेक फरवरी व एक मार्च, १९७१ में आगरे के लिये चलाई, सरकार अधिक रेकें चलाने के लिये बराबर जोर दे रही है।

साफ्ट कोक की एक रेक जनवरी में चली। अधिक रेकें चलाने के लिये बराबर जोर दिया जा रहा है।

मिट्टी के तेल की कमी की सूचना प्राप्त होने पर शासन ने तुरन्त इन्डियन आयल कम्पनी के स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से आगरा जिले को तेल सप्लाई हेतु व्यवस्था की।

श्री देवकी नन्दन विभव—

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो जोर दे रहे हैं रेलवे विभाग पर, उसमें उन्हें कहां तक सफलता मिली हैं? और तेल की कमी होने का क्या कारण है?

श्री धर्मवीर—

माननीय अध्यक्ष जी, इस के लिए बराबर प्रदेश सरकार ने रेलवे विभाग और रेलवे बोर्ड को लिखा है कि प्रदेश के अन्दर साफ्ट कोक और दूसरे कोक की बहुत आवश्यकता है इसलिए अधिक दिया जाय लेकिन उसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली। जहां तक मिट्टी तेल का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मुझे इतना निवेदन करना है कि केन्द्रीय शासन से प्राप्त सूचना यह थी कि विद्युत सप्लाई में कटौती के कारण ही मिट्टी तेल की सप्लाई में बाधा की सम्भावना हो सकती है। अतः उपलब्ध स्टाक का वितरण नियन्त्रित हो, इसी को आधार मान कर समस्त जिलाधीश, जिला पूर्ति अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है कि जिले की स्टाक स्थिति पर ध्यान रखते हुए वह तेल वितरण की व्यवस्था करें।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले की कमी के कारण आज भट्ठे का रोजगार ठप्प हो गया है, भट्ठे के मालिक ब्लैक में कोयला खरीद रहे हैं? क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड को अपना प्रतिनिधि भेज कर इस काम को पूरा करने का प्रयत्न किया है?

श्री धर्मवीर—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले निवेदन कर चुका कि सरकार ने इस विषय में बराबर प्रयत्न किया है। मैं यह भी बता दूं कि प्रदेश सरकार की तरफ से एक कमिश्नर नियुक्त हैं जो बराबर रेलवे विभाग से सम्पर्क स्थापित किये रहते हैं। हमारी मांग में कमी नहीं है। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है कोयला खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जो व्यापारी लाना चाहे वह ला सकते हैं। प्रतिबन्ध कोई नहीं है।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले की कमी के कारण ईंटें ब्लैक से बिक रही हैं, देहातों में ईंटों की बहुत बड़ी कमी है, ऐसी परिस्थिति में ईंटों पर कोई नियन्त्रण करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री धर्मवीर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं सहमत हूं कि निश्चित रूप से अगर कोयले की कमी होती है और भाव में वृद्धि होती है, भाव पर किस तरह से नियन्त्रण किया जाय शासन इस पर विचार करेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह बात ठीक है कि कोयले और मिट्टी का तेल केन्द्रीय सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे प्रदेश में कम लोगों को मिल रहा है। परन्तु मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि चूंकि मिट्टी का तेल गांवों में हर गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीज है, उस का पर्याप्त स्टाक सरकार कर लेगी ताकि आगे के वितरण में असुविधा न हो ?

श्री धर्मवीर—

इसके विषय में निवेदन कर चुका कि तेल की सप्लाई का नियन्त्रण पूर्णतया हमारे शासन के अन्तर्गत नहीं है, केन्द्रीय सरकार पूर्णतया नियन्त्रण करती है। उनके जोनल आफिसर्स हैं। लखनऊ के जो जोनल आफिसर हैं उनको बराबर संकेत दिये गये हैं कि अधिक से अधिक सप्लाई प्रदेश को की जाय।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री ने माननीय ओम प्रकाश सिंह के उत्तर में कहा है कि ईंटों की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर नियन्त्रण लाने की बात सरकार के विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे क्योंकि ईंटों की प्रदेश में बहुत ज्यादा कमी है, बिलकुल ब्लैकमेलिंग हो रही है ?

श्री धर्मवीर—

मैंने यह नहीं कहा कि सरकार के विचाराधीन है। मैंने यह कहा कि यह सम्भावना हो सकती है कि कोयले की कमी की वजह से ईंटों के भाव में वृद्धि हो। अगर इस प्रकार की सूचना मिलेगी तो उसको उपलब्ध कराने में और भाव में तेजी न होने पाये इस पर शासन विचार करेगा।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

जैसा अभी मंत्री महोदय बतला चुके हैं उत्तर प्रदेश में कोयले तथा मिट्टी के तेल के अभाव से हाहाकार मचा हुआ है और सरकार ने जो ध्यान दिया वह नगण्य रहा तो क्या सरकार बतलायेगी कि कब तक यह अभाव दूर हो जायगा ?

श्री धर्मवीर—

मैंने सदन को इस बात की सूचना दे दी है कि शासन की तरफ से कोई कमी नहीं बरती गयी। अगर अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो मैं बतला दूं कि कई बार लगातार पत्र-व्यवहार किया गया, टेलीग्राम भेजे गये। हमारे अधिकारी रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मिले, खाद्य मंत्री जी की ओर से केन्द्रीय रेल मंत्री को भी लिखा गया और प्रदेशीय शासन की ओर से, जो वहां पर कमिश्नर तैनात हैं, उन्होंने भी बराबर इस बात की चेष्टा की है लेकिन इसके बावजूद भी मैं निश्चित् तथा निष्पक्ष रूप से कह सकता हूं चाहे जो भी कारण रहा हो, केन्द्रीय सरकार हमको आवश्यकता के अनुसार रेलें नहीं दे सकी जिससे कोयले की कमी प्रदेश में रही।

उद्योगों की स्थापना हेतु जिलों का चयन

**३—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि प्रदेश सरकार की सलाह से योजना आयोग ने देश भर में उद्योगों की स्थापना और प्रदेशीय औद्योगिक विकास के लिये २०० जिलों का चुनाव किया है जहां प्रदेशीय सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल के साथ विचार-विमर्श के बाद आगामी योजना में उद्योगों की स्थापना का कार्य आरम्भ किया जायगा ? यदि हां, तो इसमें उत्तर प्रदेश के कौन-कौन जिले लिये गये हैं और उनके चयन का आधार क्या रहा है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री मोहनलाल)—

वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार योजना आयोग द्वारा इंगित संकेतों के आधार पर राज्य सरकार की सलाह से योजना आयोग ने, औद्योगिक दृष्टि से अविकसित या पिछड़े जिलों का निर्धारण, वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष सुविधायें इकाइयों तथा उद्यमकर्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु किया है। ऐसे पिछड़े जिलों की इस प्रदेश में संख्या ३६ है। ये जिले इस प्रकार है :—

(१) अल्मोड़ा, (२) आजमगढ़, (३) बहराइच, (४) बांदा, (५) बलिया, (६) बदायूं, (७) चमोली, (८) फतेहपुर, (९) गढ़वाल, (१०) गाजीपुर, (११) हमीरपुर, (१२) हरदोई, (१३) जालौन, (१४) जौनपुर, (१५) झांसी, (१६) मैनपुरी, (१७) पीलीभीत, (१८) पिथौरागढ़, (१९) प्रतापगढ़, (२०) रायबरेली, (२१) सुल्तानपुर, (२२) टेहरी गढ़वाल, (२३) उन्नाव, (२४) उत्तर काशी, (२५) बाराबंकी, (२६) बस्ती, (२७) बुलन्द-शहर, (२८) एटा, (२९) इटावा, (३०) फैजाबाद, (३१) गोंडा, (३२) मथुरा, (३३) फर्रुखाबाद, (३४) मुरादाबाद, (३५) शाहजहानपुर और (३६) देवरिया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वे कौन सी वित्तीय संस्थायें हैं और कौन सी विशेष सुविधायें हैं जो इकाइयों तथा उद्योग कर्ताओं को उपलब्ध कराई जायंगी ?

श्री मोहनलाल—

इंडस्ट्रियल फायनेन्स कारपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया ने इस बात का निर्णय लिया है कि इन जिलों में विकास हेतु पूरी सहायता देंगे जिससे ब्याज की दर दूसरे क्षेत्रों से एक प्रतिशत कम होगी और ऋण की अदायगी ३ वर्ष के बजाय ५ वर्ष के बाद शुरू होगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो वित्तीय सहायता दी जायगी वह कम से कम कितनी होगी और अधिक से अधिक उसकी क्या सीमा होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

पत्रावाली को देखने से यह सूचना उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो बाद में यह सूचना दे दी जायगी।

श्री देवकी नन्दन विश्व—

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि राज्य की कोई सिद्धान्तयुक्त नियोजित औद्योगिक योजना न होने के कारण हमारे जितने भी नये उद्योग हैं उनमें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है तो क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई विचार कर रहे हैं जिससे प्रदेश का समुचित औद्योगिक विकास हो सके ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, पिछले अनेक वर्षों से ऐसा देखा गया है कि प्रदेश का जितना औद्योगिक विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इसमें केन्द्रीय सरकार का हाथ रहा है। हम लोग चिन्तित हैं और विचार कर रहे हैं कि जितनी भी बिजली अथवा ऋण की आवश्यकता होगी हम अवश्य देंगे और उसको प्रोत्साहन दिया जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नवीन योजना के अन्तर्गत जो जिले लिये गये हैं उसमें केन्द्रीय सरकार से जो धनराशि आपको मिलेगी सहायता के रूप में, केवल नये उद्योग धन्धों को ही ग्रान्ट दी जावेगी अथवा पुराने उद्योग-धन्धों को भी इस रकम में से सहायता दी जायेगी ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, ऐसा है कि जो रुपया केन्द्रीय सरकार से मिलेगा उसमें कुछ शर्तें हैं और उसके लिये नियम बनाये गये हैं उन्हीं के अनुसार यह धनराशि दी जावेगी । वैसे नये उद्योग-धन्धों को अवश्य प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुराने उद्योगों को भी सहायता दी जायेगी ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या उद्योग मंत्री कृपया यह बतलाने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विकास की जो योजनायें बनी हैं उसमें प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन जिलों में कोई पब्लिक सेक्टर में भी कारखाने खोलने की सलाह या परामर्श दी है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है किन्तु यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में भी जानकारी चाहते हैं तो इसमें ऐसा है कि हमारी बातचीत चल रही है, हमारा विभाग लिख रहा है कि पब्लिक सेक्टर में उद्योग हमारे प्रान्त में भी खोले जायं ।

श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बातयेंगे कि अभी जो आपने लिस्ट पढ़ी है उसमें गोरखपुर का नाम नहीं है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोरखपुर का नाम भूल से छूट गया हो ? यदि ऐसा हो, तो वे कृपया गोरखपुर का नाम भी उस लिस्ट में जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल ने एक मापदन्ड बनाया है और उसी मापदन्ड के अनुसार जिलों की छानबीन करके यह निश्चित किया जा रहा है कि जो पिछड़े जिले हैं वहां पर लगाया जाय । उस मापदन्ड में गोरखपुर जिला नहीं आता है और इसलिये इस जिले का नाम लिस्ट में नहीं दिखाया गया है । आप कृपा करके सरकार को लिखें तदनुसार उसे देख लिया जायेगा और यदि सम्भव होगा तो इसका नाम भी लिस्ट में बढ़ा लिया जायेगा ।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

पिछड़े जिलों की जो सूची बनायी गयी है क्या उसी के आधार पर उन जिलों में औद्योगिक विकास करने के लिए कुछ योजनाएं बनायी गयी हैं ? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र में कौन-कौन योजनाएं हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

पिछड़े जिलों के विकास के लिए यह देखा जा रहा है कि किस क्षेत्र में कौन-सा रा-मैटीरियल उपलब्ध है और कौन-सी इंडस्ट्री कायम कर सकते हैं, उसके अनुसार हम कार्य करें । पहाड़ी जिलों के लिए भी कार्य हो रहा है, लेकिन वहां के विकास के लिए एक निगम बना है जो बहुमुखी विकास के लिए बना है पर साथ ही औद्योगिक विकास के लिए भी ध्यान देगा । सरकार सतर्क है कि पहाड़ी जिलों को अनेक कारणों से महत्व दिया जाय ।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

आपने बताया कि गोरखपुर जिला उसमें शामिल नहीं हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी ने फारमूला बनाया था, दूसरे जिले हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जो गोरखपुर जिला पूर्वी जिलों का केन्द्र है और पिछड़े जिलों की लिस्ट में वह जिला आता है तो क्या माननीय मंत्री जो उस कमेटी को अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे कि उसको भी शामिल कर लिया जाय ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय सदस्य लिखेंगे तो हम अवश्य सिफारिश करेंगे।

श्री कृष्णचन्द्र—

यह जो पिछड़े इलाकों के लिए योजना तैयार करा रहे हैं उसकी अभी तक क्या रूपरेखा है, किस हद तक आपकी योजनाएं तैयार हो गयी हैं ? क्या उन क्षेत्रों के विधायकों को भी इन योजनाओं से संबद्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

विधायक स्वयं सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और अपने विचार उस संबंध में व्यक्त कर सकते हैं और प्रयत्न करें।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो धनराशि सरकार से प्राप्त होगी वह केवल कुटीर उद्योगों के लिए होगी या उससे बड़े-बड़े उद्योग धंधे भी पनपाये जायेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसका जवाब तो दे दिया कि जो रुपया मिलेगा, जो सहूलियतें मिलेंगी वह छोटे-बड़े दोनों उद्योगों के लिए मिलेंगी, लेकिन किस एक्सटेंट तक मिलेंगी उसका स्पष्टीकरण पत्रावली में नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसकी भी सूचना दे दी जायगी।

डिग्री कालेज के अध्यापकों की मांगें तथा अनशन

**४—श्री राम गोपाल खन्ड—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि डिग्री कालेज के अध्यापक, अपनी मांगें पूरी कराने के लिये सचिवालय के सामने अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनका अनशन समाप्त करने के लिये कौन-सा पग सरकार उठा रही है ? अध्यापकों की मांगें क्या हैं ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री सर्वसुख सिंह)—

जी हां। अब अनशन समाप्त हो गया है। सरकार अपने विशेष साधनों के अन्तर्गत उनकी मांगों की पूर्ति का प्रयत्न कर रही है। इन अध्यापकों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

१—सभी वर्ग के शिक्षकों को ४००—१२५० रु० का समन्वित वेतन-क्रम दिया जाना।

२—केन्द्रीय कर्मचारियों को स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ता देना।

३—प्रत्येक तीन वर्ष की सेवा के लिये एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की दर से पांच तक अतिरिक्त वेतन वृद्धियां देना।

४—सरकारी अनुदान के लिये मान्यता प्राप्त तथा गैर-मान्यता प्राप्त शिक्षकों का भेद-भाव दूर किया जाय और सभी दरों पर समान रूप से संशोधित वेतन-क्रम दिये जायं।

५—१९६९ की हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाना ।

६—स्नातकोत्तर कालेजों में रीडरों को स्वीकृत ७००-११०० रु० का वेतन-मान स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्षों के अतिरिक्त ज्येष्ठतानुसार २५ प्रतिशत की सीमा में अन्य अर्ह अध्यापकों को दिया जाय ।

७—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष १९६६ के वेतन-क्रमों को सही रूप से लागू किया जाय ।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहा कि मांगों को पूरा करने के लिये शासन विचार कर रहा है । उनकी सात मांगें हैं तो उनमें से कौन-कौन सी मांगों पर शासन विचार कर रहा है और कब तक उनकी पूर्ति शासन कर देगा ?

श्री सर्वसुख सिंह—

मान्यवर, इनमें दो एक मांगें ऐसी हैं जो स्वीकृत हो चुकी हैं । जैसे पांचवीं मांग १९६९ की हड़ताल वाली स्वीकृत की जा चुकी है और वेतन-क्रम संबंधी बातों पर जो आयोग गठित हुआ है वह उपलब्धियों पर विचार करेगा ।

श्री राम गोपाल संड—

जिस समय हड़ताल चल रही थी तो अध्यापकों का एक शिष्ट मंडल मिला था उससे जो बात-चीत हुई उससे क्या मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे?

श्री सर्वसुख सिंह—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के संबंध में यह सरकार और इससे पहले वाली सरकार भी आश्वासन दे चुकी है जो पूरा नहीं हुआ, तो क्या मंत्री जी उसको पूरा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सर्वसुख सिंह—

मान्यवर, इसी कार्य के लिये तो आयोग का गठन हुआ है । वह उनके वेतन-क्रम पर विचार करेगा ।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अध्यापकों का अनशन किसी समझौते के आधार पर टूटा है या उनका तम्बू, कनात वगैरह सरकार ने फिकवा दी ?

श्री सर्वसुख सिंह—

अनशन के सिलसिले में जो बातें हुई थीं, उसी समझौते के बाद आयोग गठित हुआ और वह विचार करेगा ।

श्री रामकरन—

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि अनशन किसी समझौते के आधार पर टूटा या शासन ने उनके तम्बू वगैरह फिकवा दिये ?

श्री अध्यक्ष—

किस आधार पर अनशन टूटा ?

श्री सर्वसुख सिंह—

अनशन समझौते के आधार पर टूटा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हैं कि जितने अध्यापक हैं उनको एक समान वेतन दिया जाय ?

श्री सर्वसुख सिंह—

यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामगोपाल संड—

अध्यक्ष महोदय, अनशन टूटने के संबंध में मंत्री जी ने कहा कि सूचना की जरूरत है और श्री रामकरन जी के पूछने पर कहा कि समझौता हुआ। अगर उन्हें पता नहीं है तो फिर से इस सवाल को रखा जाय। इसमें दो प्रकार के वक्तव्य आये हैं।

श्री अध्यक्ष—

एक ही प्रकार का वक्तव्य है। दो प्रकार के नहीं हैं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि अनशनकारियों के डेरा वगैरा सरकार ने जबरदस्ती हटा दिये और उनको अनशन समाप्त करने के लिये मजबूर किया ?

श्री सर्वसुख सिंह—

ऐसा तो नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह—

जो मांग-पत्र शिक्षकों का था उसमें से कौन-कौन सी मांगें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ?

श्री अध्यक्ष—

एक तो उन्होंने बता दिया है, बाकी के लिये उन्होंने कहा कि आयोग तय करेगा।

श्री गोविन्द सिंह—

समझौते की कौन-कौन सी बातें स्वीकार कर ली गई हैं यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री सर्वसुख सिंह—

जैसा मैंने बताया एक बात तो उनकी यह स्वीकार कर ली गई कि हड़ताल के समय का जो उनका वेतन रुका हुआ था उसके पेमेंट के आदेश हो चुके हैं और बाकी के लिये जो अनशनकारी अध्यापक थे वे सरकार की नीति से संतुष्ट हो गये और अनशन समाप्त कर दिया।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

जब इस तरह की मांगें उत्पन्न होती हैं और अध्यापकों को अनशन करना पड़ता है तो अब तो अनशन नहीं करना पड़ेगा और मांगें स्वीकार कर ली जायेंगी ?

श्री सर्वसुख सिंह—

अनशन करना या न करना तो उनका दृष्टिकोण है। सरकार का प्रयास तो यह रहेगा कि ऐसी परिस्थिति हो कि उन्हें अनशन न करना पड़।

२८ अप्रैल, १९७० को श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०–६१ के मूल उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—

यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय क्योंकि बहुत लम्बा है ।

(जी हां, की आवाज)

इसके ऊपर प्रश्न तो होते नहीं । कोई प्रश्न करना हो तो मेरे पास भेज दीजियेगा ।

[खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री धर्मसिंह)]

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २८ अप्रैल, १९७० को श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०–६१ में पूछा गया था कि :–

(मूल प्रश्न)

*६०—क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कानपुर की सम्पूर्ण राशनिंग की समाप्ति के पश्चात् मई, १९६८ से सितम्बर, १९६८ तक, राशनिंग विभाग में कार्य करने वाले कुल कितने कर्मचारियों को खाद्य विभाग में ज्येष्ठ निरीक्षकों और जिला पूर्ति निरीक्षकों के पदों पर नियुक्तियां दी गयी ? इन कर्मचारियों में अन्य-अन्य विभाग के सरप्लस किये गये कर्मचारियों की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी थी और इनका सम्बन्ध किन विभागों से था ?

(मूल उत्तर)

"६०—कानपुर में सम्पूर्ण राशनिंग की समाप्ति के पश्चात् मई सन् १९६८ से सितम्बर १९६८ तक राशनिंग विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से ६ कर्मचारी ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर तथा २४ कर्मचारी पूर्ति/जांच निरीक्षक के पद पर पुनः खाद्य विभाग में नियुक्त किये गये । ६ कर्मचारी जो ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये थे उनमें से ५ उद्योग विभाग के तथा १ गजेटियर विभाग के थे । इसी प्रकार २४ कर्मचारी जो पूर्ति/जांच निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये थे, उनमें से १७ उद्योग विभाग, ४, निर्वाचन विभाग के तथा १, लेबर (श्रम) विभाग, १ सिंचाई तथा १ हरिजन कल्याण विभाग के थे ।

(संशोधित उत्तर)

"६०—कानपुर में सम्पूर्ण राशनिंग की समाप्ति के पश्चात् मई, १९६८ से सितम्बर, १९६८ तक राशनिंग विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से ७ कर्मचारी ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये । उनमें से ६ उद्योग विभाग के तथा १ गजेटियर विभाग के थे । इसी प्रकार २५ कर्मचारी जो पूर्ति निरीक्षक / जांच निरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये थे उनमें से १७ उद्योग विभाग, ५ निर्वाचन विभाग के तथा १ लेबर (श्रम) विभाग, १ सिंचाई विभाग तथा १ हरिजन कल्याण विभाग के थे ।

(मूल प्रश्न)

"६१—क्या यह सत्य है कि सचिवालय के वह कर्मचारी जिन्होंने कानपुर में राशनिंग का कार्य किया था उसमें से न तो किसी कर्मचारी को ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर और न ही किसी को जिला पूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्य करने का अवसर दिया गया बल्कि उन्हें समान वेतन-क्रम के नाम पर सचिवालय पुनः लौटा दिया गया ?

क्या सचिवालय लौट आने के उपरान्त कुछ कर्मचारियों ने जो खाद्य विभाग में कार्य करना चाहते थे उस समय के खाद्य सचिव एवं आयुक्त को रिप्रेजेंटेशन दिया था ? उक्त रिप्रेजेन्टेशन पर क्या कार्यवाही की गई है ?" उस समय सदन में उत्तर दिये गये थे कि—

पढ़ा हुआ माना गया ।

(मूल उत्तर)

"६१—जी नहीं, सचिवालय के कर्मचारियों में से जिन्होंने कानपुर राशनिंग के अन्तर्गत रु० १२०–२५० के वेतन-क्रम में सीनियर इंसपेक्टर के पद पर कार्य किया था दो व्यक्तियों को सचिवालय में वापस नहीं लिया गया और उन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिये खाद्य विभाग में पूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया, इसी प्रकार एक अस्थाई टाइपिस्ट को आर्थिक क्षति से बचाने के लिये खाद्य विभाग में सीनियर इंसपेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। अन्य कर्मचारी जो सचिवालय में वापस लिये गये उनको समान वेतन-क्रम में वापस लिया गया और इनको कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है। तीन कर्मचारियों ने खाद्य विभाग में नियुक्ति हेतु अपना रिप्रेजेन्टेशन दिया था। उनमें से १ कर्मचारी जो अस्थायी था खाद्य विभाग में खपाया गया और १ स्थायी होने के कारण न लिया जा सका तथा १ कर्मचारी का मामला विचाराधीन है।" उक्त उत्तर सही नहीं थे जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है। :—

(संशोधित उत्तर)

"६१—जी नहीं, सचिवालय के कर्मचारियों में से जिन्होंने कानपुर राशनिंग के अन्तर्गत रु० १२०–२५० के वेतन-क्रम में सीनियर इन्सपेक्टर के पद पर कार्य किया था दो व्यक्तियों को सचिवालय में वापस नहीं लिया गया और उन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिये खाद्य विभाग में पूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया इसी प्रकार एक अस्थायी टाइपिस्ट को आर्थिक क्षति से बचाने के लिये उसे खाद्य विभाग में सीनियर इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। अन्य कर्मचारी जो सचिवालय में वापस लिये गये उनको समान वेतन-क्रम में वापस लिया गया और इनको कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई। ६ कर्मचारियों ने खाद्य विभाग में नियुक्ति हेतु अपने रिप्रेजेन्टेशन दिये थे। उनमें से एक कर्मचारी जो अस्थायी था खाद्य विभाग में खपाया गया एक स्थायी होने के कारण न लिया जा सका, एक का मामला विचाराधीन है और तीन कर्मचारियों की प्रार्थनायें अस्वीकार कर दी गयीं।

प्रश्नों के उत्तर में आंकड़ों में किंचित गलती अवश्य हो गई है परन्तु यह गलती अनजाने में हुई है और इसके कारण सदन के सम्मुख तथ्यों को प्रस्तुत करने में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता है। [बहरहाल इस अनजाने गलती के लिये मैं सदन के सम्मुख खेद प्रकट करता हूं।]

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

प्रश्न तो आपके पास भेज चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर तो नहीं पूछा जा सकता। इसके ऊपर पूछना हो तो फिर से नया प्रश्न भेजना होगा।

श्री रियासत हुसैन—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जो कर्मचारी लोग सेक्रेटरिएट में वापस आये तो क्या किसी के एप्वाइन्टमेंट के ऊपर माननीय श्रीपति मिश्र ने, जो मंत्री उस वक्त थे, और उसके बाद श्री रामकिंकर ने भी किसी के एप्वाइन्टमेंट पर दस्तखत कर दिये थे और उसके बाद फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसका एप्वाइन्टमेंट नहीं किया गया ?

श्री धर्मवीर—

इसकी तो सूचना की आवश्यकता है। अगर आप नाम बतायेंगे तो उसकी जानकारी कर के सूचित करूंगा।

प्रश्नोत्तर (जबानी)

[दिनांक ३० मार्च, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—२—श्री मित्रानन्द स्वामी—

[४ बजे मंगलवार के लिये स्थगित]

स्वरूप रानी चिकित्सालय, इलाहाबाद का विस्तार

*३—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार इलाहाबाद मेडिकल कालेज के स्वरूप रानी चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वहां शैय्यायें बढ़ाने की योजना बना रही है? यदि हां, तो कितनी शैय्याओं के बढ़ाने की योजना है तथा वह कब तक पूरी होगी?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

जी हां, स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद में २१६ अतिरिक्त शैय्याओं की स्थापना के लिये भवनों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है और आशा है कि निर्माण-कार्य लगभग दो वर्ष में पूरा हो जायगा।

श्री रामगोपाल सण्ड—

जो २१६ कमरों का एक विंग इलाहाबाद मेडिकल कालेज में बन रहा है उसके लिये कितनी धनराशि रखी गई है और निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ हुआ है?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसके लिये आय-व्ययक में १४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी और २२ मार्च, १९७१ को इसके निर्माण के लिए आदेश दिये गये हैं।

नगरमहापालिका, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग का गठन

*४—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार नगर महापालिका, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों के लिये कोई नया वेतन आयोग गठित करने पर विचार कर रही है? क्या सरकार ने १९६९–७० में इस प्रकार का आयोग गठित किया था? यदि हां, तो किन कारणों से उसे बंद कर दिया?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रघुनाथ सिंह यादव)—

राज्य सरकार ने श्री एल० पी०, मिश्र, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक वेतन आयोग नियुक्त करने का निश्चय कर लिया है तथा इसके गठन के आदेश २७ मार्च, १९७१ को प्रसारित कर दिए गये हैं।

वर्ष १९६९-७० में भी राज्य कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों-के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ता पुनरीक्षण आदि मांगों पर विचार करके अपनी सिफारिश देने के लिये एक वेतन आयोग का गठन किया गया था जिसको तत्कालीन राज्य सरकार ने अपनी दिनांक २८ मार्च, १९७० को विज्ञप्ति द्वारा भंग कर दिया ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या स्वशासन मंत्री जी बतायेंगे कि नगर महापालिका के जो कर्मचारियों के कार्यकर्ता हैं उनको भी इस वेतन मंडल में नामांकित किया जायगा ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

यह आयोग गठित हो गया है और उसके सदस्य बना दिये गये हैं किन्तु सभी संघों को यह हक होगा कि उनके समक्ष अपनी मांगें रखें ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि समस्त नगरपालिकाओं में काम करने वाले मेहतर कर्मचारियों को जो केवल ८ रु० दिया गया है उनको १० रुपया करने पर विचार किया जायगा ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

यह तो अन्तरिम सहायता दी गई है । उसके बाद जो आयोग की सिफारिश होगी उसके अनुसार शासन फिर देगा ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह आयोग कितने दिनों में अपना काम खत्म कर देगा ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

वैसे तो उसको ३० सितम्बर, तक का समय दिया गया है लेकिन अन्तरिम सहायता की सिफारिश जल्दी ही देने को कहा जायगा ।

विकास क्षेत्र, हल्द्वानी में पेय जल योजनायें

*५---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल के अधिशासी अभियन्ता तृतीय सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान शाखा स्वायत अभियन्त्रण विभाग, नैनीताल ने विकास क्षेत्र, हल्द्वानी के अन्तर्गत पेय जल योजना के लिये किन-किन श्रोतों का पानी लेकर कितने ग्रामों में पहुंचाने की योजना बनाई है और इस योजना की कुल लागत कितनी है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

अधिशासी अभियन्ता, तृतीय सर्वेक्षण एवं अनुसंधान शाखा, स्वायत शासन अभियन्त्रण विभाग, नैनीताल ने स्प्रिंग एवं गधेरों तथा नलकपों का पानी लेकर पेयजल योजनायें बनाई हैं ।

स्प्रिंग अथवा गधेरों द्वारा केवल दो योजनायें बनाई हैं, जिनकी अनुमानित लागत ७.४६६ लाख रु० है। न दोनों योजनाओं से ३८ ग्राम लाभान्वित होंगे। नलकूप द्वारा तीन योजनायें बनाई गई हैं, जिससे २८ ग्राम लाभान्वित होंगे। इन योजनाओं की अनुमानित लागत ८.१९५ लाख रु० है। इन तीनों योजनाओं की जांच की जा रही है। जांच होने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की जायेंगी।

*६—श्री इन्द्रलाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि विकास खण्ड, हल्द्वानी के अन्तर्गत पेयजल के लिये नये ट्यूबवेल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक इसकी पूरी होने की आशा है?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हल्द्वानी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पेय जल के लिये केवल लाल कुआं पेयजल योजना के अन्तर्गत एक नये नलकूप के बनाने का प्रस्ताव है। योजना की स्वीकृति तथा धन उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ किया जायगा और उसके पूरा करने में लगभग एक वर्ष लगेगा।

श्री इन्द्रलाल—

क्या स्वशासन मंत्री यह बतलायेंगे कि जो स्प्रिंग और गदेरों से पानी लेकर ये दो योजना बनाई जा रही हैं ये किस नाम से और कहां-कहां बनाई जा रही हैं और कौन-कौन से विकास खंड के गांव इससे लाभान्वित होंगे?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

करीब-करीब ३८ गांवों के लाभ के लिये यह पेयजल योजना बनाई जा रही है। उनके नाम इस लिस्ट के अन्दर दिये हैं। जो बहुत बड़ी है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ३ नलकूप लगाये जा रहे हैं वह कहां कहां लगाये जा रहे हैं?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

एक दुर्गापुर में दस गांवों के लिये लगाया जायगा, दूसरा लालकुए में एक गांव के लिये और तीसरा तेजपुर नेगी ग्राम में लगाया जायगा जिससे १७ गांव लाभान्वित होंगे।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन क्षेत्रों में जो पहले से लाइन बनी है वह इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि वहां अभी तक कोई योजना सफल नहीं हुई है तो क्या मंत्री जी वहां कोई नई पेयजल योजना बनाने के पहले वहां नई पाइप लाइन बनाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से अभी योजना स्वीकृत नहीं की गई है, यदि माननीय सदस्य लिखकर यह बात देंगे तो उस पर विचार हो जायगा।

श्री इन्द्रलाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन योजनाओं की सूचना मंत्री जी ने अभी दी है वहां के तीन सर्वे डिवीजन के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने जो अपनी रिपोर्ट चीफ इंजीनियर को दी थी वह इस स्कीम से बिलकुल भिन्न है? यदि हां, तो क्या सदन को जो यह सूचना दी गई है वह और चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट अलग-अलग है और इस के लिये क्या वह कार्यवाही अब करने जा रहे हैं?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जो रिपोर्ट नैनीताल शाखा से चीफ इंजीनियर को आई थी उस में कुछ खामियां थीं और उसको उन्होंने वापस ले लिया है, उसके फिर वापस आने पर देखा जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या इस बात का आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे कि पेय जल के लिये जो धनराशि सरकार देती है नगरपालिकाओं में उस का उपयोग अन्य कार्यों में कर लिया जाता है तो क्या इसको रोकने के लिये सरकार कोई ऐसा नियम बनायेगी कि पेयजल के लिये दिया गया धन किसी अन्य कार्य पर व्यय न हो सके क्योंकि देहरादून में ऐसा हो चुका है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जिस योजना के लिये धन स्वीकार होता है वह उसी पर व्यय होना चाहिये । यदि माननीय सदस्य कोई विशेष शिकायत लिखित रूप में करेंगे तो उस पर जांच कराई जायगी ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

गढ़वाल, नैनीताल और अलमोड़ा के तराई के भागों में नलकूप का पानी आसानी से और कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है तो क्या कारण है कि वहां जल श्रोतों के आधार पर ही योजनायें बनाई जा रही हैं ? तो क्या कोई कदम सरकार इस दिशा में उठायेगी ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जो टेक्निकल रिपोर्ट्स् हैं उन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में नलकूपों का लगाना कठिन है और वहां पर स्प्रिंग व जो श्रोतों से ही पेयजल की योजना बनना सम्भव है लेकिन शासन ने केन्द्र से लिखापढ़ी की है कि यदि रिंग मशीनें मिलिटरी से उपलब्ध करा दी जायं तो अवश्य ही वहां अधिक नलकूप लग सकेंगे ।

श्री इन्द्रलाल—

मेरी यह व्यक्तिगत जानकारी है कि नैनीताल जिले की पेयजल योजनायें जिनका सर्वेक्षण हो रहा है वह ६-६-६९ को जिला स्तरीय मीटिंग के आधार पर हो रहा है लेकिन उस मीटिंग में कोई विधायक या संसद सदस्य नहीं था ? यदि यह सही है, तो क्या फिर मीटिंग करके सबके सहयोग से पूरी योजना पर पुनर्विचार करने का आदेश शासन द्वारा दिया जायगा ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

*७—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित]

*८—९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित]

ग्राम सिठमरा, जिला कानपुर में अस्पताल खोलने का आदेश

*१०—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की तहसील डेरापुर के ग्राम सिठमरा में सरकारी एलोपैथिक अस्पताल खोलने का आदेश जनवरी, १९७१ में दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त गांव में कब तक अस्पताल खोल दिया जायगा ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सिठमरा एक बड़ा ग्राम है तथा बहुत बड़ा बाजार भी है और उसके पास में कोई अस्पताल नहीं है, इस को देखते हुए क्या वह वहां पर एक एलोपैथिक अस्पताल खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जनवरी में एक प्रार्थना-पत्र दिया था। उसे जांच के लिए सिविल सर्जन को भेजा गया है। कायदा यह है कि एक बड़े गांव की आबादी ही केवल नहीं देखी जाती, यह भी देखा जाता है कि उस जगह के ५ मील के रेडियस में कोई और अस्पताल तो नहीं है, दूसरे वहां पर जमीन और मकान भी मिल सकता है। इनके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि वहां पर आने जाने के रास्ते वगैरह हैं, या नहीं। जिले में एक अस्पताल समिति होती है, वह सब की जांच पड़ताल करती है। इस तरह की जितनी भी जिले में मांग होती हैं, उन पर विचार करके अपनी सिफारिश निदेशालय में भेजती है। फिर निदेशालय अपनी संस्तुति करता है, उसके बाद सरकार विचार करके अपना निर्णय लेती है।

चौधरी राम पाल सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी इसके सम्बन्ध में जांच पड़ताल करवा रहे हैं ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि इसकी जांच सिविल सर्जन द्वारा करायी जा रही है।

*११—श्री जंगबहादुर यादव—

[४ बजे मंगलवार के लिये स्थगित]

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि :—

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०-७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २४ मार्च, १९७१ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २६ मार्च, १९७१ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २७ मार्च, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का १२ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि :—

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २४ मार्च, १९७१ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से

नोट :—तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बिना किसी सिफारिश के दिनांक २६ मार्च, १९७१ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २७ मार्च, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम बन गया ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कुछ विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आ हैं लेकिन वे मेरे पास देर से पहुंचे हैं, मैं अभी तक उन्हें देख नहीं पाया हूं । मैं उनके ऊपर कल फैसला दूंगा ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महा मान्य राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, हमारे आदरणीय तिवारी जी ने इसमें संशोधन दिया है और संशोधन में उन्होंने ५ हिस्से किए हैं । पहले हिस्से में उन्होंने लोक सभा के चुनावों के विषय में लिखा है और जो बहस चल रही है, अभिभाषण पर, उसके भी पहले और दूसरे हिस्से में लोक सभा के इलेक्शन की ही चर्चा है ।

मैं कहना चाहता हूं कि महामान्य राज्यपाल अपना अभिभाषण राज्य के एक प्रमुख की हैसियत से प्रस्तुत करते हैं । वास्तव में उसमें सरकार की नीतियों की घोषणा होती है और विरोध पक्ष को अलोचना करने का पूरा अधिकार है क्योंकि यदि वे नीतियों से सहमत होते तो उनको विरोध में बैठने की आवश्यकता ही क्या थी ?

माननीय तिवारी जी ने उन नीतियों के अन्दर क्या त्रुटि और कमी रही हैं इस बात को ओर कोई संकेत नहीं किया है । मान्यवर, चीनी उद्योग को लेकर नाम मात्र का संकेत किया है । इस बारे में मेरे मित्र तिवारी जी नाराज होंगे—"नील कोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम" । यदि दिन में उल्लू को न दिखाई दे तो सूर्य का क्या दोष है ? उन नीतियों के अन्दर स्पष्ट घोषणा की गई है कि एक चीनी निगम बैठाया जायेगा । जो चीनी मिल हैं उनके सहकारीकरण के ऊपर भी सरकार का ध्यान है । ये जो चीनी उद्योग हैं इनके बारे में काफी चर्चा चली है और हमारे एक सम्मानित साथी तो इधर और उधर दोनों ही ओर बैठकर भी चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की नीतियों को लेकर इस हद तक परास्त हो गये कि यहां से साथ छोड़ कर उन्हें केन्द्र में भाग जाना पड़ा । राष्ट्रीयकरण का जहां तक प्रश्न है वह इस सरकार के क्षेत्र का प्रश्न नहीं है । जहां तक लोक सभा के चुनाव के प्रश्न की चर्चा है मुझे तो दुःख इस बात का है कि लोक सभा के चुनाव में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ यह कोई विशेष महत्व का प्रश्न नहीं है । मान्यवर, सन् ४७ से आजादी के बाद और सन् ५० से हमारी गणतन्त्र प्रथा यहां लागू होने के बाद, सन् १९५२ में जब हमारी राज्य सरकार यहां गठित हुई थी तब से लेकर आज तक, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे प्रदेश ने उन्नति की है । मान्यवर, आज इधर के बैठने वाले उधर चले गये या उधर के बैठने वाले इधर आ गये, यह तो प्रजातन्त्र में होता ही रहता है । लेकिन हमने उन्नति की है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । आवश्यकताओं के साथ आविष्कार बढ़े हैं और आविष्कारों के साथ साथ आवश्यकतायें भी बढ़ती हैं । जो वर्ग आगे आया है उसकी आवश्यकतायें और अधिक बढ़ी हैं । आज मध्यम वर्ग

---

*२९ मार्च, १९७१ की कार्यवाही से ।

बहुत त्रस्त और परेशान है, वह पिसा जा रहा है । आर्थिक असमानतायें हमें परेशान कर रही है । इसमें दो राय नहीं हैं । आर्थिक दशा के अन्दर हमारा समाज दुःखी है । आज समाज के अन्दर से वह नारा चला गया कि हमने देश को आजाद कराया था यह हमने किसान को हक मौरूसी दी थी आदि-आदि । सन् १९४७ के अन्दर जो बच्चा गर्भस्थ था वह आज मतदाता है । आज वह सुनना पसन्द नहीं करता कि किसने देश को आजाद कराया था । किसने जमीन्दारी खत्म की थी, किसने हक मौरूसी दिलाया था आदि आदि सब बातें हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारें जो बन रही हैं जो चल रही हैं उनका अस्तित्व क्या है वे आर्थिक असमानातओं और गरीबी को दूर करने के लिए कहती हैं पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । मान्यवर, बेरोजगारी के दो पहलू हैं । बेरोजगारी अशिक्षित वर्ग में नहीं बढ़ रही है वह शिक्षित वर्ग में बढ़ रही है । हमारी शिक्षा दूषित है । हमारी शिक्षा प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में क्लर्क और बाबू पैदा कर रही है और सिवाय उसके उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है । ऐसी परिस्थिति में जनता के सामने किसी बात का प्रश्न नहीं रह गया है । प्रश्न इस बात का रह गया है कि हमारी जो आवश्यकतायें हैं, मांगें हैं उनको पूरा करने का वायदा करता कौन है । मैं इन्हीं वायदों को अपने प्रदेश की मांग रखता हूं । सन् १९५२ के बाद १९५७ तक स्थिति ठीक रही । लेकिन सन् १९६२ में स्वतन्त्र पार्टी ने नारा लगाया और कहीं कहीं किसी जिले में एकदम स्वतन्त्र पार्टी उभरी और सन् १९६७ में जनसंघ एकदम उभर आया और कांग्रेस का नाम लेवा व पानी देवा तक नहीं रह गया । मान्यवर, ठीक उसी तरीके से १९६९ के मध्यावधि चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रान्ति दल का नारा दिया और वह एकदम उभरकर ९८ की तादाद में पहुंची । लेकिन आप देख रहे हैं कि लोक सभा के मध्यावधि चुनावों में क्या परिणाम हुआ ? न वोट कांग्रेस को मिले न इन्दिरा को मिले । वोट मिले है जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के जो आश्वासन दिये गये हैं उनके लिये । यदि वे आश्वासन पूरे नहीं होते हैं तो जनता उनको भी ठीक वही स्थिति करेगी जो अन्य दलों की आज हुई है । वह इन्दिरा जी के साथ भी हो सकती है लेकिन मैं यह कहूंगा कि यदि वे किये हुये वायदे पूरे हो जाते हैं तो हमें खुशी होती । मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा यह कोई राजनैतिक व्यवसाय नहीं है । हम विधायक बनकर रोजी कमाने नहीं आते हैं । हम आते हैं देश की सेवा करनेके लिये यह तो हमारी एक हाबी है किसी भी दल के द्वारा, किसी भी आश्वासन पूर्ति करने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में वह पूरा होता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये । किन्तु नारे थोथे रह जाते हैं तो वह चिन्ता का विषय है ।

मान्यवर, इस धन्यवाद के प्रस्ताव में यदि एक यह संशोधन दिया जाता तो मुझे भी प्रसन्नता होती कि "आज जो दल–बदल की नीति से विधायकों का चरित्र गिर रहा है, उसके सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल ने कोई चर्चा नहीं की ।" पूज्य पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की सन् ६२ से यह महत्वाकांक्षा है कि वह मुख्य मंत्री बने । मैं भगवान से चाहता हूं कि उनकी यह अभिलाषा अवश्य किसी दिन पूरी हो जाय । लेकिन मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि जहां उनकी मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा है वहां उन्हें यह भी समझना चाहिए कि आज हमारे देश में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है । आज जनता ने अपनी सार्वभौमिक शक्ति देकर अपने ही प्रतिनिधियों द्वारा अपने ऊपर शासन की प्रक्रिया चाही है ? आज यदि किसी को राजा कहा जाय तो यह तो विधायक आये हैं इन्हीं को राजा कहा जायगा । "असन्तुष्टा द्विजानष्टा, संतुष्टा च महीपते" राजनीति में महात्वाकांक्षा तो होती ही है यह हमारे सब विधायकों के ऊपर लागू होता है । मैं माननीय चन्द्रभानु गुप्ता जी और पं० कमलापति जी को ही मुख्य नेता मानता हूं इस प्रदेश का । मैं उनका आदर करता हूं । मैं उनसे क्षमा चाहता हूं । क्योंकि "हितम मनोहारी च दुर्लभं वच :।" मैं कोई बात निवेदन करूं तो उसे वह स्नेह की दृष्टि से क्षमा कर देंगे यदि उन्हें वह अरुचिकर भी मालूम हो । वह देश के पुराने नेता हैं । वह देश में आजादी को लाए हैं । मान्यवर, उनके जीवन की एक–एक कड़ी त्याग से भरी हुई है । लेकिन आज उस त्याग की परीक्षा का समय है ।

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

मैं अपने साथियों से क्षमा चाहूंगा। एस० बी० डी० की सरकार का व्यक्तिगत रूप से में कभी समर्थक नहीं रहा। लेकिन अनुशासन में रहकर इसके साथ रहता हूं। यह खिचड़ी की सरकार ज्यादा चला नहीं करती। आज जनता ने यह साबित कर दिया है कि केन्द्र में हम एस० बी० डी० नहीं चाहते। खिचड़ी की सरकार में दस राये होती हैं इसलिये वे ठीक से नहीं चलापातीं। लेकिन यह सोचना है कि क्या खिचड़ी की सरकार से हम बच पाएंगे। क्या उधर जो बैठे हैं वह खिचड़ी की सरकार से बच पाएंगे ? मैं समझता हूं कि वह भी यही करेंगे। आज देश का नागरिक अशिक्षित अधिक है इसलिए चुनावों में चिन्ह की प्रणाली है। जब हम लड़ के लें तो कहीं बरगद, कहीं सायकिल, कहीं बैल की जोड़ी और कहीं दीपक आदि रहे। इन चिन्हों पर जनता का मत प्राप्त करके जो हमारे सम्मानित प्रतिनिधि यहां आते हैं आज उनके चरित्र का, क्षमा करेंगे, कोई ठिकाना नहीं रह गया। आज दल-बदल हो रहा है। श्रीमन्, एक कहावत है—"दि कैरेक्टर इज गान एवरीथिंग इज गान"। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सक्षम हैं, आप हमारे सभापति हैं, आप यह व्यवस्था करदें कि किसी भी विधायक को किसी के लिये कैरेक्टर सर्टीफिकेट देने का अधिकार नहीं होगा। हम लिखते हैं—"टु दि बैस्ट आफ माई नालेज ही बीयर्स ए गुड मारेल कैरेक्टर"। जब कि हमारा स्वयं का ही कैरेक्टर यह है।

हम बसों में और गाड़ियों में बैठते हैं। मैं अपने आपको बिधायक बताने में सर नीचा कर लेता हूं क्योंकि विधायक बताते ही लोग कहने लगते है कि दल बदलू तो नहीं हैं ? यह हालत है। मैं पूज्य पंडित जी से कहना चाहूंगा। उन्हीं के शब्दों में मैंने कुछ श्लोक सुने हैं उनसे आज यह एक बड़ा चिन्तन का विषय हो गया है। आप देखेंगे कि १६ अगस्त, १६६६ को राष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर यहां पर ११ अगस्त से काफी गतिविधियां आरम्भ हो गई थीं। मैं उस समय भी कांग्रेस सचेतक था और आज भी पुरानी कांग्रेस का सचेतक हूं। मैंने १३ तारीख को यह पर्चा बटवाया कि श्री नीलम संजीव रेड्डी हमारे दल के उम्मीदवार हैं जिसमें पंडित कमला पति त्रिपाठी तथा श्री चन्द्रभानु गुप्त दोनों के ही हस्ताक्षर थे। उसमें यह था कि उनको अपना मत दिया जाय। १४ तारीख को यह बयान निकलता है हमारे पंडित जी का कि मैं तो प्रधान मंत्री की राय को ही अपनी राय मानता हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उनको चाहे मुख्य मंत्रित्व पद मिले अथवा नहीं मिले परन्तु न्याय से विचलित होना कहां तक उचित है। मान्यवर, "धृति, क्षमाऽस्तेयादि" धर्म के १० लक्षणों में जो सबसे बड़ा लक्षण है "धृति" मानी धैर्य उसमें यही है कि किन्ही भी कारणों से अपने धैर्य से विचलित नहीं होना चाहिये। मैं उनको बड़ी आदर की दृष्टि से देखता हूं और उनके कार्यों के कारण उनका नाम हमारे प्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है परन्तु मैं फिर भी यही कहूंगा कि हमको अपनी नीति से किन्हीं प्रलोभनों के आधार पर विचलित नहीं होना चाहिये। नीति यही बतलाती भी है कि "निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम्नधीरा :।। (चाहे कोई हमारी निन्दा करे अथवा प्रशंसा। इसमें चाहे हमारा पद रहे अथवा चला जाय, हमारा नेतृत्व रहे अथवा चला जाय। एक बार जब हमने कोई बात तय कर दी फिर हमको उसको पूरी शक्ति से पालन करना है।) जब हमारी पार्टी के उम्मीदवार श्री नीलम संजीव रेड्डी मान लिये गये तो हमको हर सूरत में उनको अपना मत देना था और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना था। मैं तो अपने वायदे के ऊपर स्थिर हूं और इसमें किसी प्रकार का कोई सवाल उठाना नहीं चाहिये। यदि हमारे पंडित जी ने उसका अनुपालन किया होता तो आज उनका स्थान नम्बर २ से नम्बर १ पर आ जाता। मैं बड़े धर्म संकट में हूं। ब्राह्मण होने के नाते भी मैं उनका अनुकरण नहीं कर पाता। पंडित जी गुप्ता जी के मुकाबिले नीति में, शास्त्र में अधिक ज्ञाता हैं तथा विद्वान हैं और वे गुप्ता जी से कम नहीं हैं परन्तु वे मुख्य मंत्री पद के प्रलोभन के कारण हमारा समर्थन नहीं कर पाये। कदाचित्.....

श्री अध्यक्ष--

व्यक्तिगत आधार पर आप दोष न निकालें । आपने यह कहा कि मुख्य मंत्री होने का उनको लालच है जिसका वह संवरण नहीं कर पाते हैं । इस प्रकार से यह तो सीधा हमला नियत पर हो जाता है । ऐसी चीज आप न कहें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, आप श्री बंसत लाल जी को बोल लेने दीजिये ताकि उनके दिल का जो भार है वह निकल जाय ।

श्री अध्यक्ष--

किसी व्यक्ति विशेष पर इस प्रकार से आक्षेप करना ठीक नहीं है ।

श्री बसंत लाल शर्मा--

मान्यवर, मैं उनका बहुत अधिक सम्मान करता हूं और मैंने उनके सम्मान के विरुद्ध कोई चीज कभी भी नही कही है । मैं तो वस्तुस्थिति को बता रहा था । अगर उनको इससे कोई आ ात लगा है तो मैं उसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप यह कहते हैं कि श्री संजीव रेड्डी को कह कर बदल गये परन्तु इस प्रकार से उनके ऊपर आक्षेप करना और यह कहना कि इस नियत से उन्होंने यह किया या उनको यह लालच थी यह ठीक नहीं है ।

श्री बसंत लाल शर्मा--

मान्यवर, अगर वह आक्षेप है तो मैं उसके लिये उनसे क्षमा चाहता हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यहां का ट्रेन्ड बदलने के लिये ही वह इस प्रकार की चीजें कह रहे हैं ।

श्री बसंत लाल शर्मा--

मान्यवर, मैं पंडित जी में श्रद्धा रखता हूं और मैं फिर यह कहता हूं कि यदि मुझसे कोई ऐसी चीज हुई है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं । आज परिस्थिति यह है कि आया हम उधर जायं या इधर रहें क्योंकि पुरानी कांग्रेस और नयी कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है । मान्यवर, उधर भी परिस्थिति बड़ी गड़बड़ है । वहां भी संविद के अनेक घटकों के विधायक दल बदल कर चले गये हैं और श्री संजीव रेड्डी और श्री बी० वी० गिरी के चुनाव के समय जहां उनकी तादाद ८० के लगभग थी, वहां उनकी संख्या आज १७०-१८० के करीब पहुंच चुकी है । ऐसा मेरा ख्याल है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय बसन्तलाल शर्मा जो भाषण दे रहे हैं वह मेरे ख्याल से गवर्नर महोदय के अभिभाषण का कोई पार्ट तो बनता नहीं है । अगर ये सारी बातें वे पंडित जी के घर पर जाकर कहते तो ज्यादा अच्छा होता । यहां गवर्नर महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में ही वे कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष--

अमेन्डमेन्ट में कुछ ऐसी बातें उठायी गयी हैं उसी का वे जवाब दे रहे हैं । लेकिन उसमें पंडित जी को उन्होंनें यों ही घसीटा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिये मैंने उनको रोका । तिवारी जी ने अमेन्डमन्ट पश किया है, उनके बारे में आप कहें ।

श्री बसन्त लाल शर्मा---

तिवारी जी के बारे में मैं क्या कहूं ? सन् १६५२ में ३६ आदमियों को लेकर वे उधर बैठे थे ।

श्री अध्यक्ष---

फिर आप व्यक्तिगत बात करने लगे । आप संशोधन पर ही बोलें ।

श्री बसंत लाल शर्मा---

श्रीमन्, मैं उसी पर तो बोल रहा हूं । उन्होंने स्वयं ऐसा विषय चुनाव सम्बन्धी छेड़ दिया जिसका जवाब तो देना ही होगा । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज उनकी संख्या दुगुनी हो गयी है । उसमें बी० के० डी०, जनसंघ, पुरानी कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, एस० एस० पी० आदि अनेक घटकों के सदस्य दल बदल कर गये हैं । मान्यवर, उनकी जो मनोवृत्ति है उसको हम नहीं रोक सकते हैं । आज पूरी एस० वी० डी० उधर बैठी हुई है जिसको वह एक दल समझते हैं, तो यह धोखा है । मैं कहता हूं कि उस धोखे में वे न आवें और सरकार को स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करें । विरोधी दल में बैठना अधिक अच्छा है । जो समाजवाद की दुहाई देते हैं, पंडित राजित राम जी ने भी कल कहा था—मैं कहना चाहता हूं कि यदि वे लोग समाजवाद का सही नमूना पेश करना चाहते हैं तो वे स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी से सीखें, स्वर्गीय डाक्टर लोहिया जी से सीखें । सन् १६४६ में आचार्य नरेन्द्र देव जी कांग्रेस टिकट पर इस सम्मानित सदन के सदस्य होकर आये थे और सन् १६४८ में वे सोशलिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस से अलग हो गये । उस समय आचार्य जी ने सदन से इस्तीफा देकर जिले से उप चुनाव लड़ा था और कांग्रेस उम्मीदवार बाबा राघवदास के मुकाबले में वे विधान सभा का चुनाव हार गये थे मगर इसमें उन्होंने अपना गौरव समझा । मेरे बहुत से भाइयों ने समाजवाद का नाम लेकर बरगद के पेड़ का चिन्ह ले कर या बैल की जोड़ी पर नेहरू जी का नाम लेकर चुनाव लड़ा है, तो क्या उनके चरित्र का यही नमूना है ?

कल हमारे एक डाक्टर श्यामकिशोर जी उर्दू भाषा के सम्बन्ध में कह रहे थे कि उर्दू उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों की भाषा है । मैं उर्दू का विरोधी नहीं हूं, मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि मैं भी उर्दू को अच्छी तरह से समझता हूं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सारे संसार की जितनी भाषायें हैं वे सीधी ओर से लिखी जाती हैं लेकिन केवल उर्दू ही ऐसी है जो उल्टी तरफ से लिखी जाती है, तो आखिर ऐसा क्यों है । दूसरी बात यह कि उर्दू में ममलुका, मकबूजा मुतनाजिया, मुतदाविया आदि अनेक शब्द ऐसे हैं जिनको ग्रामीण कभी भी आसानी से समझ नहीं सकता है फिर भी आप कहते हैं कि उर्दू प्रदेश की दूसरी राज भाषा बना दी जाय या उसे हिन्दी की बराबरी का दर्जा दे दिया जाय । अगर किसी चीज की परवाह किये बिना केवल वोट लेना ही हमारा उद्देश्य है तो बेहतर होगा कि हम खेतों में फावड़ा लेकर जायं, अपनी रोजी कमायें या और कोई धंधा करें । लेकिन अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि हम सही नियत से जनता की सेवा करें तो चुनाव जीतने के बाद हमें कुछ करना चाहिये ।

मैं आपके माध्यम से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । बड़े दुख की बात है कि इस संशोधन द्वारा एक चार्ज यह लगाया गया है कि ८५ सीटों में से ७६ सीटें नयी कांग्रेस को मिली हैं और एस० वी० डी० के जितने घटक हैं वे बुरी तरह से पराजित हो गये । मैं कहता हूं कि लोक सभा के चुनाव से राज्य विधान सभा के चुनाव का क्या सम्बन्ध है? आप उत्कल विधान सभा के चुनाव को देख लें, आप बंगाल विधान सभा के चुनाव को देख लें, मैं तामिलनाडु को छोड़ देता हूं जहां अपने कायरपन की वजह से इण्डीकेट ने अपना कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया, वहां कि क्या स्थिति है? मान्यवर, उत्कल में उन्हें लोक सभा में बहुत मिला है । लेकिन उत्कल विधान सभा में कलाबाजी खेली जा रही है और अकेले नई कांग्रेस वहां अपनी सरकार नहीं बना

पा रही है । यहां भी मध्यावधि चुनाव की बात है तो उससे डरने का प्रश्न नहीं है । जनता के अपने काम होते हैं । पुलिस के, पी० डब्लू०डी० के आदि आदि काम होते हैं और लोग एम० एल० ए० के पास आते हैं । अपने क्षेत्र के अन्तर्गत एम० एल० ए० का कंटेक्ट होता है । पचास फीसदी वोट यदि उसको पार्टी के प्रभाव से मिलते हैं तो मोर दैन फिफटी परसेंट वोट उसको अपने व्यक्तित्व और अपने आचरण पर भी मिलते हैं । मैं विश्वास दिलाना चाहता (हूं कि मध्यावधि चुनाव से हमें डरना नहीं चाहिये । मध्यावधि चुनाव श्रीमती इन्दिरा जी मई में नहीं अभी करा लें । सन् ५२ में अपने क्षेत्र से मैं जीत कर आया लेकिन सन् ५७ में क्षेत्र बदलने के कारण मैं हारा मगर ६२ में अपने ही क्षेत्र से फिर जीत कर आया । श्रीमन्, बड़ा अच्छा हुआ कि पुरानी कांग्रेस के साथ यह फैसला हो गया । इस सन्दर्भ में मैं एक श्लोक सुनाना चाहता हूं । किरातार्जुनीय का एक श्लोक है कवि "भारवी" का——

अजन्ति ते भूढधियः पराभवम् भवन्ति माया विषु येन मायिनः ।
प्रविश्यहि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृताङ्गनिषिथाइवेषवः ।।

मान्यवर द्रोपदी ने युधिष्ठिर से कहा था कि वे मूर्ख बुद्धि, पराजय और नाश को प्राप्त होते हैं, जो मायावी लोगों के साथ मायावी नहीं हो पाते । ये मायावी लोग जहर के बुझे हुए वाणों के समान सीधे साधे व्यक्तियों में नग्न शरीर में प्रविष्ट होकर नाश कर देते हैं । वही हुआ । पर मान्यवर, "बहु वंश्योनाश" कहा गया है । राजा सगर का इतना बड़ा कुटुम्ब था लेकिन उसका क्षण में नाश हुआ था । आज इन्दिरा जी का लोक सभा में ३५० या ३५२ का बहुमत है तो यह भी नाश का कारण है । श्री चन्द्रभानु गुप्त और पंडित कमला पति त्रिपाठी का राम और भरत का मिलाप था लेकिन अब पंडित जी और बहुगुणा जी का साथ हुआ है । हम राष्ट्रपति चुनाव में १४४ थे लेकिन आज ६७ रह गये तो यह विश्वासघात का फल है । विश्वासघात के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । तीन प्रकार के मेरे साथी हैं । एक तो वे हैं जो पुराने कलाकार हैं और वे पद के बिना जीवित ही नही रह पाते । ६७ और ६९ के चुनाव में उन लोगों की यही कला रही । फरवरी, ७० में गुप्ता जी बीमार पड़े हुए थे और लोग उन्हें घेरे हुए थे और ऐसे ही लोगों द्वारा एक अवांछनीय समझौता कराया गया । दूसरे वे हैं जो समझते हैं कि हमारी एम० एल० ए० शिप बनी रहे, फर्स्ट क्लास का टिकट बना रहे । तीसरी श्रेणी में वे नये साथी हैं जो जानते ही नहीं कि दल बदल होता क्या है । वे समझते हैं कि हां में हां मिलाना है इधर न सही उधर सही । छोटे और मध्यम वर्ग को क्षमा कर दें लेकिन उन कलाकारों से, पूज्य पंडित जी (श्री चतुर्भुज शर्मा की ओर संकेत कर) बैठे हुए हैं मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें । वे ऐसे कलाकार लोग हैं कि उनको मिनिस्ट्री मिली हुई थी लेकिन उन्होंने हवा का रुख देखा और उधर चले गये ।

श्री अध्यक्ष ——

अब आप समाप्त करें । समय हो गया है ।

श्री चौधरी रघुराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)——

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय ने अपना जो भाषण दिया तो उससे हमें उम्मीदें थी कि सरकारकी नीति, सरकार के आइन्दा प्रोग्राम साफ और तफसील के साथ बताये जायंगे लेकिन वह सब बहुत ही मुख्तसिर रहा और उसका कारण यह नजर आता है कि हमारी बिजारत बेसिर की हो गयी है । कारण हमारे मुख्य मंत्री सियासत के मैदान में चुनाव में भारी बहुमत से नाकामयाब रहे । जब जनता ने अपना फैसला सुना दिया तो फिर उस पर क्यों नहीं अमल होता इसका वाकयी हमें ताज्जुब है और यह जिद हमें आगे कहां तक पहुंचा सकती है यह तो भगवान ही जानते हैं । इतना जरूर जानता हूं कि इस रुंड से जो आवाज निकालने की राज्यपाल महोदय ने कोशिश की तो उसमें से कितनी आवाज निकल सकती है और

वह आवाज कहां तक कारामद हो सकती है। कुर्सी पर मुख्य मंत्री जी नहीं हैं लेकिन आवाज आती है कि:

दिल का कहा करना या दिलवर का कहा करना,
इस सोच में बैठा हूं कि आखिर मुझे क्या करना।

हमारे नारायणदत्त जी ने इस भाषण के सिलसिले में जो तरमीम पेश की है उनमें सब से पहली बात यह कही गयी कि इतने बड़े देश में परिवर्तन हो गया। एक पार्टी के हक में इतना भारी फैसला जनता ने दे दिया और उससे भी आंखें न खुलें। किसी को दल बदलू कह देना बहुत आसान है। मेरे मित्र जो अभी बोल रहे थे उन्होंने दल बदलू की व्याख्या की और उसकी कई श्रेणियां बतला दीं। मैं तो समझता हूं दो श्रेणी हैं। एक तो वे लोग हैं जो स्वार्थवश दल बदलते हैं और दूसरे वे जो उसूल पर बदलते हैं। जो उसूल पर बदलते हैं वह कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि "तू भी बदल फलक कि जमाना बदल गया"। कि जहां तक दल बदलने का इतिहास है तो भारतवर्ष का ही नहीं किसी भी मुल्क का इतिहास उठाकर देख लें, शुरू से अपने विचार के मुताबिक लोग दल में रहे और उन्होंने दल को बदला भी। कांग्रेस के इतिहास को देखें तो उसमें भी बहुत सी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं। जब हमारे देश और प्रदेश ने इस बात का फैसला कर दिया तो मैं इंतजार कर रहा था कि किस वक्त यह खबर मिले कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने जनता के फैसले का आदर किया और अपना त्यागपत्र दे दिया लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे बेचारे लाचार हैं, मजबूर हैं। जिस वक्त इन चार पार्टियों का गठ-बंधन हुआ था तो बदशुगनी वहीं से शुरू हो गयी क्योंकि चार आदमियों की जरूरत तब होती है जब कि किसी का जनाजा उठता है तो यह बदशुगुनी थी और वह वक्त भी जिसकी हम और आप उम्मीद कर रहे हैं आने वाला है।

जो गवर्नर साहब ने व्याख्यान दिया है उसमें किसानों और मजदूरों की जो छोटी-छोटी जरूरतें हैं और उनको तकलीफें हैं, उनकी तरफ कोई इजहार नहीं किया गया है।

अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे उधर के बैठने वाले लोगों को यह भी मालूम है कि बिजली के महकमें में किस कदर रिश्वतखोरी है और जिसके लिये उन्होंने कोई इन्त-जाम नहीं सोचा है। अगर उन्होंने कोई इन्तजाम रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिये सोचा है तो वह हमको भी बताया जाए, ताकि हम को वह मालूम हो सके। जो बिजली दी जाती है वह बड़े ही नाकिस तरीक से दी जाती है। प्राइवेट टयूबवेल्स के मालिकान के मोटर फुक जाते हैं और उनके ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि आए दिन इन चीजों को उनको खरीदना पड़ता है। बिजली का पैसा किसानों से मालगुजारी के बकाया के आधार पर-वसूल किया जाता है। अगर किसान बिजली का पैसा नहीं दे पाता है तो उसकी बिजली डिस-कनेक्ट कर दी जाती है। बिजली डिसकनेक्ट करने का क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि उस बेचारे की फसल बर्बाद हो जाएगी और बिजली का बकाया मालगुजारी के बकाया के तरीके से वसूल ही किया जाएगा। किसान कोई मालदार आदमी नहीं है, औसत दर्जे का इन्सान है। मजदूर भी गरीब है। बिजली की बकाया उस वक्त वसूल की जानी चाहिए जब कि किसान की फसल आ जाए। अच्छा होता कि राज्यपाल महोदय इस बात को बताते कि बजली की बकाया उस वक्त वसूल की जाएगी जब कि किसान की फसल कट जाएगी। उस वक्त आप बिजली की बकाया बहैसियत मालगुजारी की बकाया के तरीके से वसूल कर सकते हैं, मगर किसी भी हालत में जब किसान की फसल खड़ी हो, वह वसूली नहीं की जानी चहिये। अगर किसान किसी समय बकाया की आदयगी नहीं कर पाता है तो उसकी मजबूरी होती है, मजबूरी हर इनसान के सामने हो सकती है, बिजली का कनेक्शन डिसकनेक्ट करना ठीक नहीं है।

दूसरी बात मुझे ट्रांसफार्मर्स के बारे में कहनी है। ट्रांसफार्मर्स की कीमत किसानों से ही लीजाती है, जो बहुत बेजा है। ट्रांसफार्मर्स की हिफाजत करना सरकार का कर्त्तव्य है। इस मसले के बारें में, मैंने सुना है, हाई कोर्ट का कोई जजमेन्ट भी हुआ है। इन मामलात में बड़ी धांधलेबाजी चल रही है। आप भी इन बातों को समझते हैं, मगर दुहाई दी मसले जाती है किसानों और मजदूरों की हमदर्दी की। पहले के चन्द नारे थे, जो अब पुराने हो गये हैं। पहले नारा था जमींदारी खत्म कर दी गई। वे नारे तो अब फीके हो गये हैं और अब उन नारों पर सरकार का चलना नामुमकिन है क्योंकि जनता अब होशियार हो गई है और उन वादों को, जो उनसे किये जाते हैं अच्छी तरह से समझती है कि आप के वादों में कितनी हकीकत है। अब की मर्तबा जनता ने उस को वोट दिया है जो उसके मन में था। जनता ने अपना फायदा समझ कर इन्दिरा गांधी को जिताया है और मैं समझता हूं कि जनता ने ऐसा करके बड़ी अक्लमन्दी की है। अभी उधर से कहा गया कि खिचड़ी सरकार यानी मुश्तर्का सरकार चलेगी नहीं। अगर सेन्टर में भी ऐसी ही सरकार बन जाती तो क्या हालत होती ? जनता ने एक राय हो कर एक पार्टी को जिताया क्योंकि उस पार्टी ने केवल वादे ही नहीं किये बल्कि उन पर अमल भी किया। उसने बैंकों का राष्ट्रीय-करण भी किया।

तीसरी बात शुगर मिल्स के नेशनलाइजेशन के बारे में कही गई। इसके सम्बन्ध में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट कहां गई, कहां पड़ी हुई है, वह रिपोर्ट। बड़े-बड़े वादे किये गये थे और बड़ी-बड़ी तकरीरें की गई थीं और किसानों को बहुत-से फायदे भी दिखलाये गये थे। गवर्नर साहब ने भी अपने अभिभाषण में इस बात का कोई इजहार नहीं किया। वे भी क्या करते, उन्होंने तो बहुत कुछ किया। मरी घोड़ी को कोड़े लगाए, मगर वह उठ ही न सकी। यह तो भाग्य की बात है। इस तरह की बात कहना, दल बदल की बात कहना, मैं कहता हूं इन सब पर आप न जायं, आप को हकीकत पर जाना चाहिये। आप हकीकत को पहचानिये। तुलसी दास ने कहा है —"प्रभुता पाय काहि मद नाहीं, ऐसे नर थोड़े जग माहीं।" आपको अपने पास ताकत आने के बाद जनता का खयाल नहीं रहा। आपने जनता को भुला दिया। इस इलेक्शन ने हम को बता दिया कि जनता ने अपना चिन्ह गाय और बछड़ा पर लगा कर वोट देकर ठीक ही किया इस बात से किसी को इन्कार नहीं है। आपका तो बहुत पहले इस्तीफा आ जाना चाहिये था। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री के जिस्म से तो एक ही आवाज इस समय आ रही है —

लाई हयात आये, कजा ले चली चले,
अपनी खुशी न आय, न अपनी खुशी चले।

इन चन्द शब्दों के साथ माननीय नारायदत्त तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सदन इस संशोधन को भारी बहुमत से पास करेगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आज काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये अच्छा हो समय १०-१० मिनट कर दिया जाय।

सहकारिता उप मन्त्री (श्री महीलाल)—

हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

किसी को इसमें आपत्ति नहीं है, १०-१० मिनट बोलने को अब दिया जावेगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

एक शेर है :

"कज कुनाही तेरी, कज अदाई तेरी, लूटे लेती है जालिम दुहायी तेरी।
वह तो यो कहिये हर बात बस की नहीं, वरना दुनियां तेरा बांकपन सीख ले।"

(हंसी)

श्री चौधरी रघुराज सिंह—

इसी का उत्तर यह है —

"निकले भी तेरे घर से तो, किस काम के निकले।
दिल थाम के आये थे, जिगर थाम के निकले।

(हंसी)

*श्री विजयबहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। राजनीतिक पटल पर आज जो घटनायें हो रही हैं अगर उनका कुछ नतीजा हम निकालते हैं तो हमें उसके पहले देहात में उन झोपड़ियों में जाना पड़ेगा, उन गरीबों के घरों का निरीक्षण करना होगा, उनके हृदय पर हाथ रखकर, फिर अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचना होगा, हृदय की धड़कनों से पूछनाहोगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं और कब तक इस हालत में बने रहोगे।

श्रीमन्, संविद आई। उसकी अपनी एक भावना, अपना एक उसका दर्शन था और उसके प्रेरक प्रातः स्मरणीय पं० दीनदयाल उपाध्याय और डाक्टर लोहिया जी थे। इस दर्शन का प्रयोग उन्होंने उस समय किया जिस समय कांग्रेस का आधिपत्य पूरे देश पर था। उस समय उनके मन में आया कि आखिर बहुमत का यह आधिपत्य कसे टूटे और फलस्वरूप इस संविद का प्रयोग हुआ। उसका प्रयोग उस समय शुरू हुआ और आज भी होता है और हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रयोग हुआ और इधर पांच महीने से हो रहा है। अपने प्रदेश में संविद सरकार गठित हुई और उसका प्रयोग सफल रहा। गंगा, यमुना और सरस्वती की पुनीत धाराओं के संगम की भांति ही संविद का गठन हुआ। इस संविद का अपना एक महान नेता है, जिसकी त्याग और तपस्या भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम से लेकर आजतक कायम रही है। ऐसे ही व्यक्ति को संविद ने अपना नेता बनाया और उनके नेतृत्व में, ५ महीने के समय में जो भी कार्य हुआ है उससे इस देश में एक नया इतिहास बना है। इस कांग्रेस सरकार ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया था, जिससे दीनदयाल और लोहिया जी की आत्मा को शान्ति मिली होती। हमारी सरकार द्वारा उठाया गया एक एक कदम ऐतिहासिक कदम है। वह चाहे सवा छः एकड़ तक की जोत से लगान माफी का काम हो, चाहे कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता तथा उनके लिए वेतन आयोग गठित करने की बात हो, चाहे अध्यापकों को अधिक वेतन और बैंकों से वेतन भुगतान करने की प्रणाली हो। इन सब को इकटठा किया जाये तो २३ वर्ष के शासन में कांग्रेस सरकार ऐसी जनहितकारी कार्य करने में असमर्थ रही है। यह संविद शासन काल की अवधि उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी।

श्रीमन्, लोक सभा के चुनाव की बड़ी चर्चा की जाती है। मैं कहना चाहता हूं यह जो नतीजा चुनाव का निकला है, आज उसे उधर के लोग जनता का फैसला समझते हैं। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह जनता का फैसला नहीं है। ऐसा मानने वालों समझ लो, जो आप आज फैसला कर रहे हो, जो आप दल बदल कर रहे हो और करवा रहे हो, यह राजनीति के इतिहास में, जनतन्त्र प्रणाली के इतिहास में बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा और यह अवसरवादिता लोकतन्त्र में शत्रुता करार दी जाएगी। आप कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार में हमारा बहुमत है, लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं जिन्होंने आप को मत दिया है वह समझते थे कि २३ वर्ष तक एक ही वंश के हाथों में शासन रहा है लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है, अब चलो एक व्यक्ति आश्वासन देता है तो उस पर भरोसा करके उसे एक मौका दे दो। आपने आश्वासन दिया है कि हम गरीबी मिटाएंगे, बेकारों को काम देंगे, उसने आप के आश्वासनों पर भरोसा करके बहुमत दे दिया है, लेकिन वह यह समझता है कि आप के आश्वासन झूठे हैं।

आप क्यों भूल जाते हैं, आज बंगला देश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उस को पाकिस्तान ने बराबर आश्वासन दिया था, किन्तु अब वह बांगला देश उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए उठ कर खड़ा हो गया है। आप भी आश्वासन दे देकर उसके अपराधी होंगे और एक दिन वह भी आप के सामने आकर डट जाएगो। वह खेतिहर मजदूर हो, कृषक हो, मिलों का मजदूर हो वह दिन दूर नहीं जब ये सब आप के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वे बैलेट के बजाए बुलेट में विश्वास करने लगेंगे। आपको दल बदल का मौका कभी नहीं मिलेगा। आपने दल बदल कर के संविद पर जो आघात किया है, यह संविद या किसी व्यक्ति विशेष पर आघात नहीं है, बल्कि सारी ईमानदार और लोकतन्त्र पर विश्वास करने वाली जनता के साथ विश्वासघात है। इसके लिये आने वाला समाज आपको धिक्कारेगा, मारेगा, पुचकारेगा नहीं और आप को प्रजातन्त्र का दुश्मन करार देगा।

इस सदन के बाहर आज नहीं तो कल जनता का सामना करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि समाजवाद लाने की बात कही जा रही है? समाजवाद कैसे आयेगा। जब माननीय चौधरी चरणसिंह ने कहा कि जमीन पर सीलिंग करेंगे तो उनकी तरफ से कहा गया कि सीलिंग नहीं होनी चाहिए। आज वह समाजवाद लाएंगे? लक्ष्मीरमण जी कल परिवहन मंत्री थे आज वह इस कुर्सी से उठ कर उस कुर्सी पर चले गये। (सरकारी बेंचों की ओर "शेम शेम" की आवाजें) आप कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। मैं कहता हूं कि आपने सरकार में रह कर जो लाखों रुपये का गबन किया है, पक्षपात किया है उसका हिसाब चाहे आने वाली सरकार न कर पाये, माननीय न कर पायें, लेकिन उसका हिसाब जनता जरूर करेगी। आप के बैंक के खाते में कितना रुपया है? इससे समाजवाद आयेगा? (शोर) इस सदन में मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय भूतपूर्व परिवहन मंत्री ने पांच लाख रुपये का गबन किया है। गड़बड़ घोटाला किया है। जो उन्होंने नियुक्तियां की हैं सारी की सारी गलत नियुक्तियां की हैं। आज वह चले हैं उस तरफ पाप छिपाने के लिये। इस तरह से उनके पाप, उनके अपराध क्षमा नहीं होंगे जब तक जनता क्षमा नहीं करेगी। हमारे सत्तारूढ़ व्यक्ति पाप क्षमा नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो जनता क्षमा नहीं करेगी।

मेरी भी आचार्य नरेन्द्रदेव और महान् डाक्टर लोहिया के प्रति श्रद्धा है। मैं अपने सोशलिस्ट साथियों से कहना चाहता हूं जो साथी आज इस तरफ से उस तरफ बैठने लगे हैं, अगर उनके मन में कल्पना है कि समाजवाद आयेगा, मैं कहता हूं कि समाजवाद आयेगा नहीं मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि वे आचार्य नरेन्द्रदेव की समाधि पर, डाक्टर लोहिया की समाधि पर जा कर फिर से विचार करें। यदि उन्हें यह विश्वास हो जाय कि ये लोग समाजवाद ला सकते हैं तो मैं भी उनका साथ देने के लिये तैयार हूंगा। अगर उनका समाधि पर विचार हो कि समाजवाद नहीं आयेगा....

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि समाजवाद आयेगा नहीं। डाक्टर लोहिया एक महान विचारक थे। उन्होंने ने कहा था कि अगर टूटना पड़े तो विचारों में टूटों, कर्म क्षेत्र में टूटों, कर्मक्षेत्र में जा

[श्री विजय बहादुर सिंह]

कर लड़ो। अगर टूटों तो समाज की ऐसी खाद बन जाओ जिससे जनतन्त्र की जड़ें मजबूत करों और समाजवाद को बल दो। आपने उसे गिरा दिया। वह आत्मा भी आपको कोसती रहेगी। इन शब्दोंके साथ मैं राज्यपालके भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय तेजमान सिंह।

(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के खड़े होने पर सरकारी बेंचों की ओर आवाजें और डेस्कों की थपथपाहट)

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के भाषण.....

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---

मान्यवर, कुछ व्यक्तिगत बातें कही गयी हैं इस लिए बोलना चाहता हूं।

(सरकारी बेंचों की ओर से बेंचों की थपथपाहट)

कुंवर तेजभानसिंह---

मान्यवर, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि दल बदलना कार्य निन्दनीय है। (शोर) मगर संविद के साथियों ने जनतन्त्र को ठुकरा दिया है। उन्हें शर्म आना चाहिये जिन्होंने अपने मुख्य मंत्री की नैतिकता को कुचला है, जिन्होंने संविद के प्रशासन में, जिले में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण दीजिये।

कुंवर तेजभान सिंह---

उन्हें शर्म आना चाहिये जिन्होंने जनसंघ और सिंडिकेट का गुट बना कर संविद को विकृत किया है और इसी कारण हम लोग संविद को छोड़कर इन्दिरा जी की नई कांग्रेस में, उनके नेतृत्व में आ गये है जिन्होंने समाजवाद का नारा बुलन्द किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले।

कुंवर तेजभान सिंह---

संविद के काले कारनामे देख कर, जिसके घटकों ने टी० एन० सिंह० की नैतिकता को कुचला है, जिन्होंने उनको अपने चंगुल में फांस कर त्याग पत्र न देने के लिये विवश किया है, जिन्होंने सूबे भर में भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया है उनके इन कारनामों से विवश हो कर हमने नई कांग्रेस को अपनाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप राज्यपाल के अभिभाषण पर ही बोलें।

कुंवर तेजभानसिंह--

संविद की सरकार में चारों तरफ रिश्वतखोरी का बोलबाला रहा। बच्चे बच्चे के अन्दर आज प्रदेश में यह भावना भर गयी है कि सिंडिकेट तो जनसंघ के गठबन्धन से बनी है यह संविद की सरकार भ्रष्ट हो गयी है, इसे हटा देना चाहिये। संविद के भ्रष्ट लोगों जरा चेतो, संभलो, जनता तुम्हारे साथ नहीं है।

(इस समय १२ बजकर ५५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

हम लोग जनता के सिपाही हैं। इस तरह से प्रशासन नहीं चलेगा। जनता नौकरशाही के जुल्मों से कराह रही है। जनता संविद के काले कारनामों से परेशान है। इसीलिये हम लोगों ने सोचा कि इस प्रशासन को सुधारना चाहिये, इसीलिय इन्दिरा जी की कांग्रेस में शामिल होना आवश्यक समझा। मैं मानता हूं कि दल बदल करना गलत काम है। लेकिन संविद के भ्रष्ट तथा काले कारनामों को देख कर तबियत नहीं हुई मेरी तथा मेरे अन्य साथियों की कि हम संविद में रहें।

मान्यवर, हमको दुख हो रहा है कि जो ये लोग छींटा-कशी कर रहे हैं और अपने काल कारनामों पर विचार नहीं कर रहे हैं। जनता ने दिखा दिये है कि संविद के जो ये घटक हैं उनका रास्ता ठीक नहीं है। जनता के चुने हुये प्रतिनिधि तो हम भी हैं। आज जनता संविद के काले कारनामों से परेशान है। जिस विभाग को मान्यवर, देखा जाय उसमें भ्रष्टाचार का ही बोल-बाला दिखाई देता है।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संविद के मंत्रीगणों का तो पत्ता कट गया है इसीलिये वे किसी को नहीं सुन रहे हैं।

कुंवर तेजभान सिंह--

मान्यवर, संविद के किसी भी मंत्री के कामों से जनता को संतोष नहीं है। हम लोग दल बदलना नहीं चाहते थे किन्तु मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूं कि इन लोगों के काले कारनामों से हमको मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा है। इस प्रदेश में शुद्ध प्रशासन चलेगा।...

(व्यवधान)

बांकेलाल जी, आपको शर्म आनी चाहिये, इन मंत्रियों ने आपके लिये क्या-क्या कहा और क्या क्या नहीं कहा।...

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

अब आप गोमती में जाकर डूब मरो।

चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण को, जिसपर कि आज यहां पर इस सदन में चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि विरोधी दल के लोगों ने पढ़ा नहीं है। उनकी आंखों में इंदिरा गांधी की पट्टी बन्धी हुई है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वह चीजें आयी हुई हैं जो मौजूदा संविद सरकार ने जो काम किये हैं और आगे जो यह सरकार करने वाली है उनका संकेत है।

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

मैं कहना चाहता हूं कि पिछले २२-२३ सालों में कांग्रेस की सरकारों ने ऐसे कार्य नहीं किये हैं जिनको संविद सरकार से ३-४ महीनों के ही दरम्यान में ही करके दिखा दिया है। मान्यवर, आप देख रहे हैं और प्रदेश की सारी जनता देख रही है कि आज जो विरोधी बेन्चों पर बैठने वाले लोग हैं उनमें आधे से ज्यादा संख्या दल-बदलुओं की है। मैं कहना चाहता हूं कि दल बदल करने वाले लोग किस प्रकार स्वच्छ प्रशासन लाकर जनता के वायदों को पूरा करेंगे जिन्होंने कि कुर्सी के लालच पर आज दल-बदल किया है और इस तरह से जाकर उधर बैठे हैं। मान्यवर, हमारे एक बाबाजी बोल रहे थे। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे पास इनका लिखा हुआ एक पत्र है इन तेजमान जी का मैं उसको पढ़कर सुना देना चाहता हूं---"दिनांक २२-३-७१ को 'नेशनल-हेराल्ड समाचार-पत्र में प्रकाशित १३ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों का संविद से अलग होने का समाचार" नितान्त भ्रामक, निराधार एवं मिथ्या है। हम निम्न हस्ताक्षरित विधायकों ने कभी भी अपना संविद से अलग होने का निर्णय नहीं लिया है और न तो संपादक अथवा संवाददाता "नैशनल हेराल्ड' से इस प्रकार की बात ही की है। हम लोग संविद में विद्यमान हैं और उसके प्रति हम लोगों की आस्था यथा पूर्व ही है। संविद के स्थायित्व में संपूर्ण प्रदेश का हित है। हम सभी उसे दृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिये कृतसंकल्प हैं। इस प्रकार के भ्रामक समाचार की हम लोग भर्त्सना करते हैं। हस्ताक्षर---

तेजभानसिंह, श्यामसूरत उपाध्यक्ष, राजितराम पांडेय, रामपूजन पटेल, रामदेव दूबे, रामचरण त्रिपाठी।

तो यह २२ तारीख का पत्र है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि २२ तारीख तक संविद की सरकार बहुत अच्छी थी। २२ तारीख तक तो बहुत अच्छा प्रशासन था। २३ तारीख को एक रात में ही कैसे वह खराब हो गया। साफ बात है कि यह कपूर होटल का मामला है। इन्दिरा के सचिव यशपास कपूर ने दल बदलू विधायकों को रुपये से खरीदा है।

(व्यवधान)

कुंवर तेजमान सिंह---

यह झूठे हैं, यह बनाकर कहते हैं। जो लोग अखबार पढ़ते हैं वह जानते होंगे....

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

बनारस में गोली चली, औरैया में गोली चली उसी वक्त हम लोगों ने अखबारों में इशारा किया कि यह भ्रष्ट सरकार है, गोली चलाने वाली सरकार है, कांग्रेसी सरकार की तरह डा० लोहिया की नीतियों का हनन करने वाली सरकार है, इसको इस्तीफा देना चाहिये। और ये अपनी कुर्सियों पर चिपके रहे, इधर-उधर करते रहे। हम लोगों का जो नाम लिया जा रहा है वह गलत है। आज हम लोग नीतियों पर लड़ने वाले हैं। इनकी समाजवाद विरोधी नीतियों ने देश को चौपट कर डाला है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक स्पष्टीकरण दिया, पत्र पढ़ कर सुनाया। तो इससे सारी स्थिति साफ हो जाती है। मान्यवर, विरोधी दल के नेता भले ही ऐसे लोगों को जिन्होंने दल बदला है माफ करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता दल-बदल करने वाले विधायकों को माफ नहीं करेगी। आज जो लोग इस सरकार को गिरा देना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस प्रदेश में समाजवादी कार्यक्रम न चले, जो चाहते हैं कि जमीन का बटवारा न हो, जो चाहते हैं कि जमीन की सीलिंग न की जाय। क्योंकि इन सबकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़े बड़े फार्म हैं। ये वे लोग हैं जो

चहते हैं कि कर्मचारियों का वेतन न बढ़ाया जाय। आज राज्यपाल के अभिभाषण में इन बातों का संकेत किया गया है। संविद सरकार ने वह काम किये हैं जो पिछले २२ वर्षों में इन निकम्मे कांग्रेस के लोगों ने नहीं किये।

संविद सरकार ने डाक्टर लोहिया के सपने को पूरा किया है। मान्यवर, आप जानते हैं, डा० लोहिया का साथ आपका बहुत दिनों तक रहा है। मरते वक्त उन्होंने डा० लोहिया ने क्या कहा था? यही कि उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या होगा? सवा ६ एकड़ को लगान माफी का क्या होगा? इसी लगान माफी के मामले को लेकर समाजवादी दल संसोपा संविद सरकार को तोड़ा था। आज सौभाग्य है कि इस संविद सरकार ने सवा छः एकड़ लगान माफी का ऐलान किया। विधान सभा में कानून बनाया है। इसी रबी की फसल से लगान हमेशा के लिये खात्मा कर दिया गया है। इससे इस प्रदेश की ८५ फीसदी जनता किसानों का फायदा हुआ है। संविद सरकार ने सवा छः एकड़ तक लगान माफ कर दिया है। इस सरकार ने प्रदेश में भूमिहीनों को जमीन देने की योजना बनाई है। वही भूमिहीन माना जायेगा जिसके पास बिलकुल जमीन नहीं है।

आज इस सरकार ने अध्यापकों तथा सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है। सरकारी कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने के लिये एक आयोग का गठन किया गया है। इससे इस सरकार ने साबित कर दिया है कि वह अपने राज्य कर्मचारियों और अध्यापकों की मांगों के प्रति जागरूक है। इस सरकार ने किसानों को सुविधायें दी हैं। अब तक बिजली के ऊपर किसानों को १२० रु० प्रति हार्स पावर देना पड़ता था, उस में इस सरकार ने प्रति हार्स पावर २० रुपया माफ कर दिया है। यह किसान, मजदूर तथा गरीबों की सरकार है। अध्यापकों तथा सरकारी कर्मचारियों की सरकार है। जो लोग इस सरकार को गिराने की घात में लगे हुये हैं वे अपने स्वार्थों के कारण ही लगे हुये हैं। यह चाहते हैं कि अगर यह सरकार बनी रहती है तो हमारी सम्पत्ति को नुकसान होगा, हमारे साधनों को नुकसान होगा और हमारे कारनामे खुलेंगे क्योंकि २०-२२ वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। उधर चले जाने से आदमी और आचरण नहीं बदल गया है। वे तो वही हैं जो २०-२२ साल से हुकूमत करते आये हैं।

आज विरोधी दल में १०० भूतपूर्व मंत्री हैं। जो भूतपूर्व मंत्री होते जाते हैं वे उधर चले जाते हैं। क्या मामला है कि उधर ही ये सारे भूतपूर्व मंत्री इकट्ठे हो गये हैं? क्यों यह गिरोह बनता चला जा रहा है? नारायणदत्त बहुत कहा करते हैं, इनको तो चौधरी चरण सिंह जी ने निकाल फेंका था। यह भी सरकार में थे लेकिन अच्छा काम नहीं करने देते थे। शुगर मिल्स का इन्होंने राष्ट्रीयकरण नहीं करने दिया। इसलिये उनको बर्खास्त किया गया। इसके बाद वे उधर चले गये। उधर के सब भूतपूर्व मंत्री लोग निकाले हुये हैं। इनको टी० एन० सिंह की सरकार भी अच्छा नहीं समझती थी। एक मंत्री, लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने इस्तीफा दे दिया लेकिन वे अपने दफ्तर में अपने लोगों को स्कूटर का परमिट बांट रहे थे। हमारे साथियों ने उनको घेरा तब वे पिछले दरवाजे से भाग गये। इस्तीफा देने के बाद कैसे फाइल्स को डील कर रहे हैं और परमिट बांट रहे हैं? विरोध में बैठने वाले ऐसे ही लोग हैं। जो दल बदल कर आये हैं या निकाले हुये मंत्री हैं, कुछ लालची हैं जो कुर्सी के लालच में उधर जाकर बैठ गये हैं।

जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है वह इतना अच्छा और सरकार की नीतियों का ऐसा संकेत आज तक सदन में पेश नहीं हुआ है। यह समाजवाद के लिये तथा प्रदेश की ८ करोड़ जनता के लिये बहुत ही अच्छा है। विरोधी दल के लोग डरते हैं कि अगर यह सरकार बनी रही तो हम लोगों की जमीन बंट जायेगी और गरीबों को राहत मिल जायेगी।

हरिजनों तथा अछूतों के लिये ही यह अभिभाषण बहुत अच्छा है। कांग्रेसी सरकारों ने २०-२२ साल में ही केवल इनके लिये ३ परसेंट या ५ परसेंट तक ही सरकारी नौकरियों में

[श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव]

रिजर्वेशन दे पाया है। लेकिन संविद सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी नौकरियों में अछूतों को २५ परसेंट रिजर्वेशन देंगे। पिछली कांग्रेसी सरकारें हरिजनों को केवल ३ परसेंट रिजर्वेशन दे पाई लेकिन संविद सरकार ने ४५ परसेंट रिजर्वेशन देने का एलान किया है और कानून बनाया है।

मान्यवर, इस संविद सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हम शकर की मिलों का सहकारीकरण करेंगे, हम उनमें मजदूरों का भी हिस्सा रखेंगे। मगर ये लोग यह काम करने नहीं देना चाहते, अपने स्वार्थ के लिये इस प्रदेश का नुकसान करना चाहते हैं। इसलिये मैं उन लोगों से जो समाजवाद की दुहाई देते हैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद उधर नहीं है। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहने से आयेगा। वह करने से आयेगा। वह लोग राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ें और किसी भुलावे में न आयें और यह देखें कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीतियों का संकेत किस तरफ है। इन्दिरा गांधी की आंधी और लोक सभा के चुनाव के बारे में भी इन लोगों को बड़ा भ्रम है। इस देश में ५५ करोड़ आदमी रहते हैं जिसमें से २५ करोड़ जनता वोट देने लायक है। लेकिन लोक सभा के चुनाव में इन इंडिकेटी उम्मीदवारों को सिर्फ ५–६ करोड़ जनता ने ही वोट दिया है और ५० करोड़ आदमी इनके खिलाफ हैं। इन्दिरा के खिलाफ हैं। देश में इनका बहुमत नहीं है। जनता इनको निकम्मा और नालायक समझती है।

मैं अपने उन साथियों से जो उस आंधी में उड़ गये हैं, कहना चाहता हूं कि यह जनता का फैसला नहीं है। इनका नारा था वोट दो जगजीवनराम की कांग्रेस को, अब वह संजीवैया कांग्रेस हो गई, और हाथ मजबूत करो इंदिरा गांधी के। क्या नाटक है यह? अछूतों को तोड़ने के लिये धोखा देने के लिये यह सारा नाटक रचा गया। इन सब लोगों की, इन्दिरा की प्लानिंग तानाशाही व्यवस्था इस देश में कायम करने की है। ठीक है, माननीय छांगुरराम जी कहते हैं कि अछूत नहीं टूटता। बिल्कुल सही बात है। मैं देख रहा हूं कि दल बदल इन ऊंची जातिके लोगों ने की है जिन को कोई हया शर्म नहीं है। इस प्रदेश की हरिजन जनता को बड़ी नैतिकता है। आज इन दल बदलुओं ने सारे समाज को गिरा दिया है और यह कहते हैं कि हम हरिजनों की भलाई करेंगे। हरिजनों की भलाई पंडित महाराज करेंगे? जिन्होंने सामाजिक शोषण हमेशा किया है। हरिजन की भलाई सच्चा समाज वादी ही करेगा। हरिजनों की भलाई कमलापति त्रिपाठी जी नहीं कर सकते। अभी सतिया हत्या कांड का किस्सा किसी को भूला नहीं है। जो इस प्रदेश के हरिजनों के ऊपर अत्याचार किये जा रहे हैं, वह इस प्रदेश के हरिजन जानते हैं। जो गरीबों के साथ इतनी ज्यादती करे वह कैसे उनको राहत पहुंचायेंगे?

कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा। मैं कहता हूं कल मध्यावधि चुनाव हो जाय और यह जो दल बदल करने वाले लोग हैं जनता इनको लानत भेजेगी और ये दोबारा लौट कर विधान सभा में आ नहीं सकते क्योंकि अपने क्षेत्र की जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। नैतिकता की बात अगर ये दल बदलू विधायक लोग करते हैं तो इन को पार्टी से त्याग-पत्र देने के साथ ही साथ विधान सभा से भी त्याग-पत्र दे देना चाहिये और दोबारा चुनाव लड़ें जनता चाहे तो इनको चुन कर भेजे या ठोकर मारेगी। यह राज्यपाल का अभिभाषण इतना ऐतिहासिक है कि पिछले १८ साल के कांग्रेस शासनकाल में ऐसा अभिभाषण नहीं हुआ और संविद की सरकार ने माननीय टी० एन० सिंह के नेतृत्व में केवल ४ महीने में जो कार्य कर के दिखा दिया है वह कोई सरकार करके दिखा नहीं सकती। यह संविद की सरकार बधाई की पात्र है और गरीब जनता को राहत पहुंचाने वाली समाजवादी कार्यक्रमों को पूरा करने वाली गरीब जनता की सरकार है।

इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल क अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करता हूं।

*राजा रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की जो मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बड़े ध्यान स सुना और ध्यान से पढ़ा भी, परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि उसमें जन साधारण के स्वास्थ्य सुधार और शुद्ध खाने पीने के लिये कुछ भी प्रबन्ध करने की बात नहीं कही गई है। हमारे खाने के लिय, अशुद्ध खान पान बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रहा है। जन साधारण का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, चरित्र बिगड़ता जा रहा है। शुद्ध वस्तुओं के प्राप्त करने में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अशुद्ध वस्तुयें ही आज बाजारों में उपलब्ध होती हैं। शुद्ध घी दूध न मिलने के कारण रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। परन्तु शुद्ध घी दूध की बात कौन कहे, शुद्ध दालडा भी बाजार में मिलना कठिन हो रहा है। यह पता लगाना कि यह पूड़ी शुद्ध घी की बनी है, बहुत कठिन हो गया है।

मैंने प्रथम विधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा गया था कि जो यह कृत्रिम घी बनता है उसमें कोई रंग मिला दिया जाय ताकि पहचान रहे क्योंकि वह लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो गया था। उसके बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि कोई ऐसा रंग ला देगा तो उस को २५ हजार रुपया का इनाम दिया जायगा। तत्पश्चात् मैं विधान परिषद् में गया तो मैंने वहां पर प्रश्न किया कि यह बताया जाय कि क्या कोई ऐसा रंग अभी तक मिला या नहीं? बताया गया कि बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की और चिकित्सकों से भी राय ली गई लेकिन ऐसा रंग अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका। मुझे खेद है कि उसके बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कृत्रिम चीजें खाने से मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि शुद्ध खाना पीना होगा तो उससे चरित्र में भी सुधार होगा और देश भी उन्नति करेगा। शुद्ध खान पान न मिलने के कारण लोगों के मस्तिष्क पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग आपस में जल्दी ही लड़ जाते हैं। परिवार में ही लोग आपस में जल्दी ही लड़ जाते हैं। एक दूसरे को मारते हैं और भारी कलह करने पर उतारू हो जाते हैं। इसका मूल करण यही है कि शुद्ध खान पान न होने के कारण शुद्ध विचारों का निर्माण भी नहीं हो पाता है।

मैं देखता हूं यहां पर समाजवाद की बातें बहुत कही जाती हैं और उसके विषय में बहुत बड़े-बड़े भाषण दिये जाते हैं लेकिन जब तक समाज के सुधार के विषय में ध्यान नहीं दिया जायेगा तो यहां पर समाजवाद पनप नहीं सकता है। यदि समाज को सुधारने का प्रयत्न किया जाय तो वह देश के लिये बहुत लाभकारी होगा और समाजवाद की स्थापना जल्दी यहां पर हो सकेगी। मैं यहां पर देखता हूं कि क्रान्तिकारी बजट लाने की बात कही जाती है लेकिन उस तरफ लोगो का ध्यान नहीं जाता है। यहां पर अधिक चर्चा जो होती है, वह अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार ही होती है कि कौन दल कितनी शक्ति रखता है। यहां की चर्चा को देख कर ऐसा मालूम पड़ता है कि यहीं पर चुनाव हो रहा है।

मैं इस बात को नहीं कहता कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई अच्छी बात नहीं कही गई बल्कि काम भी बहुत से ऐसे हुये हैं जिन को अच्छा कहा जा सकता है। अच्छे कार्य हुये हैं फिर भी जो मुख्य बात है, उसको छोड़ दिया गया है। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में १९६९ में नशाबन्दी की बात कही थी। यह कहा गया था कि प्रान्त में प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को शराब की दुकानें बन्द होंगी लेकिन मुझे खेद के साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा रणंजय सिंह]

कहना पड़ता है कि अभी तक शराब की दुकानें मंगलवार को भी खुलती हैं। पुलिसवालों से कहा जाता है कि इनको बन्द कराओ तो वे कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं है कि हम दुकानों को उस दिन बन्द करा सकें। शिक्षण संस्थाओं, पाठशालाओं, चर्चों, और मन्दिरों से २०० गज की दूरी तक शराब की दुकान बन्द करने के लिये कहा गया था लेकिन मैं देखता हूं कि अभी तक वही बात है।

वे सरकारी कर्मचारी भी ऐसे लोग हैं जो कहने पर भी, समझाने पर भी ध्यान नहीं देते और कहा जाता है कि नीलाम की बोली होती है वह ज्यादा पैसा देते हैं और यह सही बात है कि हर साल नीलाम की ठेके की रकम बढ़ती जाती है। समय के अलावा भी पैसा खिलाकर दुकानें खुली रहती हैं और यहां तक कि कर्मचारी और दूसरे लोग भी शराब पीते हैं। यह देख कर मुझे बड़ा दुख होता है, यह देख कर कि सड़क पर थोड़ी उम्र के लोग, जवान और बूढ़े पीकर घूमा करते हैं। पहले कोई भी ऐसा नहीं था, लोग इन नशे की चीजों से घृणा करते थे लेकिन आज वही लोग पीने में आगे बढ़े हुये हैं। इसी के लिये मैंने आज माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर यह उचित समझा कि देश की और समाज की इन समस्याओं पर कुछ प्रकाश डालूं।

मैं समझता हूं कि सरकार यहां कोई भी रहे, मैं इस बहस में नहीं जाता। कोई न कोई सरकार तो रहेगी ही या राष्ट्रपति शासन रहेगा क्योंकि राज्य तो चलना ही है। हर सरकार को जन साधारण के स्वास्थ्य पर, उसके चरित्र पर अधिक ध्यान देना होगा, यदि हमें अपनी भावी पीढ़ियों को वीर और बलवान बनाना है। लेकिन आज देश की स्थिति क्या है और पड़ोस के देशों में किस तरह की हलचल मची हुई है। पूर्वी पाकिस्तान में आज हलचल मची है, जगह-जगह पर तो क्या, हमें अपने देश और प्रदेश के लिये कुछ करना नहीं है? एक वीर पुरुष ने जिसने बंगला देश की स्वतन्त्रता के लिये तत्पर होकर, प्राण हथेली पर रखे हैं, उसी तरह से हम और हमारे नौजवान भी तत्पर हो जायं और समाज में उन्नति लायें तो कितना अच्छा हो। हम व्यायाम आदि से, रक्षा के उपायों से, अपने विचार आदि से यदि शुद्ध हों, ऐसा वातावरण देश में पैदा करें तो जो गडबड़ आज हो रही है, वह सब नष्ट हो जाय। लेकिन दुख है कि इन आवश्यक बातों पर हमारे यहां कोई उचित ध्यान नहीं दिया जाता है, चर्चा मात्र तो होती है लेकिन कोई वास्तविक सुधार इस दिशा में नहीं होता।

मैं भी एक प्रतिनिधि यहां होकर आया हूं, मैं केवल अपने क्षेत्र की बात नहीं कहता बल्कि पूरे समस्त प्रदेश के लिये मुझे कहना है और मैं अपना कर्त्तव्य समझ कर आप से निवेदन करता हूं, मेरी बात मानी जाय या न मानी जाय; मैं तो बहुत कम बोलने के लिये खड़ा होता हूं, मैं इधर के माननीय सदस्यों से और उधर के भी माननीय सदस्यों से नम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके आप सब मूल कारणों पर विचार करें और वह उपाय करें जिससे समाज का और देश का सुधार हो। समाजवाद की बात तो कहने के लिये है और केवल कहने से ही कोई लाभ न होगा।

समाजवाद के लिये या समाज सुधार के लिये कुछ व्यापक कदम उठाने होंगे और प्रदेश में उसके लिये काम करना होगा, अनिवार्य रूप से कोई योजना लाकर उस के लिये कार्य हो तभी वास्तविक समाजवाद यहां आ सकता है। आज हमारे यहां बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं कि जिन को देख कर दुख होता है। हम लोग गांवों में काम करने वाले हैं और वहां की जो हालत है उस का वर्णन करने में बहुत समय लग जायगा, इस समय हमारे पास पर्याप्त समय वह सब बताने के लिये नहीं है। उनके सुधार के लिये यदि हम अपना ध्यान आकृष्ट नहीं करेंगे, हम में उसके लिये तत्परता नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकेगा। हमें समाज सुधार के लिये बहुत कुछ अभी करना है, आज समाज की बड़ी दुर्दशा है। कैसी कैसी बातों का, सत्य और अंहिस का नाम लेकर, सत्य को ईश्वर का अंश मान कर प्रचार किया जाता है और किस तरह

से हम देखते हैं कि सत्य और अहिंसा का गला घोटा जा रहा है। यह सब तभी ठीक हो सकता है जब हमारा समाज सुधरे। उस के सुधार के लिये अब हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा।

जब तक स्कूल और कालेजों में युवकों के चरित्र निर्माण की ओर हमारा ध्यान नहीं जायगा, जब तक हम उन्हें सत्यशील और वीर बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक वहां विद्वान और विवेकी नवयुवक नहीं तैयार होंगे और इसी प्रकार नाना प्रकार की अशांति के कार्य होते रहेंगे और शांति नहीं मिलेगी। इसीलिये हमें सर्वप्रथम समाज सुधार की ओर ही अपना ध्यान देना चाहिये, इसके लिये जो कुछ भी हो सके वह करना चाहिये।

सरकार से और आने वाली सरकार से बार-बार यही प्रार्थना करके और अधिक समय न लेकर, मैं बैठ जाऊंगा, इस तरह से देश को आप शक्तिशाली बना सकेंगे और जो भी योजना आप चलायेंगे वह सफल होगी। आज हो यह रहा है कि योजना बनती हैं लेकिन वे सफल नहीं होतीं। आज मस्तिष्क शुद्ध नहीं हैं और जो कागजी घोड़े दौड़ते हैं उन से ही लोग सन्तुष्ट हो जाते हैं, रोज रिपोर्ट और प्रतिवेदन आते हैं कि इतने पुल बने, इतनी नहरें बनीं, इतनी सड़कें बनीं लेकिन वह सड़कें, नहरें सफलतापूर्वक कार्य नहीं करतीं। कारण यह है कि हमारे मस्तिष्क, हमारे विचार, जब तक शुद्ध नहीं होंगे, निःस्वार्थ सेवा करने के भाव नहीं होंगे, तब तक सफलता नहीं हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम लाल चतुर्वेदी.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं केवल २–३ चीजें कहना चाहता था गुस्से में हैं, हम लोग, लेकिन गुस्से में होने में यदि कोई ऐसी बात कही जाय जो सत्य से परे हो तो कहां तक उचित है। मेरे मित्र ने ५ लाख रुपये का जिक्र किया उस बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष—

आप कुछ व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए बोल रहे हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचाय—

हां, श्रीमन्, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये बोल रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकों के खाते तो खुले हुए हैं और मेरा बैंक में खाता एक मथुरा में है और एक यहां पर है और मेरे किसी भी खाते में ५–७ हजार से ज्यादा रुपया नहीं है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि कोई बात मिथ्या कहनी है तो कोई संतुलन तो होना चाहिए, बिना संतुलन के तो नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी चीज सत्य हो तो मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन से सदा के लिए चला जाऊंगा किन्तु कृपा करके ऐसी बातें तो न कहिए। एक मित्र ने स्कूटर आदि के बारे में कहा, उस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने त्याग-पत्र दिया, उसके बाद मैं कभी भी कार्यालय में नहीं गया और उसी दिन की संध्या से मैंने मोटर गाड़ी भी वापस कर दी और उस के बाद जो भी पत्रावलियां गयीं, उन सब को ज्यों की त्यों वापस कर दीं। तो इस प्रकार की बातें कहना मुनासिब नहीं हैं। माननीय बसन्त लाल जी कुछ जिक्र कर रहे थे, मैं लम्बी चौड़ी बातें तो नहीं करना चाहता क्योंकि सदन की भावना क्षुब्ध है। यदि मैं उन को कहूं तो सदन का वातावरण अच्छा नहीं रहेगा। मेरा जैसा व्यक्ति कभी भी यदि सिद्धान्तों

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

के बलबूते पर किसी तरफ की बात करता है तो उनके सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि मेरे और उनमें कोई अन्तर नहीं है। चाहे हम उधर बैठे हो या इधर। हम सब बैलों की जोड़ी पर जीतकर आये हैं। हमारे सिद्धान्तों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज सिद्धान्तों के रूप से.....

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मोतीलाल देहलवी)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री उपाध्यक्ष—

इनके स्पष्टीकरण के बाद आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

श्रीमन्, आपने दूसरे सदस्य को बोलने के लिए पुकारा था। जब वे अपना भाषण समाप्त कर लें तब आप इनको अपना स्पष्टीकरण करने की आज्ञा दें और तभी वे अपनी सफाई भी दें। जब आप ने दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिये कह दिया तो उनके अलावा माननीय आचार्य जी को बोलने का मौका देना कहां तक उचित है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो घटना होगी, मेरे आने के पूर्व ही हुयी होगी। जब माननीय अध्यक्ष जा रहे थे तो जाते समय उन्होंने कहा था कि इनको समय पहले दिया जाय। उस समय शायद ये उठे नहीं या सदन में थे नहीं। उस वक्त जब अध्यक्ष के समय में कोई बात हुई हो, हमें यह कहना चाहिये, जब आप आ गये तो आपका स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, जैसा मैंने कहा, मैं प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन पर बोल रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों के बीच में से आना मुझे कोई सुखद नहीं लगता किन्तु जहां प्रश्न ऐसा आया उस प्रश्न को मैंने चुनाव के बाद से उठाया। उसे उठाना मैंने अपना कर्त्तव्य समझा। मेरे मित्रों को यदि इससे क्षोभ हुआ है तो मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं।

(माननीय सदस्य, श्री प्यारेलाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय आचार्य जी ने स्पष्टीकरण कर दिया है। आप कुछ नहीं कह सकते।

*श्री राम लाल (जिला देवरिया)—

मैं आपकी आज्ञा से उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो श्री रामसिंह द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद के लिये प्रस्तुत हुआ है। हमारा प्रदेश काफी बड़ा प्रदेश है और हम लोगों ने अपने देश में संकल्प किया है कि हम ऐसी व्यवस्था देश में ले आयेंगे कि लोगों को सुख से अन्न और भोजन मिल सके। हम उनको दवा दे सकें। हम शुरू से ही, चाहे हम इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, अपने देश में समाजवाद लाने की बात करते रहे हैं। आज समाजवाद शब्द ऐसा बन गया है कि हर आदमी उसे कहता है—

"ब्रह्मज्ञान बिनु नारि–नर करहिं न दूसर बात।
कौड़ी लागि मोह बस, छाड़हिं सकल जमात।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात करते हैं समाजवाद की और जो मान्यतायें हैं बन्धुत्व, मित्रता मिलकर काम करना छोटे-छोटे स्वार्थों में मित्रों को न छोड़ना, इन बातों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे राज्यपाल महोदय ने जो अपना भाषण दिया है इस प्रदेश की सरकार के लिये जो नीति निर्धारित की है वह काफी अच्छी नीति है।

पिछले पांच महीनों में सरकार ने कुछ काम किया है और ऐसा काम किया है जिन कामों से छोटे लोगों का हित हो सकता था। गरीब लोगों को लगान माफी कर दी गयी है। जो छः एकड़ से कम जमीन जोतते हैं उनके लिये यह काम किया गया है। छोटे लोगों को राहत देना और बड़े लोगों से धन लेना यह राज्य का बड़ा भारी काम है। चाणक्य ने कहा है कि सूर्य समुद्र से पानी लेता है, नदियों से पानी लेता है और बरसात करके किसानों के खेतों को सिंचित करता है। राज्य का भी काम है कि उनसे धन ले जो समर्थ हैं और छोटे को दे।

इसी तरीके से अध्यापकों के वेतन का भी मामला है। जो गैरसरकारी स्कूलों में काम करते हैं उनके वेतन में बड़ी दिक्कत होती थी। प्रबन्धक ठीक तरह से उनको रुपया नहीं देते थे। रुपया रहने पर भी गड़बड़ी हो जाती थी। सरकार ने यह नीति बनाई कि सरकारी खजाने से रुपया दिया जायेगा। मेरा यह सुझाव है कि जहां सरकार वेतन देने की जिम्मेदारी सरकारी स्कूलों की लेने जा रही है ऐसी ही वह यह भी व्यवस्था करे कि जब स्कूलों में झगड़ा हो तो उन अध्यापकों का भी स्थानान्तरण हो जैसे गन्ना कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक समिति से दूसरी समिति को होता है। यह स्थानान्तरण उनमें भी हो क्योंकि स्कूलों में भी बड़े भारी झगड़े हो जाते हैं। इस कारण से एक बार झगड़ा हो गया तो मास्टर हटेंगे नहीं तो वे चलते रहेंगे। इसके अलावा अपने प्रदेश की जो गन्ना मिलें हैं, ये बड़ी गड़बड़ी की हालत में चल रही हैं। सरकार ने जब से एलान किया है या चर्चा चली है कि इन चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा, इनकी पुरानी व्यवस्थायें हटा दी जायेंगी, अभी नई व्यवस्थायें आई नहीं, लेकिन पुरानी व्यवस्थाओं के चलाने वाले इतने नृशंस हो गये हैं कि उनको कोई ममता नहीं रह गई है, कोई मोह नहीं रह गया है न किसान से मोह, न मजदूर से मोह, न मशीन से मोह, और चाहते हैं कि इसमें से जो निकल सके वह निकाल लें। तो सरकार जल्दी से जल्दी यह ऐलान करे कि व्यक्तिगत लोग चलाएंगे या फिर अपने या निगम के नियंत्रण में लेकर चलाने की व्यवस्था करे, वरना पिछले साल की तरह इस साल भी गन्ना बाकी रह जाएगा। मिलें केन अफसर और केन कमिश्नर के हुक्म को नहीं मानती हैं। मनमाना गन्ना खरीदती हैं। जिसका खरीदना चाहिए उसका नहीं खरीदती हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुं जो राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के लिए प्रस्तुत किया गया है।

*श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इधर चार दिन से जो भाषण हुये मुझे कुछ ऐसा मालूम हुआ कि गवर्नर साहब ने जो भाषण दिया था उससे इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा। दो चीजें खास तौर से दुहराई गई---एक तो समाजवाद और दूसरे नैतिकता की बात। और नैतिकता की दुहाई देने वाले वे लोग हैं जिनकी सरकार ही डिफैक्शन की तरह से बनी थी।

समाजवाद की क्या व्याख्या है यह तो अलग-अलग प्रतिनिधियों के हिसाब से और अलग अलग, देश के हिसाब से अलग-अलग की गयी है। लेकिन हमारे उधर के बैठने वाले साथी जो अपने को समाजवादी कहते हैं, उन्होंने सवा छः एकड़ की लगान माफी करके दुनिया के सामने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वह असली समाजवादी हैं। लेकिन उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पांडेय]

पोलिटीकल स्टंट को जनता ने समझा और उत्तर प्रदेश से उनका नामोनिशान मिट गया। श्रीमन्, कभी उन्होंने यह नहीं सोचा कि हम जो समाजवाद की व्याख्या कर रहे हैं और जिसका नारा दे रहे हैं, उससे देश का भला होगा या नहीं।

मान्यवर, जब डा० लोहिया जिन्दा थे तो उन्होंने कहा था कि ६० प्रतिशत स्थान महिलाओं, हरिजनों और बैकवर्ड के लिए रिजर्व रखेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि उन लोगो से जो डा० लोहिया के बड़े हिमायती हैं, उन्होंने १९७१ के पार्लियामेंट के सी ों के एलाटमेंट में और १९६९ में जो एसेम्बली की सीट का एलाटमेंट किया था उसमें क्या ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं, हरिजनों और बैकवर्ड क्लास को दिया? एक ही चीज है इन लोगों की, समाज में जो भी चीज एक नार्मल कोर्स में होती हों उसमें व्यवधान पैदा कर दे जिससे चलती हुई चीज या काम करने वाली चीजें असहाय होकर इनके सामने सिर टेक दें। हां इन्होंने निन्दा जरूर की, निन्दा की छः लाख के मिग कोट की, जाली मत-पत्रों की बात की। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या राजनारायण जी को जो ७१-७२ हजार मत मिले, जो उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस के प्रयोग के बाद मिले, क्या वह भी उसी प्रकार के जाली मत-पत्र थे जिसके लिए कहा गया कि रूस में छपकर आये? जिसकी स्याही तीन दिन बाद उभरती थी? करीब १३२ आदमी पार्लियामेंट में भी जीतकर आए हैं क्या वे भी उन्हीं मत-पत्रों पर जीतकर आए हैं?

मैं तो देखता हूं कि कुर्सियों को बदलने के साथ लोगों के तरीके भी बदल जाते हैं, काम करने के तरीके हो तो, व्याख्यान करने के तरीके हो तो। आज कुछ लोगों ने अपने १६, १७ साथियों को लेकर एस० बी० डी० को बना दिया। चौधरी साहब को अपना नेता मान लिया। इस प्रकार से सारी अनियमिततायें बर्ती गईं। देश की इच्छाओं के अनुरूप एलेक्शन के माध्यम से वह हवा चली जिसकी कांक्षा देशवासियों की थी। आज देश की बागडोर उस पा र्टी के हाथ में आई है जो देश के रहने वाले करोड़ों मजदूरों, किसानों के हितों की रक्षा करने वाली है जो लोग केवल स्वार्थवश ही शक्ति प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, उनको यह विदित हो गया है कि यह हवा है जो समय के साथ बह रही है और सारा देश उसके साथ है।

आज जो लोग इस पार्टी के साथ आये हैं वे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ लेकर नहीं आये हैं बल्कि उसके विचारों के कारण उसके साथ आये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे माननीय नेता ने एक स्टेटमेंट दिया? अपनी पार्टी के लेने के पूर्व वह यह जान लेते हैं कि उन की पार्टी से उनके विचार मिलते हैं अथवा नहीं तभी वे उन मनुष्यों को सम्मिलित करते हैं। जो लोग आये हैं वे स्वार्थवश नहीं आये हैं बल्कि आज देश की हवा जिस ओर बह रही है उससे प्रभावित होकर इधर आये हैं, हमारे दल में सम्मिलित हुये हैं और हो रहे हैं। समय के रहते उन्होंने अपने मन को बदल डाला, उन्होंने समय और देश की आवाज को पहचाना है। जो लोग अभी तक इसको नहीं समझ सके हैं, वे अभी भी बैठे हैं। उनकी स्थिति तो उसी मनुष्य के समान है जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। अब जो समय रहते नहीं चेत गया तो उसका क्या प्रतिफल होगा? जो लोग आये हैं वे समय और देश में चलती हुई विचाराधारा रूपी हवा के कारण आये हैं। अब जो लोग आये हैं वे फिर कभी कहीं जाने वाले नहीं हैं।

यह सरकार तो उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन प्रदेश के मुख्य मन्त्री मनीराम में १६ हजार से अधिक मतों से पराजित हुये। चुनाव हुआ और जो राज्य मन्त्री इसमें हारे और जिनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी कि त्याग-पत्र दें, उन्होंने मंत्रि-परिषद् से त्याग-पत्र दे दिया यह कह कर कि जब देश की जनता नहीं चाहती है तो मैं नहीं रहूंगा। यह चरित्र है। परन्तु मनीराम में अधिक मतों से हारने पर भी जो मुख्य मन्त्री बने रहने का लोभ न त्याग सके इस पर आप स्वयं विचार करें। अब विचार करते हैं कि कभी काउन्सिल से आयेंगे या फिर बाई एलेक्शन में आ जायेंगे। महीनों बीत गये। अब तो १७ अप्रैल की मियाद भी खत्म

होने वाली है। अब कल जो आने वाला है वह सभी स्थिति को पूर्णरूप से स्पष्ट कर देगा। फैसला तो होना ही है आज हो जाय अथवा कल। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। सम्भवतः यह आज ही हो जाय अथवा कल। गवर्नर महोदय के अभिभाषण के बारे में चर्चा ४ दिन की थी। यह तो एक फर्ज अदायगी हो रही है। जो सरकार अल्पमत में है वह इस पर इतनी लम्बी चर्चा चलवाये इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, फिर भी विचार विमर्श हुआ।

पार्लियामेंट के जिस प्रकार से चुनाव हुआ और उसमें २/३ बहुमत से भी अधिक सीटें हम को मिलीं। उस को तो आप छोड़ दें लेकिन जो स्थिति यहां की है उस को देखते हुये वह सरकार जो अल्पमत में है यह कहे कि आप बहुमत में नहीं हैं, कहां तक उचित है। तो एस० एल० ए० जिस कांस्टीट्एंसी का प्रतिनिधत्व करता है जब वह पार्लियामेंट के लिये उसी कांस्टीट्एंसी से खड़ा होता है तो कहीं २५, कहीं ३० और कहीं ३५ हजार से हार जाता है और फिर भी कहता है कि नैतिकता का तकाजा नहीं है कि हम इस्तीफा दें। तो मेरी समझ में उनकी नैतिकता का ब्रेंड कुछ अलग होगा, उसकी डेफिनिशन अलग होगी, उसकी व्याख्या कोई अलग होगी और वह व्याख्या शायद वे अपने स्वार्थों के हिसाब से करते हैं। उनकी व्याख्या किसी डिक्शनरी या शब्दकोश में नहीं मिलती जिसके अनुसार उनको इस्तीफा दे देना चाहिये।

उधर से पार्लियामेंट के एलेक्शन में जितने लोग खड़े हुये थे उनमें कम से कम ९० प्रतिशत लोगों की जमानतें तक जब्त हो गयी हैं जब कि कांग्रेस (आर) का कैंडिडेट एवरेज ७० हजार के हिसाब से जीता है। इनकी हालत यह है कि एक श्री आनन्द सिंह गोंडा से ६१३ वोटों से जीते हैं तो इनका एक कैंडिडेट कहीं २ हजार से जीता है तो कहीं ९०० वोटों से जीता है। पता नहीं इसमें उनको कहां की नैतिकता दिखलायी पड़ती है जिसकी व्याख्या वे अपने मन के मुताबिक कर रहे हैं।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, यह तो केवल उन कुर्सियों का कसूर है जिन पर वे बैठे हुए हैं और वे समझते हैं कि इन कुर्सियों पर आगे भी चिपके रहेंगे। मेरी समझ से वे तब तक उन कुर्सियों से चिपके रहेंगे जब तक कि कोई ऐसी शक्ति न हो जिससे कि वे कुर्सियां ही उनसे हट कर अलग हो जायं। भले ही वे आज या कल तक उन पर बैठे हुए हैं। गवर्नर महोदय के अभिभाषण में तो सरकार की नीतियों का कोई संकेत भी नहीं किया गया है। केवल सवा ६ एकड़ तक जोत की लगान माफी की बात कही गयी है जो एक पोलिटिकल स्टंट मात्र है। सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम भत्ता देने का जो एलान किया गया है उसका एकमात्र कारण सिर्फ यह है कि यह सोचते हैं कि चलते चलाते ऐसा कुछ कार्य कर सकें जिससे जितना भी लूटना हो सके उतना लूट लें। यह भी बिलकुल एक पोलिटिकल स्टंट है। इन शब्दों के साथ जो अमेंडमेंट पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा हाउस उसका समर्थन करेगा।

*श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अभारी हूं कि आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज इस प्रदेश में गरीबों की जिन्दगी कोई जिन्दगी नहीं है। गरीब आदमी की तरह इस प्रदेश में रहने नहीं पा रहा है और खासतौर से हमारे जिले में आदमी की तरह रह नहीं पाता। मान्यवर, मैं अपने जिले की दुर्दशा का वर्णन करते हुए इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मिर्जापुर जिले में गरीबों को भर पेट भोजन नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, मकान नहीं मिलता और उनकी पढ़ाई व दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं होता। आप जानते हैं कि जिस तरीके से गरीबों की जिन्दगी, जिन्दगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवबास]

नहीं होती उसी तरीके से गरीब की इज्जत कोई इज्जत नहीं है। मैं आप से साफ कह देना चाहता हूं कि आज हमारे विरोधी भाई लोग आज जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमें बहुत अधिक मत चुनाव में मिले हैं, मैं यहां कहना चाहता हूं कि उसका एकमात्र कारण यही है कि इस देश में गरीबी बहुत अधिक है और गरीब की इज्जत, गरीब का ईमान पैसे पर बिक रहा है। विधायक बन्धुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का क्या होगा जब कि आज पैसे से सब कुछ बिक रहा है, पैसे से ईमान बिकता है, पैसे से इज्जत बिकती है, पैसे से वोट बिकते हैं ?

मान्यवर, इसी सदन में सतिया कांड का वर्णन मैंने आपके सामने किया था। इसलिये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसकी बेटी की इज्जत उसके सामने लूटी जाती हो, और जिसने उस की बेटी की हत्या की हो, उसकी इज्जत लूटी हो, उसे वह जानता है कि वह कौन है, फिर भी उसमें यह कहने की हिम्मत न हो कि हमारी बेटी की इज्जत फलां आदमी ने लूटी या हमारी बेटी की हत्या फलां आदमी ने की। रिपोर्ट में कुछ लिखता हो और अदालत में जाकर कुछ बयान देता हो, जिस देश की इतनी दयनीय स्थिति हो कि एक बाप के सामने बेटी का बलात्कार होता है, एक बाप क सामन बटी की हत्या होती है और बाप कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि फलां आदमी ने हमारी बेटी की इज्जत लूटी, फलां आदमी ने हमारी बेटी की हत्या की। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यहां जो वोट पड़ते हैं वह सही वोट पड़ते हैं ?

यह देश पूजा करने वालों का देश है जहां पर मकर और केतु की पूजा होती है, जहां बिच्छू और सांप की पूजा होती है। अगर इस देश में कोई गलत विश्वास और तिकड़म से वोट ले जाता है उस पर फिर इतराता है तो वह यह अच्छा नहीं करता। आप सोचें कि गरीबी किस तरह मिटाई जा सकती है, जनतंत्र कैसे लाया जा सकता है और समाजवाद किस तरह आ सकता है। मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या एकाधिकार के रहते हुए समाजवाद आ सकता है ? मैं अपने उन बन्धुओं से साफ कह देना चाहता हूं कि जो कि इधर थे लेकिन उधर चले गये, समाजवाद एकाधिकार से नहीं आ सकता।

आज समाज के हर क्षेत्र में एकाधिकार कायम है चाहे वह राजनीतिक का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो। आज इस देश में जो गरीबी है उस का एकमात्र कारण यही है कि अभी तक इस देश का राजनीतिक एकाधिकार खत्म नहीं हुआ है। गरीबी तभी मिट सकती है जब कि राजनीतिक एकाधिकार समाप्त हो। हमारे पांडे जी बोल रहे थे कि कुर्सियां बदल जाने से सारी बातें बदल जाती हैं। वह बात ठीक है और मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि जिस दिन इन्दिरा जी की कुर्सी बदलेगी तो वह दिन देश के लिये अति सुहावना होगा। हमारे भाई जो उधर चले गये हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद की पहली इकाई है एकाधिकार खत्म करें। आज यहां जनतंत्र नहीं धनतंत्र है। आप को इस धनतंत्र के युग को बदलना होगा। आज पैसे के बल पर मन, दिमाग और सारे घटना चक्र को बदल दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्गति हो रही है। मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि बगैर एकाधिकार को समाप्त किये समावाद आ सकता है, तो वह नहीं आ सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन बन्धुओं से जो उधर चले गये हैं, पूछना चाहता हूं कि २२ तारीख को उनके विचार थे कि संविद ने जो कार्य किये अच्छे किये। इस २३ साल की हकूमत में क्या कोई ऐसा कानून बना जिससे गरीबों का फायदा हुआ हो ? लेकिन संविद ने सवा छः एकड़ पर लगान माफी का एक कानून बनाया। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज तक केवल एक ही कानून बना है जिससे कि ६ १/४ एकड़ का लगान माफ हुआ है। इस कानून से एकमात्र गरीबों का ही फायदा हुआ है। हमारे कुछ साथी इधर से उधर चले गए हैं। समाजवाद

और नैतिकता का तकाजा यही है कि वे उधर से इधर आ जाएं, अगर वास्तव में वे यह चाहते हैं कि गरीबों की जिन्दगी अच्छी जिन्दगी बने और गरीब देश में रहें। आज देश में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, उनकी इज्जत आज लूटी जा रही है।

मैं पुनः अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि वे उधर से इधर आ जायं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में आप उधर गये हैं उनकी क्या हालत है? उनका वही गोपालपुर फार्म है जहां पर कि अनैतिकता होती है। १०,००० हजार एकड़ का फार्म रखे हुए हैं और कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। लाखों रुपया लेने वाली इन्दिरा जी समाजवादी हैं। आप सोचें समाजवाद कैसे आएगा और गरीबी कैसे मिटेगी। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि गरीबी तो तब मिटेगी जब धरती और धन का बटवारा होगा। क्या आप ऐसा कोई कानून लाने के लिये तैयार हैं? धन और धरती का फिर से जब तक बटवारा नहीं होता है तब तक न समाजवाद आएगा और न गरीबी ही मिटेगी। श्री कमलापति त्रिपाठी सोचें कि क्या वे मुनाफाखोरी को खत्म करने के लिए तैयार हैं? और क्या वे इस आशय का कोई कानून बनवाने वाले हैं कि लागत से ज्यादा दाम न लिया जाए? अगर वे ऐसा करने को तैयार नहीं हैं तब श्री कमलापति त्रिपाठी और श्रीमती इन्दिरा गांधी कैसे समाजवाद लाएंगी।

मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि २३ तारीख को आपके सामने कौन सी बात आ गई जब कि २२ तारीख को आप कहते थे कि संविद सरकार बड़ी अच्छी है। २३ तारीख को आप कहने लगे कि संविद सरकार अच्छी नहीं है। क्या उधर जाते समय आपने हम से कहा कि हम उधर जा रहे हैं? मैं तो आपका साथी रहा हूं और कन्धे से कन्धा मिला कर कार्य करता रहा हूं। ऐसी स्थिति में आपने उधर जाते समय मुझसे क्यों नहीं कहा कि हम उधर जा रहे हैं? क्या आप भी कपूर होटल में जाने लगे और पैसे के बल पर बिकने लगे? आपने समाजवाद की पीठ में छूरा भोंका है और जनतंत्र को कलंकित किया है। न इस तरह से जनतन्त्र आ सकता है और न समाजवाद ही आ सकता है। अगर इस देश और प्रदेश में आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो आप उधर से इधर आएं और समाजवाद को लाने में हमें सहयोग दें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप को धन्यवाद है, आपने राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि हम को मौका नहीं दिया गया। क्या वह लिस्ट, जो बनी थी, गायब हो गई है?

श्री उपाध्यक्ष--

केवल सूची से ही मैं नहीं चलता हूं आप खड़े भी हों, और सूची में भी हों, जो केवल संकेत मात्र के लिये है।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

मुझे मौका नहीं दिया गया। व्यक्तिगत बात और जानपहचान नहीं चलनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं।

श्री कन्हैयालाल सोनकर--

मुझे आप निकाल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं आप बैठिये।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

मैं नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिय, आप बैठिये। आप कैसे नहीं बैठेंगे, आप को बैठना पड़ेगा।

(व्यवधान)

(श्री कन्हैयालाल सोनकर अपनी सीट पर बैठ गये)

*श्री गोविन्द सिंह—

जब यह सदन बैठा है तो ऐसे समय में बैठा है जब कि देश के अन्दर एक महान् घटना हो चुकी है। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने मध्यावधि चुनाव का जिक्र किया। एक तरफ तो कहा गया कि इंदिरा गांधी की हवा थी तुफान आया उसमें लोग बह गये, दूसरी तरफ कहा जाता है कि बैलेट पेपर मास्को में छपे। उस पर कोई रसायनिक सियाही लगा दी गयी। बड़ा दुख होता है यह सुनकर। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि क्या इसी तरह आप जनतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं? जनता की रक्षा करना चाहते हैं? मैं पूछता हूं जनता के इस फैसले के बारे में आप का क्या रवइया है? क्या आप की बातों से यह प्रकट नहीं होता कि आप का विश्वास जनतन्त्र से हट गया है? जनता पर से आप का विश्वास हट गया है?

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

जब गांधी जी ने स्वतंत्रता का देश में आन्दोलन चलाया था उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत में क्या किया?

श्री गोविन्द सिंह—

आपने सही आपत्ति उठाई। यह सही है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सन् १९४२ के आन्दोलन के अन्दर हिस्सा नहीं लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता के सामने यह भी स्वीकार किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने यह भूल की है। अपनी भूल को स्वीकार करना, यह कार्य हमने ही किया है। आप लोगों ने नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आपने यह भूल भी स्वीकार कब की?

श्री गोविन्द सिंह—

देर में की यह भी स्वीकार है। देर आयद दुरुस्त आयद। आप तो देर से भी अपनी भूल स्वीकार नहीं करते। जनता ने जो फैसला किया है उसे आप स्वीकार कीजिये।

(व्यवधान)

आपकी चारों पार्टियों के गठबन्धन ने क्या राजनीतिक दिशा दी? आपने चाहा कि किसी तरह अपनी सरकार देश में बनाओ और पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करो। आप यही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते थे। जनता ने उसे देखा। जनता ने महसूस किया कि इस समय देश के अन्दर यदि प्रजातंत्र को कोई बचा सकता है तो इन्दिरा गांधी ही बचा सकती हैं। देश के अन्दर जनतंत्र की रक्षा इन्दिरा गांधी नहीं कर सकतीं, तो क्या ग्वालियर की राजमाता कर सकती हैं? अगर देश के अन्दर जनतंत्र की रक्षा इंडीकेट नहीं कर सकता है तो तमाम राजे-रजवाड़े भी नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के समय साम्राज्यवाद का साथ दिया था। यही जनता का फैसला है। अब भी समय है आप जनता के सामने जाकर अपनी भूल स्वीकार कीजिए और जनता आप को क्षमा भी कर देगी।

आप कहते हैं कि इन्दिरा जी समाजवाद नहीं लाएंगी, उन्होंने जनता को धोखा दिया है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आप की बात सत्य हो, लेकिन इस जनता पर तो हमें विश्वास हर दशा में रखना ही होगा। इंडीकेट के लोगों ने जो वायदे जनता के सामने किए हैं, यदि वे पूरे नहीं हुए तो जनता उन को भी क्षमा नहीं करेगी। १९६७ में यही जनता थी, जिसने आधे हिन्दुस्तान से कांग्रेस का सफाया कर दिया था। उस समय जनता के सामने पुराने वायदे थे। आप लोगों को भी जनता ने खुले दिल से समर्थन किया था। जनसंघ, संसोपा, कम्युनिस्ट आदि पार्टी का जो सदस्य जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को पीट सकता था, उसका जनता ने साथ दिया। माननीय सदस्यों को जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिये। लेकिन वे ऐसा नहीं करते जिससे मालूम होता है कि उनका जनता पर विश्वास नहीं रह गया है। मैं संसोपा के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि हम सदन में आयें या न आयें लेकिन सदन के बाहर कंधे से कंधा मिला कर बराबर लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे।

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ सिंह)--

अब आप किससे लड़ेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह--

आपसे लड़ेंगे। और अब आपसे भी लड़ने का सवाल पैदा नहीं है। अब जहां तक एस० वी० डी० और दल-बदल का सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि दलबदलुओं को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ईमानदारी का तकाजा है कि क्या दलबदलुओं को प्रोत्साहन देने में हम सब लोगों का कसूर नहीं है ? हमारे जनसंघ के साथी क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने एक माननीय सदस्य को, जो अपना दल बदल कर उनकी तरफ गया था, उसे उन्होंने मुख्य मंत्री बना दिया था।

एक सदस्य--

एक नया दल बनाया था। इस तरह की सौदागिरी नहीं की थी।

श्री गोविन्द सिंह--

मैं चाहता हूं कि इसके लिये नियम बनें। आपकी सरकार है आप ही इस विषय में नियम बना लिए होते। इस सरकार के अन्दर इतना अन्तर्विरोध है कि यह चल नहीं सकती है। इनके सामने यही महान् प्रश्न है कि नेता कौन है। श्रीमन्, समुद्र मंथन करके, हिंद महासागर मथ कर के एक रत्न निकाला गया था, जो कि श्री टी० एन० सिंह निकले थे, लेकिन उनको लेकर आप गोरखपुर पहुंचे। क्या मनीराम के चुनाव के अन्दर आपकी पार्टियों ने अपना कार्यक्रम नहीं रखा ? उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मुख्य मन्त्री कितने वोटों से हारता है ? १६ हजार वोटों से। तब भी अनता के फैसले की कदर नहीं करते। माननीय चौधरी चरण सिंह बैठे हैं। मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। वह एक आदमी थे जिन्होंने (मुख्य मन्त्री) ने जनता के फैसले को देख कर कहा था कि हर चीज कानून में लिखी नहीं होती, कुछ चीजें नैतिकता के ऊपर होती हैं लेकिन आज माननीय मुख्य मन्त्री वही बैठे हुए हैं।

[श्री गोबिन्द सिंह]

मान्यवर, इसलिये इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह प्रस्ताव जनता के ऊपर विश्वास प्रकट करता है। मेरे उधर बैठे हुए मित्र कुर्सियों से चिपकना चाहते हैं। सुना जा रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री को किसी दूसरे दरवाजे से काउंसिल के अन्दर भेजने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने जनसंघ के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप इस सदन के अन्दर प्रस्ताव लायें कि काउंसिल का अबालिशन किया जाना चाहिए। आप की तरफ से दलीलें दी गयीं कि यह काउंसिल इसलिए रखी जाती है कि जनता के बीच जो नुमाइन्दे कट जाते हैं, वह काउंसिल के जरिये लाये जायें। गोरखपुर के अन्दर माननीय मुख्य मन्त्री को इस प्रदेश की जनता ने अस्वीकार कर दिया। आप उन को चोर दरवाजे से काउंसिल में लाना चाहते हैं।

मध्यावधि चुनाव का जिक्र किया गया। मैं नहीं जानता कि मध्यावधि चुनाव होगा या नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप जनता के ऊपर यकीन करते हैं, अगर आप जनता के फैसले की कद्र करते हैं अगर मध्यावधि चुनाव हो भी गया तो कौन-सा हर्ज है? प्रदेश की जनता चाहेगी तो हम लोग यहां होंगे, नहीं चाहेगी तो हमारी जगह पर दूसरे लोग आएंगे। मैं प्रदेश की जनता को एक बार बधाई देते हुए कि उसने प्रदेश के अन्दर प्रक्रिया वादी पार्टियों का सफाया कर दिया है, इन शब्दों के साथ धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मान्यवर, आज सदन में दो प्रस्ताव हैं। एक हमारे साथी रामसिंह जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है और मुख्य रूप से विरोधी दल की तरफ से आया है तिवारी जी का संशोधन। तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है मुझे ऐसा लगता है कि इन्दिरा जी के विराट स्वरूप के सामने वह अपने विवेक को खो बैठे। अगर आप देखें तो उनका संशोधन उनको भी संगत नहीं मालूम होगा क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की वार्षिक बजट में निहित नीतियों और कार्यक्रमों का दिग्दर्शन करता है।

आपने संशोधन रखा कि लोक सभा के चुनाव में हम को अधिक मत आये इसलिये अविश्वास हो अया। आप भूल जाते हैं कि लोक सभा का चुनाव १९६७ मे हुआ था और इसी प्रदेश में १९६९ में विधान सभा भंग हुई। विधान सभा का चुनाव हुआ। विधान सभा के चुनाव में अधिकांश जिलों में कांग्रेस हार गयी और भारतीय क्रान्ति दल ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में चार-चार, पांच-पांच सीटों पर कब्जा कर लिया। १९६७ में सरयू-पांडेय जीते थे और १९६९ में वहां से आपका एक विधायक नहीं लौटा। क्यों नहीं आपने सरजू पांडेय को इस्तीफा देने को कहा? इसी तरह से १९६९ में आपके विधायक हार गये तो क्यों नहीं आपने झारखंडे राय से इस्तीफा देने को कहा? यह साफ है कि विधान सभा और लोक सभा का अपना अलग-अलग महत्व होता है। इस तरह नैतिकता की दुहाई देना उचित नहीं है।

मनीराम के चुनाव की चर्चा कर दी। मनीराम का चुनाव किन परिस्थितियों में हुआ? जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय छात्र आन्दोलन चल रहे थे, कर्मचारियों का आन्दोलन चल रहा था और कहीं पर गोली कांड हो गया था। असमान्य परिस्थितियां थीं चुनाव हुआ और विजयी हुआ बहुरुपिया जो पहले दिन कुर्ता पायजामा पहन कर आया था और आज पैंट तथा बुशशर्ट पहने हुए हैं। पैंट और बुशशर्ट लोक भूषा नहीं, जनता की भूषा नहीं, फिर वहां जनता की जीत कहां हुई।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)---

मैं पर्सनल आपत्ति करता हूं। मेरे ऊपर आक्षेप किया गया है निम्न स्तर पर, घृणित स्तर पर मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

उनके भाषण के बाद आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकेंगे।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

चौधरी साहब ने जो बात कही है उसमें कोई असंगति नहीं है। उस दिन माननीय सदस्य कुरता तथा चूड़ीदार पायजामा पहिन कर आये थे और अब पैंट में हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं निवेदन करूंगा कि जिन इन्दिरा जी के समाजवाद की दुहाई दी जाती है क्या वह अपने समाजवाद में किसी औरत के सम्मान की रक्षा कर सकेंगी? राजधानी दिल्ली में एक अजीबो-गरीब घटना हुई जो इस अखबार में निकली है मैं उसे पढ़े देता हूं। "आत्मशान्ति की खोज में भारत आई हुई ३० वर्षीय महिला, ग्लोलिया के साथ व्यभिचार"। देश की राजधानी नई दिल्ली में एक अजीबोगरीब घटना प्रकाश में आई है। इस घटना के मुख्य पात्र हैं प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के कृपापात्र विश्वायतन योगाश्रम के संचालक ब्रह्मचारी धीरेन्द्र जिन्होंने अपने आश्रम में आई हुई एक ३० वर्षीय मैक्सिकन महिला पत्रकार, ग्लोरिया टारेस को अपनी उद्धाम वासनाओं का शिकार बनाया है। अध्यात्म और आत्मशांति की खोज में आयी हुई इस विदेशी महिला ने इस बात का आरोप लगाया है कि उक्त आश्रम के संचालक ब्रह्मचारी, धीरेन्द्र ने उसके साथ व्यभिचार किया है। आरोप-पत्र में उसने इस बात का उल्लेख किया है कि शुरू शुरू में उसे किसी प्रकार का मादक एवं जहरीला द्रव्य मिला कर सम्मोहित किया गया और सम्मोहन की अवस्था में शरीर के सारे कपड़े उतार कर तीन दिनों तक व्यभिचार किया गया।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर इस समय राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में भाषण हो रहे हैं। मान्यवर, चौधरी साहब श्रीमती इन्दिरा गांधी के सम्बन्ध में जो किसी पत्र में छपा है, उसको यहां पर पढ़ रहे हैं। यह असम्बद्ध है। जो सम्बद्ध बातें हों वह यहां पर कही जानी चाहिये। जिनका राज्यपाल के अभिभाषण से सम्बन्ध न हो और असम्बद्ध हो, उन पर आप को रोक लगाना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इन्दिरा जी को सहयोग दिया जाय यह आपका कहना है तो कैसे सहयोग दिया जाय, इसी सम्बन्ध में मैं बतला रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

जो संशोधन रखे गये हैं उनमें मनीराम के चुनाव तथा लोक सभा के चुनाव के सम्बन्ध में जिक्र है। इसलिये उसी को लेकर खींचतान की जाती है। माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मेरे हाथ में अध्यक्ष पद से लिये गये निर्णयों के संकलन की पुस्तक है। उसमें पृष्ठ ३६ की २६६ धारा में श्रीमन्, आप देखें। इसमें लिखा है कि, "श्री राज्यपाल के अभिभाषण में तथा तत्सम्बन्धी धन्य-वाद के प्रस्ताव पर संशोधनों में केन्द्रीय सरकार अथवा प्रधान मन्त्री की वैदेशिक नीति का उल्लेख अवैधानिक है।" श्रीमन्, यह आपकी कुर्सी द्वारा ही दिया गया निर्णय है।

श्री उपाध्यक्ष—

इन दोनों में से किसी के बारे में वह नहीं बोल रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

आप पहले संशोधन को देख लें। उसमें कोई संगत नहीं है। अब में मूल चीज पर आता हूं। मान्यवर, मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जब से मैं विधान सभा में आया हूं तब से आज तक मैंने ऐसा पूर्ण संक्षिप्त राज्यपाल का भाषण नहीं देखा है। भूतपूर्व वित्त मंत्री, माननीय नारायणदत्त जी तिवारी इस समय सदन में नहीं हैं वर्ना मैं उनको दिखा देता कि यह इतना सुन्दर भाषण है कि जिसमें चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है। दूसरी बात इस भाषण में यह है कि कहीं भी अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर माननीय तिवारी जी वित्त मंत्री हों तो उनके भाषण में बीच-बीच में अवश्य अंग्रेजी के शब्द मिलते हैं। यह पहला भाषण हुआ है जिसमें अंग्रेजी के एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जब महामहिम राज्यपाल ने यहां पर सदन में अपना भाषण पढ़ा और उसके बाद मैं सदन से निकला तो दर्शकों ने मुझसे पूछा कि राज्यपाल महोदय तो अहिन्दी भाषी हैं किन्तु उन्होंने इतने सुन्दर तरीके से अपना भाषण दिया। एक बात मान्यवर, मैं और कहना चाहता हूं कि हमने समस्या को स्वीकार किया है कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है और उसका कारण यह है कि हम को केन्द्रीय सहायता नहीं मिली।

इसी संदर्भ में आपको २२-१०-१९६८ का लिमये-गाडगिल का पत्र-व्यवहार सुनाना चाहता हूं। इसमें कुछ आंकड़े दिये हुये हैं और प्रति व्यक्ति राज्य योजना व्यय तथा केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी तालिका भी दी हुई है। प्रथम पंच वर्षीय योजना में जब कि इस प्रदेश का प्रति व्यक्ति व्यय २६ हुआ और केन्द्रीय सहायता केवल १४ मिली जब कि इसी पंचवर्षीय योजना में पंजाब को १०१ व्यय में से ८८ केन्द्रीय सहायता दी गई। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता केवल १८ मिली जब कि वास्तविक व्यय ३४ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में केवल ८ मिली जब कि व्यय ७५ था जब कि राजस्थान में उसी योजना काल में १०५ व्यय में ८० केन्द्रीय सहायता मिली। इस प्रकार कुल मिला कर उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति योजना व्यय १०२ मिला, जब कि राजस्थान को १८५ मिला पंजाब को २०३, आंध्र को १३८, गुजरात को १२० और बिहार को ९९।

तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस प्रकार कम सहायता उत्तर प्रदेश को ही क्यों दी गई? क्यों इसकी उपेक्षा की गई? कौन इसका दोषी है? मैं साफ कह देना चाहता हूं कि इसका दोषी नेहरू परिवार है। जिन्होंने समाजवाद का पथ नहीं देखा है वे आज देश में समाजवाद का पथ प्रदर्शित करना चाहते हैं। अन्त में मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करेंगे। इसी में देश का कल्याण हो सकता है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

आपने कहा था कि इनके बाद मुझे स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायगा। मैं आग्रह करूंगा कि मुझे वह अवसर दिया जाय। मुझे इस बात का खेद है कि इस सदन में ऐसे मान्य-वर सदस्य मौजूद हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में...

श्री उपाध्यक्ष---

आप भाषण न दें।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

चौधरी शम्भूनाथ ने, मुझे दुःख है, मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप किया है और मुझे बहु-रूपिया की संज्ञा ऐसा बहुरूपिया दे रहा है जिसके दल के नेता ने भी उसके काले कारनामों के आधार पर उस को मिनिस्टरी में नहीं लिया। अनन्तराम जैसे व्यक्ति जिस समय लिये गये तो उसे नहीं लिया गया तो उसने बार-बार यह कहा कि मुझे नहीं लिया। अपना जीवित

उदाहरण देकर कहा कि मुझे नहीं लिया गया, यह तो इसकी अक्षमता और अयोग्यता का पुरस्कार था .....

(व्यवधान)

यदि इस प्रकार के व्यक्ति संसदीय जनतंत्र में रहे तो जनतंत्र को मिथ्या बनाने चेष्टा में ही रहेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप स्वयं कटाक्ष कर रहे हैं। यह स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

यह कटाक्ष नहीं है, यह तो स्पष्ट जीवित तथ्य है। श्री राजनारायण ने तो मुख्य मंत्री को साइकिल दी, यह क्या बहुरूपिया पन नहीं है? और ये तो हमारे दल में शामिल होना चाहते थे, हमने इनको ठुकरा दिया कि तुम्हारे ऐसे नींच और पतित के लिए हमारे यहां कोई स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आज समाप्त करें। जो स्वयं सामर्थ्यवान हैं उनके संबंध में कुछ कहने का आधार बनाना उचित नहीं है।

(श्री कृष्णचन्द्र शर्मा के खड़े होने पर)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

मुझे आप की व्यवस्था चाहिए। मान्यवर, शर्मा जी तो कल भी बोले थे। मैं कई बार दरख्वास्त कर चुका हूं, २२ तरीख से।

श्री उपाध्यक्ष--

परसों से तीन दिन अभिभाषण का समय था, पर्याप्त समय था। जो जितना समय चाहते थे, उतना दिया गया, बल्कि बोलने वाले कम थे। अब जबकि घंटा, आध घंटा रह गया तो कहा जाता है कि मुझे समय दिया जाय।

श्री मंजूर अहमद--

मुझे इनके बाद ही ५ मिनट का समय दिया जाय।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंजूर अहमद सरकारी पक्ष में हैं या विरोधी पक्ष में? इस पर आप व्यवस्था दें।

*श्री कृष्णचन्द्र--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर कम से कम एक बात पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और उनके भाषण का वह उद्धरण जिसमें उन्होंने कहा है कि लोक सभा के चुनाव में जनता ने अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की है कि देश में और प्रदेश में स्थायी सरकार बने, इसलिये उन्होंने कहा कि जनता का वोट स्थायित्व के पक्ष में है। मैं माननीय सदस्यों से जो उधर बैठे हुये हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कुछ सदस्य उधर से उठ कर हमारे साथ आ गये हैं तो मान्यवर, उन्होंने लोक सभा का चुनाव जो हो चुका है और जिसका जिक्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण मेंकिया है, उसके कारण ही इस प्रदेश में स्थायित्व कायम रखने की कामना से ही जनता ने जो अपना मत व्यक्त किया है, उसके अनुसार इधर आ गये हैं ।

श्री लक्षमणस्वरूप (जिला मेरठ)—

कौन से पृष्ठ पर लिखा हुआ है ?

श्री कृष्णचन्द्र—

मान्यवर, माननीय साथी कृपया उसको पढ़ लें तो उनको मालूम हो जायेगा कि कहां लिखा हुआ है । अभी सामने वाले सदस्यों को यह शिकायत थी कि जो सदस्य वहां से यहां चले आये हैं वह डिफेक्शन है । लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं क्योंकि पिछले लोक सभा के चुनाव ने जो फैसला किया है अगर उसके आगे उन्होंने इंन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत करने का फैसला किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज के फैसले में और १९६७ के फैसले में जमीन आसमान का अन्तर है। दोनों को एक साथ नहीं तोला जा सकता है । अगर दल बदलने की बात है, डिफेक्शन की बात है तो इसकी जिम्मेदारी इधर के बैठने वालों की कदापि नहीं है । सब से अधिक दोष इसको प्रारम्भ करने का, इसको कार्यान्वित करने का सबसे अधिक, उधर बैठने वाले अधिकांश भाइयों का है । आज माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर मत लिये जाने वाले हैं उसके बहुत पहले से वे लोग इधर आ गये हैं । लेकिन १९६७ में जब राज्यपाल महोदय के भाषण पर मत लिये जा रहे थे उस समय १७ व्यक्ति चरणसिंह जी के नेतृत्व में डिफेक्ट किया । लेकिन आज जो साथी हमारे यहां आये हैं उन्होंने कम से कम अपने दल के नेताओं को बता दिया है कि हमारा क्या कदम उठने जा रहा है । जहां तक डिफेक्शन की बात है, यह बहुत बुरी है और यह दुहरी तलवार है । दल बदलना बहुत बुरा है । आपने उस समय क्यों समझा था कि डिफेक्शन से सी० बी० गुप्ता ही कत्ल होंगे । एक समय वह आयेगा जब टी० एन० सिंह की गरदन भी काट दी जायेगी । जिस सीढ़ी से वे मुख्य मंत्री बने उसी से वे मुख्य मंत्री से उतारे जा रहे हैं । इसके अलावा कुछ नहीं है ।

दूसरे कहा जाता है कि लोक सभा के चुनाव में जीत नहीं है और हमको ५ करोड़ वोट मिले । अगर कोई आदमी दिन में न देखे समझ में आ सकता है, रात में न देखे तो समझ में आ सकता है, लेकिन मान्यवर, उनको क्या शिक्षा दी जा सकती है जो दिन में न देखें और रात में देखते हैं । ३५१ सदस्य चुन कर इन्दिरा गांधी के झंडे के नीचे आये गये तो वह जीत नहीं है, लेकिन कुल १५ चुन कर आये सिंडीकेटी सारे हिन्दुस्तान में और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में केवल एक चुन कर आया और पता नहीं संसोपा का कोई चुन कर आया या नहीं, (आया की आवाजें), अगर आया तो आपको मुबारक हो, तो वह जीत है । मेहरबानी कर के ३५१ की जीत को भी जीत मानिये । ३५१ की जीत तो जीत नहीं लेकिन अगर हिन्दुस्तान भर में १५ जीत गये तो वह जीत है, सोशलिस्ट पार्टी के जो ४, ६, ८ जीत गये, वह जीत है । ऐसी गणित का मैं तो स्वागत नहीं कर सकता । अगर आप गणित पढ़ाने वाले ऐसे ही आचार्य हैं तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आपके विद्यालय में कोई आने वाला नहीं है क्योंकि आप मति-भ्रष्ट करने वाले हैं ।

मान्यवर, प्रजातंत्र की बात कही गई । मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र की बात कहना आपको शोभा नहीं देता । चौधरी साहब अगर कहें तो मैं मान सकता हूं क्योंकि इस जद्दोजहद में भी उन्होंने अपना दिमाग सही सलामत ठंडा रखा और उन्होंने माननीय टी० एन० सिंह को सलाह दी थी कि मेहरबानी कर के आप इस्तीफा दे दें । लेकिन टी० एन० सिंह साहब ने नहीं दिया इस्तीफा । सम्भव है चौधरी चरण सिंह की आज राय, जैसा कि अखबार में निकल रहा है, बदल गई हो । चौधरी साहब आज उनको यह समझा रहे हैं कि प्रजातंत्र का हित इसी में है कि

माननीय टी० एन० सिंह इस्तीफा न दें। तो प्रजातंत्र की व्याख्या परिस्थितियों के अनुसार नहीं होती है। प्रजातंत्र एक उसूल है, एक जीवन दर्शन है जो हर परिस्थिति में वही रहता है जो आदि काल में था, वही आज भी है और अन्त समय तक रहेगा।

गोरखपुर में चुनाव हार जाने के बाद माननीय मुख्य मंत्री इस्तीफा न दें। टी० एन० सिंह मंत्रि-मंडल के सदस्य कई खड़े हुये और वह चुनाव में पराजित हो गये। इसके बाद भी वह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और आज भी बैठे हुये हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी को पिछले चुनाव में अपूर्व विजय के बाद भी यह सरकार कायम है जबकि यह जनता द्वारा पराजित हो चुकी है, ठुकराई जा चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र यह नहीं है। यह प्रजातंत्र की हत्या है। यह तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक है। प्रजातंत्र का इससे कोई संबंध नहीं है। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्रजातंत्र की प्रतीक है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, जोकि आज भारतवर्ष की प्रधान मंत्री हैं। मान्यवर, १/४ वोट से प्रीवीपर्स के इश्यू पर पराजित हो जाने के बाद भी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री रह सकती थीं लेकिन उन्होंने समझा कि प्रजातंत्र का यह उसूल है कि स्नैप वोट में ही सही, एक बिल पर अगर किसी भी गठबन्धन से उनकी सरकार हार गई है तो चाहे वह राजनीतिक हार हो या न हो लेकिन नैतिक पराजय है, इसलिये उन्होंने लोक सभा भंग कर दी। हम फैसला करें कि प्रिवीपर्स पर, बैंक नेशनलाइजेशन पर तुम हमारे साथ हो या विपक्ष के साथ हो। क्या यह प्रजातन्त्र का प्रतीक नहीं है? इससे अधिक और क्या प्रजातन्त्र का सबूत और उदाहरण हो सकता है?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हम तो यह मानते हैं कि हमको रात में दिखाई नहीं देता लेकिन क्या आपको रात में दिखाई पड़ता है?

श्री कृष्णचन्द्र---

मैंने तो यह नहीं कहा कि आपको रात में दिखाई नहीं देता है। आप ऐसा कैसे समझते हैं कि आपको रात में दिखाई नहीं पड़ता।

(श्री जायसवाल को बुलाने पर)

श्री मंजूर अहमद---

मेहरबानी करके मुझे ५ मिनट का समय दे दीजिये। आज इस पर आखिरी दिन है। मुझे चौधरी साहब को मुबारकबाद देने का फिर मौका नहीं मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, किसी सरकार के काम और कानून पर चाहें उसकी समीक्षा करें या नुक्ताचीनी करें, उसके कार्यकाल और साधनों को देखकर ही करना चाहिये। इस सरकार को केवल ५ महीने यहां पर आये हुआ है। उसके जो काम हुये हैं मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उस पर कोई भी गर्व कर सकता है। मान्यवर, उससे यह भी पता चलेगा कि सरकार का रुख किस तरफ है और किसकी तरफ वह देख रही है। मैं मिसाल के लिये कुछ कामों को गिनाना चाहता हूं। इस सरकार ने थोड़े से समय में किसानों को लगान से मुक्त किया। उस तरफ बैठने वाले लोग यह कह सकते हैं कि यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसलिये कह सकते हैं कि इस सदन के अन्दर जब यह कानून पेश हुआ तब भी इन लोगों में से किसी को यह साहस नहीं हुआ कि इसका विरोध करें लेकिन बाहर गये तो उन्होंने यह प्रचार किया कि लगान माफ होने से तुम्हारी जमीन साफ हो जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब पहली जुलाई से किसान इस रियायत को भोग लेगा तब उस फायदे को पूंछे कि किसान लगान माफी चाहता है या नहीं। मान्यवर, इस कानून से वह गर्मी पैदा होने वाली है कि लोगों में विश्वास जगेगा

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

और जन-शक्ति के आन्दोल में उनका विश्वास पैदा होगा। इस लगान माफी के कानून से किसान में वह भावना पैदा होगी जिससे भूमि का वितरण होगा और बिड़ला का करोड़पन नाश होने वाला है। यह तो शुरुआत है। इसलिये मैं कहता हूं कि आपने इस चीज को नहीं देखा।

इसी तरह से किसानों को कितावें दीं। उनके इन्दराज में जो तहसील के कर्मचारी थे जिस तरह से वह गड़बड़ करते थे, लूट करते थे उनसे उनको मुक्ति मिल गई है। सरकार ने यह भी फैसला लिया है खतौनी और खसरे के इन्दराज को खतम कर दिया जाय। इससे जो उनकी मुकदमेबाजी बढ़ जाती थी उससे उनको छूट मिलेगी। इसी तरह से सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जो किसानों के नलकूपों में बिजली खर्च होती है और जो न्यूनतम गारंटी अब तक उसके लिये १२० रुपए की होती थी, उसको हटाकर १०० रुपया प्रति हार्स पावर कर दिया गया है, दूसरा काम यह हुआ है। इसी तरह से जो हमारे सहकारी बैंक हैं या जो आप के यह भूमि बैंक बने हैं उन से किसानों को जो कर्जा मिलता है उनके लिये दस हजार रुपए की लागत तक के जितने बन्धक होंगे वे स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त रहेंगे। यह भी किसानों के पक्ष में इस सरकार का एक कार्य है। पहला काम जो इस सरकार ने किया है उसका संकल्प आज से ४० साल पहले गांधी जी के कार्यकाल में लिया गया था। इस कार्य के पूरे होने से वह गांधी जी के कार्यकाल का संकल्प और डा० लोहिया का अरमान पूरा हुआ।

इसी तरह से जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं जिनमें से अधिकांश हरिजन हैं उनके विषय में इस सरकार का फैसला हुआ है कि जो सचमुच भूमिहीन हैं केवल उन्हीं को भूमिहीन माना जाय जो सीलिंग से निकली जमीन है या फालतू जमीन है उसके वितरण में केवल उन्हीं को वरीयता मिले। इस तरह से जो सवा सात लाख एकड़ जमीन बटी है उसमें से ८० प्रतिशत जमीन इन्हीं हरिजनों को, पिछड़े हुये लोगों को दी गई है। यह पहला काम हरिजनों के पक्ष में हुआ है। इस तरह से पिछले २३ साल के राज्य में उनके संवैधानिक संरक्षणों के बावजूद, सरकारी सेवाओं आदि में हरिजनों के आरक्षण को पूरा नहीं किया गया, उसको पूरा करने के लिये कदम उठाया गया। जिस समय तक वह पूरा न हो उस समय तक ४५ प्रतिशत हरिजन ही लिये जायं, तृतीय श्रेणी की सेवाओं में और अवर वर्ग की सारी सेवाओं में उन्हीं को रखा जाय और इस के अतिरिक्त जो समय-समय पर अस्थायी नौकरियां निकलती हैं उनमें भी इस संरक्षण को कार्यान्वित किया जाय। यह खेतिहर मजदूरों का फैसला इस सरकार के द्वारा हुआ।

इसी तरह से जो बचे हुये लोग हैं मध्यम वर्ग के लोग उनको भी वृत्ति कर माफ करके राहत दी गई है.....

(व्यवधान)

श्रीमन्, थोड़ी व्यवस्था हो जाय तो अच्छा है। तो मैं कह रहा था कि इस तरह से मध्यम वर्ग के लोगों को भी वृत्ति कर की माफी से राहत पहुंची है। इसी तरह से पिछड़े इलाकों की तरफ और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी गवर्नर के अभिभाषण में संकेत किया गया है कि वहां विभिन्न औद्योगिक विकास संस्थाओं के द्वारा गांवों में या पिछड़े हुये इलाकों में छोटे-छोटे उद्योग खोलने का सरकार का संकल्प है और जो विषमता वाले अन्य पिछड़े क्षेत्र हैं, चाहे वे पर्वतीय क्षेत्र हों, बुन्देलखंड का इलाका हो या 'पूर्वी' क्षेत्र हो, उन सबके लिये विकास निगम की स्थापना की गई है, यह चीज अभिभाषण में मौजूद है। इस तरह से जो राहत दी गई है उससे इधर के लोग हों या उधर के बंठने वाले लोग हों उस से कोई इनकार नहीं कर सकता।

छोटे-छोटे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का सवाल है। यह सवाल आज बना हुआ है क्योंकि केन्द्र उसमें भागीदार है। आप जानते हैं कि प्रदेश की सरकार के साधन सीमित हैं और उन्हीं को देखते हुये बराबर यह सरकार केन्द्र को लिखती रही है कि हमें इसके

लिये सहायता दी जाय क्योंकि हमारे पास नोट छापने का या विदेशी कर्जा लेने का अधिकार नहीं है और राज्य सरकार चाहती है कि वह अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अधिक दे। मैं अदब के साथ कहूंगा कि आप की सरकारों की प्रार्थना के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने इस मांग को नहीं माना और हमेशा एक तरफा निर्णय लिया। अभी उन्होंने एक निर्णय लिया और उसका असर आप को मालूम है कि भावों पर क्या हुआ है। एक तरफ महंगाई भत्ता बढ़ता है और दूसरी तरफ उसके साथ ही बाजार में महंगाई बढ़ जाती है। हमारी शुरू से मांग रही है कि समस्या का हल यह नहीं है, होना चाहिये यह कि चीजों के दाम न बढ़ें और बार-बार आन्दोलनों के बावजूद सरकार ने चीजों के दाम बांधने की नीति को नहीं अपनाया।

जब आप महंगाई बढ़ाते हैं तो फिर यहां के कर्मचारी भी मुसीबत में आ जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुये, उसको सराह कर अपने कर्मचारियों को भी अंतरिम सहायता देने का इस सरकार ने निर्णय लिया है। इसलिये जो आने वाला बजट है, उसमें १५ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और कल जो सरकार ने फैसला लिया है वह यह है कि तुरन्त कुछ सहायता, कुछ राहत सरकारी कर्मचारियों की दी जाय। उत्तर प्रदेश में शायद यह पहली बार यह राहत लोकल अथोरिटीज के कर्मचारियों को, गैर सरकारी कर्मचारियों, जो स्कूल हैं उनके शिक्षकों को, उनके कर्मचारियों को और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें चपरासियों से लेकर, ६०० रुपया वेतन भोगियों तक को यह राहत मिलने जा रही है, यह सब पहली मर्तबा हो रहा है। इसके आगे अगर आप जायं तो पता लगेगा कि यह सरकार किस की तरफ देख रही है। हमारे जो काम और कानून हैं, उनसे पता लगता है।

इसी अभिभाषण में लेन देन को, व्यापार करने के लिये, जो गरीब लोग महाजनों से कर्जा लेते थे, उनके लिए भी कानून बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी इसी विधान सभा मे एक विधेयक शीघ्र ही आने वाला है।

इसके साथ-साथ शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाई जाय और जोत हद बन्दी भी हटाकर जमीन लोगों के लिए हासिल की जाय। यह सारा काम और इसके लिये कानून आपके सामने हैं। इस सरकार ने बड़े लोगों की तरफ से मुह मोड़ लिया है और छोटे लोगों को राहत देने जा रहे हैं। उनकी राहत उनके कल्याण के काम भी हुए हैं, कानून भी बने हैं और आशा है निकट भविष्य में और ऐसे ही कानून बनते रहेंगे।

जो आपने १५ अगस्त, १९४७ से और आप तो १९४६ में ही आ गये थे, उसका जायजा ले लिया जाय। क्या उस समय से माननीय माधव प्रसाद जी काबिज रहे हैं, नहीं आप काबिज हैं? दिल्ली की गद्दी पर भी आपका ही राज रहा है। ५ महीन और ६ महीने इन २३-२४ वर्षों से छोड़ कर आपका ही कब्जा रहा है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और उसमें उत्तर प्रदेश की दुर्दशा क्या रही है। जो पहली योजना आरम्भ हुयी १९५०-५१ में उस समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय २६० रुपये थी, उस समय सारे देश की औसत आय प्रति व्यक्ति २४७.५ थी। १९६७-६८ में यह आय घटती-घटती उत्तर प्रदेश में २४७ हो गयी और तृतीय योजना के आरम्भ में हिन्दुस्तान की औसत आय प्रति व्यक्ति २४७.५ से बढ़कर ३१२.३ हो गयी। इस प्रकार से आपने इस प्रदेश को पिछाड़ा है।

पहली, दूसरी और तृतीय पंच वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को कोई भी बड़ा उद्योग नहीं मिला है। यह किसकी ज्यादती है? यह ज्यादती या तो जवाहर लाल जी की है, शास्त्री जी की है या हमारी इंदिरा जी की है या अल्पकालिक प्रधान मंत्री गुलजारीलाल नन्दा की है। इनके अलावा और किसी की नहीं है। तीनों के काल में एक भी बड़ा उद्योग नहीं दिया गया इस प्रदेश को।

हालत हमारी क्या है। यहां की जोत का औसत देखें। यहां की औसत जोत है १.८६ हेक्टर, इसके मुकाबले में पंजाब की ४.५२ हेक्टर, महाराष्ट्र की ५.२९ हक्टर, गुजरात

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

की है ४.८५ हैक्टर, मैसूर की ३.८९ हैक्टर और मध्य प्रदेश की ४.०५ हैक्टर और राजस्थान की है ५.५८ हैक्टर। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां तक औसत जोत का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश की औसत जोत प्रायः सबसे पीछे है १.८६ हैक्टर। और इस प्रदेश की लगभग ७५ प्रतिशत जनता आश्रित है खेती के उद्योग पर। एक चीज की ओर मैं और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आप यह दावा कर सकते हैं कि जो हाइ यील्डिंग वैरायटीज आई हैं उनकी वजह से खेती की उपज बढ़ी है। मैं कान्सीड करता हूं और मानता हूं कि उपज सचमुच बढ़ी है। लेकिन यह जो उपज बढ़ी है वह बढ़ी है करीब-करीब डेढ़ प्रतिशत और आपकी आबादी बढ़ रही है मान्यवर २.२ प्रतिशत के हिसाब से सालाना तो आबादी के अनुपात में आपकी खेती पीछे है और आपने कोई उद्योग धन्धे नहीं पनपाये।

कोई बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश को नहीं दिया। उसका साफ मतलब है कि भविष्य अन्धकारमय है। उत्तर प्रदेश की गरीबी और आगे जायेगी। उत्तर प्रदेश जहां भूखा है, नंगा है, आवास की कमी है इन सबमें इजाफा नहीं होने वाला है। यह मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं जो आंकड़े मौजूद हैं उनके आधार पर.....

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, आपका कृषि उत्पादन उस अनुपात से नहीं बढ़ रहा है जिस अनुपात से कि प्रदेश की आबादी बढ़ रही है। कोई उद्योग नहीं पनपा, बड़ा उद्योग मिला ही नहीं, नतीजा उसका क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी और निराशा बढ़ेगी, यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इसके अलावा और दूसरी कोई चीज नहीं है।

(लाल बत्ती होने पर)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह तस्वीर आपने उत्तर प्रदेश की बनाई। उसमें अनन्तराम जायसवाल, माधव प्रसाद त्रिपाठी, मुन्शीलाल चमार साझेदार नहीं हैं। उसमें और कोई साझेदार नहीं है। अगर कोई साझेदार रहा है तो आपका भी साझा उसमें रहा है। इससे आप इन्कार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली तक आपकी सरकार थी।

अभी साथी शम्भूनाथ बोल रहे थे। उन्होंने भी बताया कि उत्तर प्रदेश की सहायता आपने किस तरह से की है। इसकी भी जानकारी आप कुछ कर लें तो अच्छा है। उधर के लोग पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, चाहे वे इधर रहें या उधर रहें। मान्यवर, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् ५०–५१ में सारे देश के पैमाने पर औसतन प्रति व्यक्ति केंद्र ने दिया है २५ रुपये पहले प्लान में और उत्तर प्रदेश को दिया है १४ रुपये प्रति व्यक्ति। फिर दूसरी प्लान आई तो सारे देश को २७ रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से और उत्तर प्रदेश को १८ रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तीसरी प्लान में सारे देश को ५८ रु० और उत्तर प्रदेश को ४६ रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से।

तीसरी योजना तक पहुंचते-पहुंचते आपने देश का बिलकुल दिवाला निकाल दिया। पहले पंचवर्षीय योजना बनती थीं अब सालाना योजना शुरू कर दीं। इनमें १९६६–६७ में सारे देश में १२ रु० प्रति व्यक्ति और उत्तर प्रदेश में ११ रु०, १९६७–६८ में सारे देश में १२ रु० और उत्तर प्रदेश में १० रु० १९६८–६९ में सारे देश में १२ रु० प्रति व्यक्ति और उत्तर प्रदेश में ९ रु०, ये आंकड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं जहां तक दिल्ली की गद्दी का सम्बन्ध है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के साथ सौतेलेपन का व्यवहार क्यों किया गया ?

उत्तर प्रदेश को हमेशा बहलाया गया कि उसका प्रधान मंत्री हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग हमेशा इसी में खुश होते रहे और इस लाइमजूस को दिखा कर दूसरे प्रदेशों को ज्यादा

खुशहाल और सम्पन्न बनाया गया और उत्तर प्रदेश का हक छीना गया। यह अंग्रेजी काल की परम्परा थी। जो तटीय प्रदेश थे उन पर उनकी विशेष मेहरबानी थी। उनको ज्यादा सहायता मिली। बिजली के मामले में भी, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली का खर्चा और उत्पादन पूरे हिन्दुस्तान के मुकाबले में आधा है। ये सारी रियायतें महाराष्ट्र, गजरात, मद्रास और बंगाल को दी गयीं। लेकिन जो बगावत का इलाका रहा है उत्तर प्रदेश का इसको अंग्रेज दबाये रहे। आपसे उम्मीद थी कि सन् ४७ में इस नीति को बदलेंगे और उत्तर प्रदेश के साथ जो ज्यादती हुयी है उसको खत्म करके उसका हक उसे दिलवाया जायेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की ताकत पर प्रधान मंत्री तो बनते रहे परन्तु उत्तर प्रदेश को उसका हक नहीं मिला। जैसी हालत पहले थी वैसी ही आज भी है। इसमें दोष किसका है ? अनन्तराम जायसवाल का है या माधव प्रसाद त्रिपाठी का है ? दोष उन्हीं का रहा है जो हिन्दुस्तान की गद्दी पर बैठने वाले हैं।

चुनावों में जीत की बड़ी चर्चा की गयी। जीत किस तरह से हुई है ? एक यशपाल कपूर है। कपूर होटल की बिजनेस तो पूरे लखनऊ या पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। जिस तरह से यहां दलबदल हुआ है श्री यशपाल कपूर और कपूर होटल के जरिये से उसी तरह इस गरीब देश के लोगों का वोट भी लिया गया है। जरा इस पर आप गौर करें।

मान्यवर, मेरे पास एक चिट्ठी है उसे सुनाना चाहता हूं···

श्री उपाध्यक्ष--

चिट्ठी तो पढ़ी जा चुकी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

पढ़ी नहीं गयी है। यह २२ तारीख की चिट्ठी है। दिनांक २२-३-१९७१ ई० को नेशनल हेराल्ड पत्र में प्रकाशित १३ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायकों का संविद से अलग होने का समाचार नितांत भ्रामक, निराधार एवम् मिथ्या है। हम निम्न हस्ताक्षरित विधायकों ने कभी भी संविद से अलग होने का निर्णय नहीं लिया है और न तो सम्पादक अथवा सम्बाददाता नेशनल हैराल्ड से इस प्रकार की बात किया है हम लोग संविद में विद्यमान हैं और उसके प्रति हम लोगों की आस्था यथापूर्व ही है। संविद के स्थायित्व में सम्पूर्ण प्रदेश का हित है। हम सभी उसे दृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिये कृत संकल्प है। इस प्रकार के भ्रामक प्रचार की हम लोग भर्त्सना करते हैं।

१--ह० राम देव २--ह० राजित राम ३--ह० रामपूजन, ४--रामचरण त्रिपाठी ५--ह० तेजभान सिंह ६--श्याम सूरत उपाध्याय

(व्यवधान)

उसके बाद में हमारे विधायकों के कमरे में कपूर साहब की मीटिंग होती है। यशपाल कपूर मीटिंग के बाद बदल जाते हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि पंडित जी सन् ६७ में जो दल बदलने की प्रवृत्ति उभड़ी उससे एक नया दल उपजा। जब आचार्य नरेंद्र देव जी जिन्दा थे। सन् १९४८ में सोशलिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस से अलग हुये। इसलिये उन्होंने उसको छोड़ दिया कि उनको उस पर आस्था नहीं रह गई थी। आचार्य जी ने जो कांग्रेस के टिकट पर एलेक्ट हुये थे दल छोड़ने के बाद उससे त्याग-पत्र भी दे दिया और फिर से नया चुनाव लड़ा। यद्यपि वह उसमें रिटर्न होकर नहीं आ सके क्यों जनता का मन उस समय ऐसा नहीं था। वह हार गये। परन्तु यह एक परम्परा थी। परन्तु आज क्या हो रहा है। दल बदलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है परन्तु उसका कोई सिद्धांत नहीं है। कपूर होटल में यशपाल कपूर ठहरे हुये हैं जो ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं। मान्यवर, मैं चेतावनी देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य चर्चा बाट रहे हैं, वह ऐसा न करें ।

एक सदस्य—

जायसवाल जी ने हम लोगों पर व्यतिगत आक्षेप लगाये हैं । मैं इसकी सफाई देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अब आपके देश में जनतांत्रिक परम्परा समाप्त हो गई है और बंश परम्परा चलने लगी है ।

एक सदस्य—

मान्यवर, क्या जायसवाल जी ही बोलते रहेंगे और हम लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अपने देश में बंश परम्परा चली है । पहले जवाहर लाल जी फिर इंदिरा गांधी और अब संजय गांधी जी आ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय—

मान्यवर, इन्होंने जनसंघ को भड़काया । इनका कोई सिद्धांत नहीं है, उसूल नहीं है । इनके बेबुनियाद उसूल हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जब तीर लक्ष्य पर लगता है तो दर्द तो होता ही है । मान्यवर, यहां पर तो जनतंत्र समाप्त हो गया है और वंश परम्परा चल गई है । पंडित जी तो आने वाले नहीं हैं इसी लिये संजय गांधी फरमा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे । और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह दल बदल जो हो रहा है यही कारण बनेगा इस प्रदेश में मध्यावधि चुनाव का । आगे चल कर यही कहा जायेगा कि चूंकि दल बदल हो रहा है इसलिये उत्तर प्रदेश में स्थायी सरकार नहीं बन सकती इसलिये मध्यावधि चुनाव आवश्यक है । कारण यही बनेगा । आप भी पंडित जी मुख्य मंत्री नहीं बन सकेंगे । आप मुझे क्षमा करेंगे इस स्पष्टवादिता के लिये । क्योंकि जिस किसी आदमी में जरा भी राष्ट्रीयता बाकी है आप तो राष्ट्रीय आन्दोलन की उपज हैं, हमारी और आपकी राय में जो भी राजनीतिक भेद हो लेकिन इतना स्पष्ट है कि आप कम्युनिस्टों से कभी समझौता नहीं करेंगे, देश हित में उनके साथ समझौता नहीं करेंगे । ऐसे आदमी का उस दरबार में कोई स्थान नहीं है इसलिये पंडित जी आप मुख्य मंत्री नहीं बनने वाले हैं ।

अब माननीय नारायण दत तिवरी के संबंध में आपकी इजाजत से दो शब्द कहना चाहता हूं । जब उन्हें समाजवाद कहीं नहीं मिला तो वे उसकी खोज में गुप्ता जी की मोटर का दरवाजा खोलते रहे, फिर वहां भी जब समाजवाद नहीं मिला तो कुछ दिनों तक चरण सिंह की मोटर का दरवाजा खोलत रहे (व्यवधान)

और मान्यवर, अगर यही रफ्तार रही तो वह दिन दूर नहीं जब कि समाजवाद की खोज में वे श्री संजय गांधी की मोटर का दरवाजा भी खोल ।(व्यवधान)

श्री प्यारेलाल जी ने बोलते हुए हमारे दल पर यह आरोप लगाया कि उसको अमेरिका, रूस और इजरायल से पैसे मिले। मैं दावे के साथ कहता हूं कि संसोपा एक अकली ऐसी पार्टी है जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय है। सन् ६७ के चुनाव अमेरिका से पैसा मिला, रूस से भी पैसा मिला और लेने वाले कौन हैं यह सबको मालूम है। अगर सी० बी० आई० द्वारा जांच रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार प्रकाशित करा देती तो सारी बातें स्पष्ट हो जातीं। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है लेकिन हया और शर्म तो किसी में रह नहीं गयी है इसलिये जो कुछ मुंह में आता है कहता जाता है। मैं तो पूरी चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में भी अमेरिका ने इंदिरा जी के समर्थन में प्रचार किया है, रूस ने भी उनके समर्थन में प्रचार किया है और यह बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता, वहां के लोगों के शरीर को सुख नहीं मिला और यही वह रास्ता है जिस पर कि आज हम भी चल रहे हैं। हिन्दू मुसलमान का अलगाव है, ब्राह्मण ब्राह्मण का अलगाव है, अकालियों में हिन्दू, सिक्ख का अलगाव है, भाषाई क्षेत्र का अलगाव है और ऐसी हालत में वह दिन दूर नहीं जब कि इस देश के भी टुकड़े टुकड़े होंगे।

जो गलती २२-२३ साल से करते आये हैं वही गलती आज भी कर रहे हैं, बिलासिता और फिजूलखर्ची को बन्द नहीं कर सके हैं और उसका नतीजा यह है कि लोगों का कल्याण नहीं कर सकेंगे। जिस रास्ते पर पहले से चलते रहे हैं अगर आज भी वही रास्ता रहा तो इस देश को तोड़ने वाली सारी ताकतें ऊपर आ गयी हैं जिससे सारा देश टूटने जा रहा है इसलिये मैं आपको सावधान करता हूं कि आप क्षणिक खुशी में न बह जायं। आज गांधी जी वाली उदारता तो है नहीं। जिस तरह से विधायकों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से चुनाव में हिन्दू-मुसलमानों की भावना का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से जगजीवन बाबू की तस्वीर को एलेक्शन में हरिजनों के बीज नचाया गया है और अन्य सारे हथकंडे जिस तरह के इस्तेमाल किये गये हैं उनसे स्पष्ट है जिनमें गरमी है और जो इस व्यवस्था को हटाना चाहते हैं वे लोग मारे जायेंगे, उनका कत्ल किया जायेगा, यह भविष्य के गर्भ में है। इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राम सिंह जी जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री मंजूर अहमद—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था...।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा था कि आप बधाई देना चाहते थे चौधरी चरण सिंह जी को लेकिन वह सदन में नहीं हैं।

श्री मंजूर अहमद—

ये तो सदन के सदस्य नहीं हैं, आप उनको समय दे रहे हैं। मैं इस सदन का सदस्य हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वे नेता सदन नहीं हैं, मुख्य मंत्री नहीं हैं तो अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाये।

श्री मंजूर अहमद—

वे मुख्य मंत्री नहीं हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं अपने आदरणीय सदस्यों से, चाहे इधर के हों या उधर के, कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी खड़े हुये हैं तो उनकी बातों को सुनें। उत्तेजना नहीं आनी चाहिये। यह सदन है और इसकी गरिमा को हमें शांत रहकर बनाये रखना है।

*मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चौथा दिन है जब हम माननीय राज्यपाल महोदय के एड्रेस पर बहस कर रहे हैं। इस बीच में बहुत सी बातें हमारे मित्रों ने कहीं खिलाफ भी और माफिक भी। मुझे बहुत ज्यादा डिफेंस में नहीं कहना है। मैं जरूरी समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जो समस्यायें हैं, जो कुछ हमें करना है उस पर हम ध्यान दें। हमारा प्रदेश आज सारे देश में सिवाय उड़ीसा को छोड़कर पिछड़ा हुआ है और इसकी गति इस तरह से बहुत दिनों से है। मुझे बहुत चिन्ता रही है अपने प्रदेश में पिछड़ेपन की। मैं पूर्वी प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि गरीबी क्या है। मैं गरीबों के दिलों को जानता हूं। आप और हम दोनों इस गरीब प्रदेश के निवासी हैं। कोई कारण नहीं है कि हम इस समय बठकर शांति से अपनी समस्याओं पर विचार करें। मैं नहीं जानता कि कहां तक मैं आपको समझा पाऊंगा लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा, प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पिछड़ा रहेगा तो सारा देश भी पनप नहीं सकता और अगर हमारा प्रदेश बढ़ेगा तो सारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिये जरूरी है कि हमारे प्रदेश की जो समस्यायें हैं उन पर हम और आप संयत चित्त से बात करें और उन्हें समझें।

मैंने यहां आकर बहुत अध्ययन किया और जो पहला काम जरूरी समझा वह यह कि हमारे जो तीन पिछड़े इलाके हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पहाड़ी इलाके और बुन्देलखंड का इलाका उन सब के लिए अलग अलग नियम बनाये जायें।

(इस समय ३ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः ोठासीन हुये)

पर्वतीय क्षेत्र के लिये एक बोर्ड की स्थापना तो हो चुकी थी। हमने अनुपूरक अनुदान में १० लाख रुपये की व्यवस्था की ताकि इस प्रदेश के पिछड़े इलाकों की प्रगति हो सके। मैं यह समझता हूं कि जहां हमें सारे प्रदेश की समस्याओं को हल करना चाहिये वहां यह भी जरूरी है कि पिछड़े हुए इलाकों की समस्याओं को विशेष तौर से हल करना चाहिये। जब इंगलैन्ड में बहुत कुछ उन्नति हो रही थी तब वहां पर एक ऐसा प्रदेश था जो कि पिछड़ा हुआ था और उस डिप्रेस्ड एरिया के लिये उन्होंने एक बोर्ड बनाया। हमने भी उसकी नकल की और ऐसे ही कार्य किया। हमने देखा कि यह जरूरी है कि हम अपने योजना के तरीके को बदलें। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं कि जब तक उन योजनाओं के आधार पर, जो अब तक बनी हैं, कार्य होता रहेगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यह मेरा निश्चित मत है। हमें प्लान स्ट्रेटेजी में तब्दीली करना है और इस वास्ते हमने कुछ कदम उठाये हैं।

उन्नति के लिये सब से जरूरी बात यह है कि अगर हमारे यहां बहुत ज्यादा कैपिटल इनटेंसिव चीजें चलेंगी तो हमारी उन्नति नहीं होगी। सारे प्रदेश में कैपिटल इनटेंसिव योजनायें, जहां पर कि पूंजी अधिक लगती है, बहुत सी हो गई हैं और उन योजनाओं की कमी है जो कि तुरन्त फल देती हैं। हमारे यहां बड़े बड़े उद्योगों की जरूरत है, मैं यह समझता हूं मगर मैं यह भी जरूरी समझता हूं कि हमारे यहां लघु उद्योगों और कृषि पर जोर दिया जाये और इस वास्ते मैंने समझा कि हमें एग्रो-इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स वाली योजनाओं को अपनाना चाहिये। मैंने ऐसी योजनायें बनाई हैं और उनको आपके सामने पेश भी किया है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका हवाला भी दिया है । एग्रो-इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स का आइडिया, मैं चाहूंगा, आप समझें । मान लीजिये एक गड़रिया भेड़ें पालता है, परन्तु भेड़ पालने से उसको सिर्फ ऊन मिलता है जिसको कि वह काम में लाता है और किसी तरह से वह उस ऊन को बना लेता है । लेकिन वह भड़ जो है, एक एग्रो-इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स हो सकती है । भेड़ से उसको ऊन तो मिलती ही है, मगर चमड़ा, मीट और बोन भी मिलता है । वह इन सब चीजों को इस्तेमाल कर सकता है । भेड़ों के पालने से उसको फर्टिलाइजर भी मिल सकता है । तो ये सब काम्प्लेक्स हैं । ऐसी योजनाओं को मैंने दिल्ली में ही बनाने की कोशिश की थी और यहां की प्रांतीय सरकार को लिखा भी था कि ऐसी योजनाओं को बनाया जाये ।

दूध को ही ले लीजिये, वह भी एक एग्रो-इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स हो सकता है । मिल्क को पाश्चुराइज करके उससे घी, मक्खन, मिल्क पाउडर और न जाने कितनी और चीजें बन सकती हैं । तो एक-एक चीज का एग्रो-इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स होता है । इसी तरह से सन से पट्टू तथा यार्न बनता है और यार्न से कपड़ा बनता है । इसके अतिरिक्त रोप्स तथा थ्रड्स भी बनते हैं । जहां-जहां एग्रीकल्चर के मुख्य-मुख्य केन्द्र ह वहां एग्रो-इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स यूनिट्स को स्थापित करने की कोशिश की जाए और मैं समझता हूं कि हमारे जो पिछड़े इलाके हैं उनको हम इसी तरह से उन्नत कर सकते हैं । इस उद्देश्य से मैंने इन ३ बोर्डों की स्थापना की योजना बनाई और मैं आपसे कहता हूं कि चाहे जो हो, यह जरूरी है कि इस किस्म के योजना बोर्ड बनें ।

हमने पवतीय बोर्ड की एक मर्तवा मीटिंग की । वहां के जो सदस्य आते हैं वे सब अपने-अपने निजी इलाकों की बात तो कहते हैं लेकिन सम्यक रूप से पूरे प्रदेश की बात नहीं कहते हैं इसलिए मैंने एक सुझाव दिया कि एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिये जिसमें एक्सपर्ट्स हों और एड-मिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स हों और वे योजनायें बनायें और उनको इम्प्लीमेंट करें । यह आवश्यक है कि बोर्ड योजना बनायें और उसको चलवाय । इस प्रकार क सुझाव मैंने रखे । तो मेरा यह सुझाव अब भी है । मैं चाहूंगा कि यह काम होना चाहिये । यह काम तब तक आग नहीं बढ़ेंगे जब तक कि हमारे यहां पानी और बिजली के साधन पर्याप्त नहीं होंगे ।

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, यहां लगभग ८५ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है । हमारा कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता बिना पावर के और पानी के । इधर हमको पावर में भी २५ फीसदी कट करना पड़ा है । १९६८-६९ में हमारे यहां पर कैपिटा ५१ यूनिट बिजली खर्च होती थी, जब कि पंजाब में १६८, महाराष्ट्र में १३८, तामिलनाड में ११७ और हमारे यहां केवल ५१ । यह हमारी हालत है । हमारी जितनी स्कीम्स हैं मैंने उनको देखा और मुझे दुख हुआ । हम चाहते हैं कि हमारे यहां जो कल करखाने हैं उनके पुर्जे हमारे यहां ही बनें, दो चार अगर बाहर से भी मंगाना पड़े तो मंगा लिये जायं । लेकिन जो भोपाल वगैरह से हमें पुर्जे मिले वह भी बहुत देर से मिले, दो-तीन वर्ष इसी में निकल गये ।

मैं आपसे कहता हूं कि बिना बिजली के कोई हमारी योजना आगे नहीं बढ़ सकती । इस-लिये मैंने एटामिक इनर्जी कमीशन के जो सर्वेसर्वा हैं श्री विक्रम साराभाई, उनसे भी बात की और उन्होंने मुझे बताया कि हम अरोरा में ४०० मेगावाट का एटामिक पावर स्टेशन बनायेंगे । इसका मतलब यह हुआ कि ३-४ वर्ष में वह बन कर तयार हो पायेगा । तब जाकर हमको अधिक बिजली मिल पायेगी । और भी योजनायें हैं जिनमें काफी समय लग जायेगा । तुरन्त लाभ देने वाली हमारी कोई योजना नहीं है जो होनी चाहिये । शार्ट पीरियड वाली योजनाओं को हमें शुरू करना होगा । आज आप देखते हैं कि कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और साथ ही बेकारी भी बढ़ती चली जा रही है । यह दो विकट समस्यायें हमारे सामने हैं । मैं भी अपने को समाजवादी मानता हूं और मैंने इस दिशा में थोड़ा बहुत काम भी किया है । इसलिये मेरा सुझाव है कि आपको जो कुछ पूंजी मिले वह छोटी योजनाओं पर, सिंचाई और बिजली आदि की योजनाओं पर लगायें ।

[श्री त्रिभवन नारायण सिंह]

बड़े-बड़े उद्योगों पर अगर आप लगायेंगे तो उसे लाभ आपको ८-१० वर्ष बाद जाकर मिलेगा। उससे मुद्रा स्फीत भी बढ़ेगी और आपकी समस्या भी हल नहीं होगी। मैंने दिल्ली में इन्दिरा जी से भी कहने की कोशिश की। हमारे यहां जो भिलाई स्टील प्लान्ट बनाया गया उसमें अब तक करीब ५०० करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। उस भिलाई स्टील प्लांट में कुल ४० हजार आदमियों को काम मिला है। आप समझें ५०० करोड़ खर्च करने पर केवल ४० हजार आदमियों को काम मिले तो इतने लोगों को काम पर लगाने के लिये हमें कितना खर्च करना पड़ेगा? इसलिए हमें इंसेंटिव प्लान बनाने पड़ेंगे। यही हमें हमारे गांधी जी ने सिखाया था। मैं सोचता हूं जितनी सहायता हो, हम ले लें। हमारी पूंजी सीमित है, संसाधन सीमित हैं, इसलिये हम उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मुझे कोई चिंता नहीं है कि बड़े उद्योग धंधे यहां लगें, लेकिन हम पब्लिक सेक्टर का रुपया उस पर खर्च न करें। निजी क्षेत्र वाले यहां उद्योग स्थापित करने आयें, कोई हर्ज नहीं है। हम जब चाहें उनका राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं।

शुगर मिल्स का केस ले लीजिए। हमने ६ को रिसीवर में ले रखा है, वे सब घाटे वाले मिल्स थे, जिसे कोई नहीं चाहता था उसे हमने अपनी गोद में ले रखा है और हम अपनी एसेट्स को बंधक रखकर उनके लिये रुपया ला रहे हैं। इसलिए हमने कुछ को बुलाया था और यह कहा था कि यह मिलें कोआपरेटिव सेक्टर में खोली जायें। कुछ लोगों ने हमारी बात को मान भी लिया है। कोआपरेटिव सेक्टर में ५० प्रतिशत हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का, २५ प्रतिशत किसान का और २५ प्रतिशत उनका रहेगा और सहकारी क्षेत्र में वह आ जायेगी। इस प्रकार से हमारा खर्च कम होगा और वे लोग मिल वाले माइनारिटी में आ जायेंगे। जिन लोगों ने इसे मान लिया है उससे हमें खुशी है। इसलिये हम उन्हें कोआपरेटिव सेक्टर में ले सकते हैं, भले ही हम उनका राष्ट्रीयकरण न कर पावें।

मैं स्टैबिलीटी आफ प्राइसेज पर बड़ा जोर देता हूं। यह बढ़ते जायेंगे तो आप की प्लान कभी भी ठीक नहीं बन सकती हैं। प्लान डाकूमेंट में वह लिखते हैं कि वह योजना इस आधार पर बनाते हैं कि आजकल की कीमतें योजनाकाल में कायम रहेंगी। लेकिन होता यह है कि आधार बदल जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं और परिणाम यह होता है कि योजना फेल होने लगती है।

गवर्नमेंट आफ इंडिया तनख्वाहें बढ़ाती चली जाती है, वे नोट छाप देते हैं फारेन एड ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, फिर भी थोड़े समय में हमने इस दिशा में कुछ करने का प्रयास किया है। राज्य कर्मचारियों के लिये हमने एक नया-कमीशन बिठाया है, शिक्षकों को बैंकों से वेतन दिलाने के लिये एक नीति निश्चित की है, कर्मचारियों को फ्लेट रेट पर १० रुपया प्रति मास दे दिया गया है।

इसी तरह से लोकल बाडीज के सर्वेन्ट्स व टीचिंग स्टाफ को दिया गया है। इस तरह से यह करने की कोशिश की, लेकिन मैं कहता हूं यह जो कीमतें बढ़ती रही हैं, यह ऐसा प्रश्न है, जिसके रहते जो भी कुछ हम करेंगे, वह थोड़े दिनों बाद बेकार हो जायगा। मेरा विचार है कि पे-कमीशन शीघ्र ही अपना मत देगा, जिससे पीड़ित वर्ग को कुछ राहत मिल जायेगी। कीमतें तो बढ़ती जाती हैं, इसमें किसानों की प्राब्लम्स को देखिये। किसान जो चीज इस्तेमाल करता है, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं—खाद, बीज, वाटर रेट आदि की। जो कपड़ा वह पहनता है खेती के काम के लिय जो वह मशीन लाता है, वह सब महंगी होती जा रही है। लेकिन एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन ने रेकमेंड किया है कि जो हमारी खेती की उपज होगी उसके दाम कम मिलेंगे। यह कहां तक न्याय है?

बिड़ला, टाटा, जब आते हैं तो टैरिफ कमीशन का एक तरीका है उसके पास जाते हैं कि हमारी कीमतें तय की जायं। वह कहते हैं कि हमारे बेज बढ़ गये, कच्चे माल का दाम बढ़

गया। इसलिये पके माल का दाम ज्यादा मिलना चाहिये। उसका एक फार्मूला है जैसा इनक्रीमेंट प्राइसेज में कर दिया जाता है। किसानों की कौन खता है, जो उसके इन पुट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ती जाती हैं और जब वह पदा करता है तो कीमतें घट जाती हैं। ऐग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने यह कैसे और क्यों किया ? इसमें कोई दलगत बात नहीं है। क्या मैं दरख्वास्त कर सकता हूं कि हम सब एक मत से इस बात का समर्थन क रें कि यह चीज नहीं हो पायेगी। जब कृषि में लगने वाली चीजों के दाम बढ़े हैं तो कृषि की पैदावार का भी दाम बढ़ेगा। जो कृषि में लगता है, उर्वरक, पानी, बिजली का रेट बढ़ता जायगा तो कृषि की पैदावार का भी दाम बढ़ना चाहिये। इसलिये जरूरी है कि उसके भी दाम बढ़ाये जायं।

जब मैंने ऐग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन करने में देश और खासकर हमारे प्रदेश का कल्याण है। अगर आज नये-नये बीजों की पापुलरिटी हो जाय तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर यह व्यवधान आ जायगा, वह अपनी मेहनत करेंगे, उर्वरक के दाम ज्यादा देंगे, मजदूरी ज्यादा देंगे उसके बाद जब उसका दाम कम होगा तो कोई खेती अच्छी तरह से करेगा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, फियट कार की कीमतें बढ़ती गयी हैं क्योंकि उसके लोहे का दाम बढ़ गया। तो अगर उर्वरक का दाम बढ़ जाता है तो खेती के बीज के दाम क्यों नहीं बढ़ेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि चाहे जो हो हम सब एक राय से इस बात पर जोर दें, खेती की पैदावार की कीमतें बढ़ेंगी उस मुताबिक जिस मुताबिक ऐग्री-कल्चरल इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी।

अब मैं इस पांच महीने में, कोई मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, न कोई श्रेय लेना चाहता हूं, बहुत साधारण आदमी हूं और कम बोलता हूं, इन पांच महीनों में मैंने बहुत कम बोलने की कोशिश की। मैं लालबहादुर की तरह समझता हूं खामोशी गुफ्तगू है, बेजबानी है जबां मेरी। मैं बहुत कम बोलता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब कभी बोलूं तो कृपा करके, मेहरबानी करके आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैं अपने प्रदेश के हित के लिये कहता हूं। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे इतने दिनों बाहर रहने के बाद थोड़े दिनों के लिये प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला। उसमें थोड़ा काम करने की कोशिश की। हमने पहला जो काम किया वह यह कि सवा छः एकड़ जिसकी जमीन थी उसका लगान माफ कर दिया। यह मैं कहता हूं कि एक अच्छी चीज हुई। १९३६ में कांग्रेस ने एग्रेरेरियन रिफार्मर्स कमेटी अप्वाइंट की थी। लालबहादुर जी उसके सेक्रेटरी थे। मेरे घर पर बैठ कर उसकी रिपोर्ट लिखी गयी। टंडन जी ने एक नोट आफ डिसेंट लिखा था। उन्होंने लिखा कि अनइकानामिक होल्डिंग पर कोई रेन्ट नहीं लेना चाहिये। उससे और लोगों ने डिसएग्री किया था। यह बड़ें भारी बहस की चीज थी लेकिन यू० पी० की कांग्रेस को यह पहले श्रेय था उस वक्त के जो सभापति थे टंडन जी, उन्होंने कहा कि जो अनइकोनामिक होल्डिंग है उस पर लगान नहीं लगना चाहिये। आज १० बीघा कहा जाता है। उससे कम अनइकोनामिक होल्डिंग होती है। हमने उस वायदे को पूरा करने की कोशिश की जिसे टंडन जी ने सन् ३६ में अध्यक्ष होने के नाते किया था।

हमने वृत्ति कर छोड़ दिया जो दो करोड़ होता था। उससे काफी लोग परेशान थे। कीमतें बढ़ती जाती हैं। टीचर्स का वेतन वक्त से नहीं मिलता था उसका भी हमने इन्तजाम किया। सरकारी खजाने से चेक के जरिये से इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के माध्यम से मिला करेगा। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स सबसे अधिक नेगलेक्टेड रहे हैं हमारे समाज में और मुझे दुख होता है उनकी स्थिति को देख कर। तो यह करना जरूरी था जो हमने किया। उससे हमारे ऊपर दो करोड़ रुपये का खर्चा भी बढ़ गया लेकिन हमने उसे किया। कुछ लोग कहते थे कि शिक्षा को नेशनलाइज कर दिया जाय। वह हम कर सकते हैं लेकिन मेरी निजी राय यह है कि जो कुछ भी स्वयं सेवकगण अपने आप नान आफिशियल वे में नयी नयी संस्थाओं को बनाने का प्रयास करते हैं अपनी पूंजी व चन्दे से उसे रोकिये मत। इससे बड़ा भारी श्रोत होता

[श्री त्रिभुवन नारायण सिंह]

है, वह खत्म हो जायगा। उसको एक दम से खत्म न कीजिये। कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में और क्या सुधार हो सकते हैं यह कभी अवसर मिलेगा तो बतलाऊंगा। तो मैं बतला रहा था कि इन ५ महीनों में मैंने यह छो ी-मो ी बातें करने की कोशिश की। अभी-अभी इन्टरिम रिलीफ भी देने की कोशिश की है। पिछड़े क्षेत्रों के लिये अलग से इन्तजाम करने की कोशिश की है। मुझे खेद है कि उसमें ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी।

मैं भीख तो कम मांगता हूं, मेरी आदत नहीं है लेकिन अपने प्रदेश के लिये मैं दिल्ली गया। मैंने हाथ पसारा। यह कहा कि हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। हमारी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। हमारे यहां बिजली तथा सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है। हमारे यहां ३६ जिले पिछड़े हुये हैं। उनके लिये हमें कुछ विशेष प्रोग्राम बनाने है। यह मैंने चव्हाण साहब जो केन्द्र में फायनेन्स मिनिस्टर हैं उनसे कहा और उन्होंने माना कि तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा मालूम होता है लेकिन मेरी सहायता करने से इंकार कर दिया दुख तो बहुत हुआ। जो भीख नहीं मांगता था उस भीख को मांगने गया लेकिन खाली हाथ लौटा और मैंने लोगों से कहा भी कि ऐसी बात हुई है। अगर सारा सदन एक मत हो कर जोर दे कि हमें कम से कम पहले दो वर्ष में १०० करोड़ से १५० करोड़ रुपये तक अधिक खर्च करना होगा पिछड़े जिलों की सिंचाई और बिजली के लिये।

हमारे यहां डिस्पेंसरीज हैं लेकिन दवाइयां और डाक्टर नहीं हैं। हमारी औरतों के लिये जच्चा-बच्चा केन्द्रों का इन्तजाम नहीं है। पहाड़ी इलाकों में औरतों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरी यह कोशिश थी कि इतना रुपया और प्लान में बढ़ाया जाय लेकिन वह मुमकिन नहीं हुआ। आपने देखा कि बजट जो है वह डेफिसिट बजट है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। डेफिसिट बजट आज कल एक फैशन हो गया है। भारत सरकार में तो ढाई सौ से लेकर तीन सौ करोड़ का डेफिसिट होता है और यहां २५, ३० करोड़ रुपये का। वह कोई बड़ी भारी बात नहीं है।

मैंने अफसरों की मीटिंग की थी। मैंने अपने इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट, शुगर डिपार्टमेंट तथा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एवं चीफ सेक्रेटरी से इस सम्बन्ध में बातचीत की और उसके अनुसार योजनाओं को नई रूपरेखा देने की कोशिश की गई है और हम उसे करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब आपस के झगड़ों को भुला दें। इसमें कोई मतभेद का सवाल नहीं होना चाहिये। सबको मिलाकर देश और प्रदेश हित के लिये और उसकी आर्थिक दृष्टि से उन्नति के लिये सहयोग करना चाहिये। यह बड़ी जरूरी बात है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा पिछड़ा देश पिछड़ा ही रह जायेगा। यह जानकर ताज्जुब होता है कि हमारे प्रदेश में ५१ यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्ध है जब कि मद्रास में १६० और १६८ यूनिट है। यह बड़ी चिन्ता की बात है।

मद्रास में हर एक गांव में बिजली पहुंच गई है और हमारे यहां किन्हीं-किन्हीं जगहों पर ही बिजली पहुंची है। जब बिजली की मात्रा हमारे प्रदेश में बढ़ जायेगी तो स्वतः ही उसके बढ़ने से हमारे प्रदेश में उद्योग धन्धे भी बढ़ जायेंगे। मैं जब योजना कमीशन का सदस्य था तो पटेल आयोग जिसके बारे में आप सुनते होंगे, वह मैंने ही भेजा था। प ेल साहब हमारे अफसर थे। उन्होंने अपने जिले का निरीक्षण किया। मैं चाहता था कि उसके लिये कोई स्कीम वे बनायें, किन्तु वह न बन पायी। मैं चाहता था और मेरी इच्छा थी कि इस योजना के बनाने में से जो हमारे ३६ पिछड़े जिले हैं वे लाभान्वित होंगे। अभी भी हम प्रयत्नशील हैं। इसीलिये मैंने केन्द्र से १०० करोड़ रुपये की मांग की है। मैं क्या-क्या नहीं करना चाहता था इस प्रदेश के लिये। हमारा जो सिद्धान्त होना चाहिये वह यह होना चाहिये कि जो एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन हैं वे विशेष अनुदान लेकर हमारे प्रदेश में जो बेकार ओवरसियर और इन्जीनियर्स

हैं, उनके लिये १० लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। कहीं हमको सर्विस सेन्टर्स खोलने की जरूरत है। योजना आयोग का सदस्य होने के नाते मैंने रूरल इन्डस्ट्रियल प्रोग्राम शुरू किये। ये सब बातें थीं जिससे प्रदेश उन्नत हो सकता है।

जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है वह इन सारी चीजों का द्योतक है। मैं समझता हूं कि जो उसमें बातें कही गई हैं उनका विरोध करना ठीक नहीं है क्योंकि वे चीजें बहुत जरूरी हैं। जो विचारधारा उसमें दिखलायी गई है वह प्रदेश की उन्नति और उसके आर्थिक विकास के लिये आवश्यक हैं। मैं चाहता था कि इस मामले में हम लोग दो विचार न रखें। हमें अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है।

अपने लड़कपन का मुझे खयाल है कि मेरे एक अहीर, यादव जी थे। वे बड़े गरीब परिवार के थे। उनके ६ बच्चे थे। किसी वजह से वे मुझको बहुत मानते थे। मैं बहुत छोटा था तो उस समय उनके साथ घूमता था, खेलता था और वे मुझको बहुत खिलाते भी थे। जाड़े के दिन थे। क्रिसमस की छुट्टियों में मैं अपने गांव गया हुआ था। वहां मैं रात के वक्त जब घूम-फिर कर लौटा शाम को, तो उनके दरवाजे पर पहुंच गया। शाम के साढ़े सात बजे का समय था। वे उसी वक्त शायद सो गये थे। मैंने उनको बाहर से आवाज दी लेकिन वे बाहर निकल नहीं रहे थे। दरवाजा खटखटाने पर वह बाहर आये। जब वह बाहर आयें तो मैं उनसे थोड़ी सी ही बात कर सका क्योंकि मेरे साथ अन्य आदमी भी थे। जब मैं बाहर आया तो उन आदमियों न मुझसे कहा कि आपने उस भाई का साथ नहीं किया। यह भाई जाड़े के दिन में नीचे पुआल और ऊपर पुआल रख कर अपने वक्त काटता जा रहा है उसके पास वस्त्र नहीं हैं धोती ही पहिने हुये हैं। मैं सच कहता हूं आप से, आज भी जब मैं याद करता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे देश में वही दृश्य फिर देखने में आ रहा है। मैं उस गांव में गया हूं और वहां ऐसी दरिद्रता अब भी देखी है। यह है सन् १८-१९ की बात। मैंने प्रतिज्ञा की कि देश के गरीब भाइयों की सेवा करने के लिये जो कुछ मुझसे करते बन पड़ेगा, करूंगा। उसी प्रेरणा से गांधी जी की जब आवाज आयी तो सन् २० में गांधी जी के मूवमेंट में मैं आया और तब से मैं कहता हूं कि मुझे वह वक्त नहीं भूलता।

गांधी जी चले गये। नये-नये प्राइम मिनिस्टर हुये, नया-नया युग आया लेकिन गांधी जी की जो विचारधारा थी, आज भी मैं आप से कहता हूं कि वह सत्य है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। यह आपका सोशलिज्म का नारा आगे नहीं बढ़ने वाला है। बड़ी-बड़ी बात करते हैं, बड़े-बड़े आन्दोलन करते हैं, बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंस में रहते हैं। और सोशलिज्म की लोग बात करते हैं। मैं जब कहता था कि यह बड़ा भारी अन्तर पड़ गया है तो जवाहरलाल जी कहते थे कि उन लोगों का धन लेने से कुछ नहीं होगा, पावर्टी डिस्ट्रिब्यूट करने से कुछ नहीं हो जायगा। लेकिन वह तो ठीक नहीं है, ऐसा मेरा विचार था। अगर पावर्टी डिस्ट्रिब्यूट करने से कुछ नहीं होगा लेकिन पावर्टी शेयर करना जरूरी है। हम गरीबों के जीवन में हिस्सा लें, उनका सम्मान हो। हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ गया है वह गलत बात है।

मैं दिल्ली में बहुत दिनों तक रहा हूं, पार्लियामेन्ट का मेम्बर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि गांव के लोग जाते थे शहर में तो पहला काम करते थे कि धोती कुर्ता उतार कर पैंट बुशर्ट में दूसरे दिन दिखाई देते थे। मैं तो मैं तो यू० पी० का सौभाग्य समझता हूं कि यह हमारे यहां अब भी हम लोग धोती कुर्ता पहिनते हैं। यह हमारी संस्कृति है, परम्परा है। लेकिन यह उठती जा रही है। गांधी जी ने हमको अपनी पुरानी संस्कृति से प्रेम करना सिखाया, परम्परा को अपनाना सिखाया और सादा जीवन बिताना सिखाया। अब वह भी हम भूलते जा रहे हैं। आज बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और एयरकंडीशंड रूम बन रहे हैं। हम जब आये तो कहा गया कि यह आपका जो सदन है इसको एयरकंडीशंस कर देना चाहिये और कई सदस्यों ने भी कहा। माफ करियेगा, मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा कि हमारा सारा देश दरिद्र है हमें उसे एयरकंडीशं करने की जरूरत नहीं हैं, पंखे बहुत हैं। तो यह चीज है।

[श्री त्रिभुवन नारायण सिंह]

मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। समय हो गया। इतना ही कहना चाहता हूं कि अब आप इस प्रस्ताव को जो थैंक्स का प्रस्ताव है उसका समर्थन करें अनुमोदन करें और पास करें।

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह चार दिन से बहस हो रही है और आज आखिरी दिन था और आज इस बहस में कुछ जरूरत से ज्यादा गरमी भी आ गयी। कुछ आवाज भी उठाई गई, कुछ घोषणा भी हुई, कुछ आक्षेप भी हुए। कभी-कभी यह भय हुआ कि कहीं सदन में धक्का-मुक्की और ठेलम-ठाल न आरम्भ हो जाय। मैं समझता हूं कि ऐसे अवसरों पर कुछ आवाज का हो जाना स्वाभाविक है। पर जो सदन के सदस्य हों उन्हें थोड़ा इस विषय में गम्भीरता का परिचय देना चाहिये। कोई व्यक्तिगत आक्षेप भी हों तो उनसे हमेशा हटना चाहिये इस सदन में बैठने पर।

मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता इसलिये कि बातें तमाम कहीं जा चकी है। और उन बातों का गलत या सही बहुत सा उत्तर दिया जा चका है। मैं केवल ५ मिनट लेना चाहता हूं क्योंकि इसके बाद आपको इस पर वोटिंग कराना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण किया है वह बड़ा सुन्दर भाषण था। ऐसी बातें उन्होंने कहीं जिनको प्रत्येक व्यक्ति को जो उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में हैं, उसे उसकी जानकारी है। बिजली की कमी है, पानी की कमी है, आमदनी कम है, वे सारी बातें योजना चलाने के संबंध में लोगों को मालूम हैं। हमारे भाई जायसवाल जी ने कहा कि पढ़ने वाले पंडित कुछ नहीं पढ़ाते है मैं ही पढ़ा देता। चाहे इधर रहें या उधर रहे मुझे मालूम नहीं था नहीं तो मैं किसी स्कूल का या किसी कालेज में उनको अध्यापक बना देता।

संविद सरकार की प्रगति के चरण नामक एक पुस्तिका निकली है। उसमें जितनी बातें कहीं गई थीं उनको उन्होंने पढ़ कर सुना दिया।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

कभी-कभी ऐसा होता है कि पढ़ाने वाला चाहे धिरन्च सम हो लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ने पढ़ाने को मिल जाय लेकिन अक्ल नहीं आती है। मुझे खुशी है कि कुछ हंसी हो गई और जो वातावरण गरम हो गया था, वह कुछ हल्का हो गया।

श्रीमन्, प्रगति चरण नामक पुस्तिका से उन्होंने सारी बातें पढ़कर सुना दीं। मुख्य मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं। गवर्नर महोदय के भाषण में जो बातें कही गई हैं, उनका कोई विरोध नहीं कर रहा है। धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये हम कहते हैं कि इन बातों का जिक्र गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में नहीं किया। जिनका जिक्र किया वह ठीक है लेकिन जिनका जिक्र नहीं किया उनकी ओर हमने ध्यान दिलाया है।

कुछ लोग बहुत नाराज हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में इन्दिरा-इन्दिरा शब्द बोले जायं जो आपके देश की प्रधान मंत्री हैं। आज मुख्य मंत्री हैं अगर मैं शुरू कर दूं कहना 'त्रिभुवन' 'त्रिभुवन' तो क्या यह अच्छा लगेगा? यह आपके संस्कारों की बात है, यह सदन के गौरव की बात है कि आपने बोलना कैसा सीखा है। यह कोई तरीका है। प्रधान मंत्री हैं, जनता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

ने उनको जिता दिया है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों ने उनको यह सम्मान दिया है। सारी दुनियां में भारत सरकार के प्रधान मंत्री की हैसियत से वे इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। जो बोलेंगी वह इस देश की वाणी होगी। गलत या सही जो भी करेंगी उसका नतीजा देश को भुगतना पड़ेगा। जो भारत का प्रतिनिधित्व करता हो ऐसे व्यक्ति को सदन में अपमानित करने की चेष्टा करने से हमारा गौरव नहीं बढ़ता है। इससे न आपका बल बढ़ता है और न उनका घट जाता है। वह लोक सभा के चुनाव में जीती हैं और जनता ने उनको देश का प्रधान मंत्री बनाया है, उनकी नीति संचालित हो रही है, उसके ऊपर आपका कोई बस नहीं है।

हमारे भाई कह रहे थे, नेहरू परिवार की वंश परम्परा कायम करने जा रहे हों। राष्ट्रीय आन्दोलन में आप भी रहे हैं। वंश परम्परा रही है। इन्दिरा जी जेल गईं, बाप गये, दादा गये, उनकी दादी गईं, उनकी मां गईं, उनकी मौसी गईं, उनकी मामी गईं उनके मियां जेल गये, उनके चाचा गये, उनकी चाची गईं, इनके परिवार में मान्यवर, कौन जेल नहीं गया.....

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं कि वह वंश परम्परा नहीं है, एक वंश है जिसने देश की स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णक्षरों से अंकित किया है देश की सेवा का अध्याय।

जवाहरलाल जी इस देश को १८ वर्ष तक नेतृत्व करते रहे, नेशनल हीरो रहे। आप चाहे जितना जली कटी सुनायें उससे अध्याय का पृष्ठ नहीं परिवर्तित होता है। देश की जनता ने स्वीकार किया उन्हें। जायसवाल जी कह रहे थे कि उनका समाजवाद खोखला है और वह समाजवाद आने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप समाजवादी हैं, आ जाइये कांग्रेस में और पकड़िये इन्दिरा जी को ताकि खोखलापन उनका दूर हो जाये। उनका समाजवाद खोखला है और आप का बड़ा ठोस है जो उस दल में जाकर मिल गये जिस दल ने नवल टाटा और के० के० बिड़वा जैसे लोगों को खड़ा किया? उस दल के साथ मिल जाना तो समाजवाद है और इन्दिरा जी का समाजवाद खोखला है। इन तर्कों से आपकी बुद्धि का परिचय मिलता है। अगर खोखला है तो उसे ठोस कीजिये। उनके ऐसे प्रगतिशील लोग यदि आ जायं और जो मेरे साथी आ गये उनका इसीलिये मैं स्वागत करता हूं कि यदि कहीं हमारे जैसे ढुलमुल आदमियों के पैर डगमगायें तो कम से कम राजितराम पांडेय का लट्ठ तो हमें ठीक किये रहेगा। इसी लिये मैं आपका भी आवाहन करता हूं कि आप पधारें और जो भी प्रगतिशील शक्तियां इस देश की हैं जो यह समझती हैं कि इस देश का उद्धार इस रास्ते से हो सकता है जिसके लिये आपने कष्ट उठाया---समाजवादी रास्ता और देश की जनता ने एक प्रेरणा पाकर शक्ति दी है और उन्होंने अपनी जबान से भी कहा कि हम ले आना चाहते हैं, तो प्रगति शक्तियों का यह कर्त्तव्य है कि उनके पीछे आयें।

(व्यवधान)

मैं जानता हूं कि माननीय बांके लाल जी मेरे पीछ २ घूमा करते थे।

श्री बांके लाल---

आप जैसे नाकामियाब आदमी के पीछे मैं कभी नहीं घूम सकता।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अनन्तराम जी जानते हैं। इनकी बात से तो मुझे कोई क्रोध आता नहीं, मेरे बड़े मित्र हैं।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल---

ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों से समाजवाद नहीं आ सकता।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बांके लाल जी मेरे बड़े मित्र हैं। कुछ कहते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। (हंसी) मेरे प्रति उनमें कभी-कभी बड़ी भक्ति उमड़ती है और कभी गाली देते हैं। मुझे विश्वास है कि दो, चार दिन में ही फिर भक्ति उमड़ेगी उनके मन में।

श्री बांके लाल--

सर्वदा असम्भव है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

हमारा दुर्भाग्य है। अब मैं अधिक समय न लूंगा क्योंकि शायद कल ही इस तरह की बातें कहने की फिर आवश्यकता पड़े। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे संशोधन में बात कही गई है, जिसका मैं समर्थन करने खड़ा हूं, उस विषय में कोई उत्तर नहीं दिया न तो जायसवाल जी ने और न हमारे मुख्य मंत्री ने। क्या यह सही नहीं है कि मनीराम में जो घटना घटी और उसके बाद को हवा बही? क्या यह सही नहीं है कि लोक सभा के चुनाव में देश की जनता ने एक निर्णय किया है? क्या यह सही नहीं है कि उस निर्णय के फलस्वरूप इस संविद के घटकों की नीति को और उनके नेतृत्व को तिरस्कार किया है? क्या यह सही नहीं है कि यह जो घटना घटी है इसके बाद संविद सरकारका चलते रहना लोकतन्त्रकी परम्परा के अनुकूल है? इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। प्रगति कम इस देश में हुई और काम होने चाहिये यह सब को मालूम है। मैं अधिक न कह कर इस संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकारी पक्ष के विचार के लिये रखता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे और यदि स्वीकार न करे तो आप मत करा लें।

(श्री राम सिंह को उत्तर भाषण के लिये पुकारने पर)

श्री छांगुर राम--

श्रीमन, मुझे भाषण करने के लिये कुछ समय और किया जाय।

(इस समय ४ बज कर ६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

(श्री छांगुर राम द्वारा खड़े होकर भाषण के लिये समय मांगने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें, अब समय नहीं है।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और दल के लोग बोल चुके हैं। मुझको भी अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जाय। मैंने बारबार निवेदन किया मगर आपने नहीं सुना। इस सम्बन्ध में हम यह समझते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। इसलिये उसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री छांगुर राम सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तत हुआ था उसके ऊपर दोनों पक्षों की ओर से काफी विवाद और साथ ही जो प्रश्न उठाये गये हैं उनके जबाव बहुत तफसील से दिये जा चुके हैं। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन का जिक्र किया है उसके सम्बन्ध में २, ३ बातें निवेदन करना चाहता हूं। तिवारी जी के द्वारा जो आपने यहां पर संशोधन प्रस्तुत कराया उस संशोधन के नम्बर ३ पर जो संशोधन लिखा है उसमें एक शब्द साम्प्रदायिकता विरोधी लिखा है। उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि बड़ा भारी चर्चा लोक सभा के चुनाव का रहा है कि संविद के चारों घटक जिन्होंने आपस में मेलजोल रखा उनकी नीति में सामन्जस्य नहीं था। उनके विचार एक दूसरे

(इस समय ४ बज कर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

से विरोध खाते थे। जनता ने उनको ताक में रख कर जो समझौता किया था जनता ने उसके विरोध में फैसला दिया लेकिन मान्यवर एक प्रश्न अगर उनसे यह मैं पूछ लूं कि हम तो चार थे लेकिन आपने ६ पार्टियों के साथ समझौता किया और जनता ने अनुकूल फैसला दिया तो उन पार्टियों में कुछ पार्टी साम्प्रदायिक थीं या गैर साम्प्रदायिक थीं? मिसाल के लिये मैं आपके सामने मुसलिम लीग का नाम लेना चाहता हूं।

मेरा विश्वास है कि इससे कोई इन्कार नहीं करेगा कि इस चुनाव में आपने मुसलिम लीग से समझौता किया था तो क्या मुसलिम लीग साम्प्रदायिक पार्टी नहीं है? इस प्रकार मुसलिम मजलिस जिसके साथ आपने समझौता किया था क्या वह पार्टी गैर साम्प्रदायिक कही जायगी। इसके अतिरिक्त रिपब्लिक पार्टी जिसको आपने करीब-करीब अपने में शामिल कर लिया है क्या कहीं कहीं उसके साथ समझौता नहीं किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९६२ में उसी पार्टी ने क्या यह नारा नहीं लगाया था "कि जाटव मुसलिम भाई भाई हिन्दू कौम कहां से आई" तो क्या यह साम्प्रदायिकता को पैदा करने वाली बात नहीं है? इसके साथ-साथ कम्युनिस्ट पार्टी जिसके आप भी समर्थक हैं और आज भी उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी आस्था दूसरे देश के साथ है? हमारे ४–५ दलों के इस संगठन में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी आस्था किसी विदेशी सत्ता के साथ है हर पार्टी जो इधर बैठी है वे राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र की हिमायती करती हैं।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि मदरास में आपने डी० एम० के० के साथ समझौता किया और आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप विधान सभा की किसी सीट के लिये एक भी अपना केन्डीडेन्ट खड़ा कर पाते और आप ने केवल १० लोकसभा की सीटों के लिये उन से यह समझौता किया। क्या यह स्थानीय भेदभाव की बात नहीं थी कि जो पार्टी एक अलग झंडे की मांग करे, अलग देश की मांग करे, अलग स्वतन्त्र देश की आवाज जठाये, अलग संविधान की बात करे क्या वह पार्टी कभी देश की हितैषी हो सकती है? आप ने उस के साथ क्या समझौता किया। कहां तक आज का यह शब्द साम्प्रदायिकता का विरोध रखना उचित है और किस तरह से संशोधन स्वीकार करने की बात करते हैं। क्या इस तरह से साम्प्रदायिकता का पूर्ण पालन करने वाली पार्टी कल्याण कर सकती है और किस तरह से यह चारों पांचों पार्टी देश की विरोधी हो सकती हैं?

मैं कुछ चौथे संशोधन के विषय में भी निवेदन करना चाहूंगा। यह संशोधन प्रदेश में समाजवादी समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिये निजी चीनी मिलों को पब्लिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीराम सिंह]

सेक्टर में लेने की बात कहता है। मैं कहना चाहता हूं कि बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहां पर श्री गेंदा सिंह का प्रस्ताव आया कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का नेशनेलाइजेशन किया जाय। हमारी समझ में नहीं आया कि वहां पर केवल उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के ही राष्ट्रीयकरण की ही बात क्यों कहीं ? उन्होंने बिहार की चीनी मिलों और महाराष्ट्र की चीनी मिलों के बारे में वहां क्यों सवाल नहीं उठाया कि उनका भी राष्ट्रीयकरण हो। फिर इस के अलावा आपको इस बात का मौका उस वक्त भी मिला था, जब चौधरी चरण सिंह जी यहां मुख्य मंत्री थे। उस वक्त आपने कभी नहीं कहा कि शुगर उद्योग का इन्डस्ट्रीयलाइजेशन होना चाहिये, कभी आपने वह बात नहीं उठायी। इसके अलावा जो कदम भी समाजवाद की दिशा में चौधरी चरण सिंह की तरफ से उस समय उठाये गये उनको दबाया गया और उनकी मुखालफत की गई आप के दल के लोगों की तरफ से।

उस समय के अभिभाषण में ३० एकड़ की सीलिंग का जिक्र किया गया था गवर्नर महोदय की तरफ से और मुख्य मंत्री ने उसी वक्त कहा था कि हमारे यहां ३० एकड़ की सीलिंग आयेगी और उसमें बागात को भी शामिल कर दिया जायगा। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आपके यहां क्या हुई ? आप की पार्टी के ४४ आदमियों ने लिख कर दे दिया था कि अगर आप ने इस अपने वादे को वापस न किया तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे और अपने दल को समर्थन नहीं देंगे। नतीजा यह हुआ कि वह प्रगतिशील कदम भी वापस हुआ, आप कहते अपने को समाजवादी हैं लेकिन आप ही ने उस में रोड़ा लगाया।

इसके अलावा आपने ३ नारे चुनाव में लगाये। एक नारा तो यह लगाया कि काश्तकारों की जमीन का फिर से बंटवारा होगा और जो जमीन बचेगी वह केवल हरिजनों को ही बांटी जायगी। दूसरा नारा आपने यह लगाया कि बेगम फीरोज की मुसलमानों के साथ हमदर्दी है और उनके राज्य में मुसलमान महफूज रहेंगे। उनको वोट नहीं दिया गया तो मुसलमान खतरे में हो जायंगे। तीसरा नारा उन्होंने यह लगाया किरायेदारी खत्म होगी और किरायेदारों को उन का मालिक बनाया जायगा। अगर आप कोई इस तरह का किरायेदारी समाप्त करने का संशोधन पेश करते तो हम भी उसकी तारीफ करते लेकिन आप ने ऐसा नहीं किया। आप पिछली उन्हीं दो तीन बातों को बार-बार दोहरा कर समाजवाद लाने की बात कहते हैं। हमें बहुत दुख है कि आप बात को कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा कि मेरी समझ में नहीं आता कि यह आप का कौन सा समाजवाद है कि समाजवाद आप अपने साथ चौधरी रघुराज सिंह शिकारपुर को रखते हुये लाना चाहते हैं। इसी तरह से श्री टी० टी० कृष्णमचारी को जिनको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल से करप्शन के चार्ज में निकाल दिया था उन्हीं की राय लेने के लिये आज फिर उनके पास जाते हैं यह कौन सा समाजवाद है, यह हमारी समझ में नहीं आता और यह भी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार के और किस तरह के व्यक्तियों को साथ लेकर और किनकी राय लेकर आप अपने यहां समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। कौन सा आपका स्टैन्डर्ड है, कौन ता आप का वह स्तर है और कौन सी नई समाजवाद की परिभाषा आज लाना चाहते हैं। मेरी समझ में जो कुछ भी समाजवाद के लिये कहा गया वह केवल कहने की बात है और बात असिल कुछ और ही मालूम होती है।

अन्त में एक बात मैं और कहूंगा कि यह शुरुआत जो दल बदल की हुई है उससे निश्चित है कि यहां भी मध्यावधि चुनाव होगा, इस सत्य को कोई निगाह से ओझल नहीं कर सकता। जो आज इस तरह के रोज प्रदर्शन चल रहे हैं और यहां विधान सभा में भी चल रहे हैं उस से आज हम

समाप्त भले ही हो जायं लेकिन उस के परिणाम से आप भी बच नहीं सकते । और आपको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं महामान्य राज्यपाल जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में २–३ बातों पर और चर्चा करना चाहता हूं । माननीय माता प्रसाद जी ने कहा कि भूमिहीनों की परिभाषा पहले के मुकाबले में गलत कर दी गयी है । यहां पर रेवेन्यू विभाग के महारथी भी बैठे हैं और जिन्होंने सारे कानून बनाये हैं, वे भी मौजूद हैं । पहले भूमिहीनों की कोई परिभाषा नहीं थी । जिस परिवार के पास भूमि न हो वह भूमिहीन की परिभाषा नहीं थी । जिस परिवार के पास भूमि न हो वह भूनिहीन की परिभाषा है । माता प्रसाद जी ने यह कहा कि भूमिहीन वह है जिसकी सम्पत्ति का एलौटमेंट न हुआ हो, यह निराधार बात है ।

इसी प्रकार से जो साढ़े ६ एकड़ की बात कही है, उसको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं । कर्मचारियों के लिये भी एक कमीशन नियुक्त किया गया है । जितने भी कदम संविद सरकार ने जनता की भलाई के लिये उठाये उन सब का आपने विरोध किया तो फिर समाजवाद कैसे आ सकता है । जो कदम समाज के हित में हों, प्रगतिशीलता की ओर हों, गरीबों को उठाने के लिये हो, उसका आप विरोध करें, यह कहां तक मुनासिब है । अन्त में मेरा यह निवेदन है कि जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, अभिभाषण के सम्बन्ध में, आप उसका समर्थन करें और उसको पारित करें ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं मूल प्रस्ताव को पढ़े देता हूं और उसके संशोधन भी पढ़े देता हूं और फिर संशोधन के ऊपर मैं पहले राय लूंगा । उसके पश्चात जैसी राय होगी, मैं बता दूंगा और आवश्यकता पड़ने पर यह बताऊंगा कि किस प्रकार से वोटिंग होगी । प्रस्ताव इस प्रकार है :

"यह सदन, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुये दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है"

यह मूल प्रस्ताव है । इसमें ये संशोधन जोड़ा जाना है, जो श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रस्तुत किया । इनके अतिरिक्त और भी संशोधन हैं लेकिन अगर ये संशोधन गिर जाते हैं तो सब गिर जाते हैं और अगर पारित हो जाते हैं तो मैं फिर राय लूंगा सूचना सहित इस प्रस्ताव पर तो इसलिये मैं पहले इस संशोधन को उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित संशोधनात्मक वाक्य जोड़ दिये जांय :—

किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—

१—लोक सभा के चुनावों का उल्लेख करते समय यह नहीं बताया कि प्रदेशीय संविद सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनावों में संविद के घटकों को प्रदेश से लोकसभा की ८५ सीटों में से ७९ सीटों में भारी बहुमत से हराकर उसके प्रति अविश्वास प्रकट किया है ।

२—मनीराम क्षेत्र से विधान सभा के लिये उम्मीदवार संविद सरकार के मुख्य मन्त्री श्री टी० एन० सिंह की भारी पराजय का उल्लेख नहीं किया है और साथ ही श्री टी० एन० सिंह द्वारा संविद की ही कुछ प्रमुख घटक पार्टियों द्वारा इस्तीफा मांगे जाने पर और उनके द्वारा त्याग-पत्र देने का बार-बार निर्णय होने पर भी त्याग–पत्र की घोषणा नहीं की जब कि वे राज्य सभा के सदस्य बने हुय हैं ।

[श्री अध्यक्ष]

३---समाजवाद, प्रजातन्त्र व धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश व प्रदेश के समाजवादी निर्माण के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी की नई केन्द्रीय सरकार को सहयोग व सहकार देने की घोषणा ।

४---प्रदेश में समाजवादी समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिये प्रदेश की सभी निजी चीनी मिलों को पब्लिक सेक्टर में ले लेने की घोषणा ।

५---प्रदेश में अलीगढ़, इलाहाबाद, मुरादाबाद आदि स्थानों में साम्प्रायिक दंगों की रोक-थाम तथा पीड़ित व्यक्तियों की सहायता एवं क्षतिपूर्ति में प्रदेश में सरकार की असफलता ।"

प्रश्न में दोबारा रखता हूं । प्रश्न यह है कि यह संशोधन जो नारायण दत्त तिवारी जी ने पेश किया है, जो इसके पक्ष में हैं, वे कृपा करके "हां" कहें जो विपक्ष में हैं वे कृपा करके "नहीं" कहें ।

(पक्ष और विपक्ष से क्रमशः "हां" तथा "नहीं" की आवाजें)

श्री अध्यक्ष---

"नहीं" की संख्या अधिक है ।

(विपक्ष द्वारा विरोध होने पर)

श्री अध्यक्ष---

तो अब विभाजन होगा । पांच मिनट घंटी बजाई जायेगी । उसके बाद सब दरवाजे बन्द होंगे । (घंटी बजना आरम्भ हुआ)

इस बार जो वोट होगा उसके लिये हम लोगों ने तय किया है कि बहुत सी पहले जो वोटिंग में गलतियां हो गईं वे न होने पायें । मैं माननीय सदस्यों के तीन-चार, या पांच-छः नाम, अल्फाबेटिकली पढ़ूंगा तो वे लोग खड़े हो जायेंगे और वे "हां" या "नहीं" की लाबी में चले जायेंगे । अन्य सब अपने स्थान पर बैठें रहेंगे । इसमें समय ज्यादा लगेगा लेकिन उसमें गड़बड़ी नहीं होगी । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण गड़बड़ी नहीं करेंगे । अपने-अपने स्थान पर बैठे रहेंग । जिनके नाम लूंगा वे जायेंगे । मैं एक और सूचना देता हूं उनके बारे में जिन लोगों ने हाजिरी के दस्तखत नहीं किये हैं ।

श्री अजब सिंह, श्री गुप्तार सिंह } ये गैर हाजिर हैं ।

श्री भारतसिंह चौहान, श्री मोतीलाल यादव, श्री मोहनलाल, श्री रघुनाथ सिंह } ये डिप्टी मिनिस्टर हैं । इन लोगों ने दस्तखत नहीं किये । जिनके दस्तखत नहीं हुये थे उनके नाम पढ़े हैं । वे हाजिर हैं ।

अब दरवाजे सब बन्द हो गये हैं । लाबी में अगर कुछ लोग हों तो सदन में आकर बैठ जायं, लाबी खाली हो जानी चाहिये ।

नियम के अनुसार लाबी में भेजने के पहले, जब दरवाजे बन्द हो जायं तो प्रश्न फिर उपस्थित करना होता है । तो मैं फिर पेश करता हूं कि जो नारायणदत्त तिवारी जी के संशोधन के पक्ष में हों वह कृपया "हां" की लाबी में जायं और जो विपक्ष में हों वह "नहीं" की लाबी में जायं । लेकिन मैं जिन-जिन लोगों का नाम पुकारता जाऊंगा वही जायेंगे और वोट करके अपनी जगह पर वापस आ जायेंगे ।

(लाबी में डिवीजन आरम्भ हो गया । विभाजन की गणना के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—

दो सज्जनों ने वोट नहीं दिया । एक तो डिप्टी स्पीकर साहब और एक सज्जन और । नतीजा यह है—

हां—२२९

नहीं—१८४

इसलिये यह संशोधन निम्न रूप में पास हो गया ।

पक्ष में—२२९

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी, श्रीमती
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
कशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री

तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीप नरायन बन, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नैपाल, श्री
पन्नालाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
भगौती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह बर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार बाजपेयी, डाक्टर
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपूजन पटेल, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसूरत सिंह,।

रामसेवक, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
बीरेन्द्र कुमार, चौधरी
बीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शमीम आलम, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव बचन, श्री
शिव राज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीशचन्द्र, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)

विपक्ष में—१८४

अनन्त राम जायसवाल, श्री
अब्बुल सलाम शाह, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
करनसिंह, श्री

कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णसिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
खचेड़ सिंह, मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
घासीराम, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगवीर सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दीपनारायण मणि, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धूम प्रसाद, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बदनसिंह, श्री
बब्बन , श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महातम, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री

मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम निहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फुलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शेरसिंह बानू, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तू, श्री
सर्वसुख सिंह, श्री
सियाराम, श्री
सुखवीर, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हबीबुर्रहमान, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

श्री अध्यक्ष---

अब प्रश्न यह है कि जो राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव था उसके साथ नारायणदत्त जी का यह संशोधन जोड़ दिया जाय और धन्यवाद का प्रस्ताव संशोधित रूप में पास किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मुख्य मंत्री द्वारा अपने पद से त्याग पत्र की घोषणा

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैंने निर्णय ले लिया है और मैं राज्यपाल जी के पास अपना त्यागपत्र भेज रहा हूं । मेरा सुझाव है कि विधान सभा की बैठक जो कल होने वाली थी, वह न हो तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष---

चूंकि मुख्य मंत्री जी ने वोटिंग के परिणामस्वरूप अपना त्यागपत्र देने का फैसला किया है इसलिये कल बैठक नहीं होगी । अब हम लोग उठते हैं अनिश्चित काल के लिये ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४३ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३० मार्च, १९७१ ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २५ एल० ए०—१९७१—८४५ ।